2.1.2 Average percentage of seats filled against seats reserved for various categories (SC, ST, OBC, Divyangjan, etc. as per applicable reservation policy) during the last five years

(exclusive of supernumerary seats) (20)

	Number of seats earmarked for reserved category as per GOI or State Number of students admitted from the res				served categ	ory						
Year	sc	ST	ОВС	Divyangjan	Gen	Others	sc	ST	ОВС	Divyangjan	Gen	Others
2020-21	131	349	153	55	369	33	112	98	153	0	577	0
2019-20	131	349	153	55	369	33	95	61	153	0	509	0
2018-19	131	349	153	55	369	33	99	60	153	2	417	3
2017-18	128	341	149	21	415	11	97	62	149	1	365	5
2016-17	107	285	125	18	346	9	64	52	125	0	238	2

^{*} In case of Minority Institutions, the column Others may be used and the status of reservation for minorities specified along with supporting documents.

PRINCIPAL

Gove, Shahid Koushal Yaday Coffese Gurderdehl, Dist. - Balod IC.G.)

2.1.1 Average enrolment Percentage (Average of last five years) (20)

	2020-21			
Programme name	Programme Code	Number of seats	Number of Students admitted	
3.AI	001	150	150	
3.AII	002	150	142	
3.AIII	003	150	117	
B.ScI	004	90	90	
B.ScII	005	90	79	
B.ScIII	006	90	56	
B.Coml	007	90	88	
B.ComII	008	90	61	
B.ComIII	009	90	64	
M.AI SEM. POLITICAL SCIENCE	121	25	25	
M.AIII SEM. POLITICAL SCIENCE	123	25	23	
M.AI SEM. GEOGRAPHY	129	25	25	
M.AIII SEM. GEOGRAPHY	131	25	20	

2019-20					
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted		
B.AI	001	150	148		
B.AII	002	150	110		
B.AIII	003	150	97		
B.ScI	004	90	82		
B.ScII	005	90	59		
B.ScIII	006	90	73		
B.ComI	007	90	67		
B.ComII	008	90	60		
B.ComIII	009	90	48		
M.AI SEM. POLITICAL SCIENCE	121	25	25		
M.AIII SEM. POLITICAL SCIENCE	123	25	14		
M.AI SEM. GEOGRAPHY	129	25	25		
M.AIII SEM. GEOGRAPHY	131	25	10		

PRINCIPAL
VL Shahid Roushal Taids

Gove, Shahid Kousian Yakan Wi Guriderdelli, Dist. - Balod (C)

2018-19					
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted		
B.AI	001	150	148		
B.AII	002	150	92		
B.AIII	003	150	87		
B.ScI	004	90	91		
B.ScII	005	90	63		
B.ScIII	006	90	38		
B.ComI	007	90	72		
B.ComII	008	90	41		
B.ComIII	009	90	32		
M.AI SEM. POLITICAL SCIENCE	121	25	15		
M.AIII SEM. POLITICAL SCIENCE	123	25	20		
M.AI SEM. GEOGRAPHY	129	25	13		
M.AIII SEM. GEOGRAPHY	131	25	22		

2017-18					
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted		
B.AI	001	150	149		
B.AII	002	150	112		
B.AIII	003	150	19		
B.ScI	004	90	83		
B.ScII	005	90	57		
B.ScIII	006	90	44		
B.ComI	007	90	72		
B.ComII	008	90	57		
B.ComIII	009	90	24		
M.AI SEM. POLITICAL SCIENCE	121	25	21		
M.AIII SEM. POLITICAL SCIENCE	123	25	16		
M.AI SEM. GEOGRAPHY	129	25	25		

Bhehr PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushaf Yadda Gollege Guiderdeld, Dist. - Balod (C.G.)

2016-17					
Programme name	Programme Code	Number of seats sanctioned	Number of Students admitted		
B.AI	001	120	120		
B.AII	002	120	24		
B.AIII	003	120	41		
B.ScI	004	80	80		
B.ScII	005	80	43		
B.ScIII	006	80	18		
B.ComI	007	80	78		
B.ComII	008	80	17		
B.ComIII	009	80	20		
M.AI SEM. POLITICAL SCIENCE	121	25	17		
M.AIII SEM. POLITICAL SCIENCE	123	25	23		

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yada**u foilege** Gunderdehl, Mst. - Balod (C.G.)



भागीसगद भाराम चन्य भिन्ना विभाग गंभलमः वहानवी मतन, नवा रामपुर अहंदन नगर जिला-सामपुर

2-1-7 111 9071 -

कारों) का 17 कर 2017 / 20 2 जा रामपुर महरूर नगर, रामपुर, दिनांच छ हो - १६ - ३६ ३ ए

नाम्बर्धः रुक्तं विश्वा समातनालयः इकाती भागः, नम् सम्बर्धः अटल नगरः, समाराम्

विषय:- भन्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये राज 2020-21 हेतु प्रवेश गार्गदर्शिका शिक्षांत रीयार करने धायस्।

सारमी: वापका आपन कृताक 416/149/आउशि/सग/2020 दिनांवा 26.05. 2020

---00-----

भिषयातमेत शंदिवित प्रस्ताय का कृपया अवलोकन करें। शत्य के उच्च रिक्षा विभाग के अंतर्गत सवालित शैक्षणिक संस्थाओं के भिष्य शैक्षणिक सत्र 2020--21 हेतु अनुगोदित प्रमेश मार्गदर्शिका सिद्धात की एक अति संसम्भ प्रीतित है।

व्याया राभी संबंधित राज्याओं को मार्गदर्शिका की पति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिये वर्ग प्रावधानों का वाहाई से गालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का केन्द्र करें।

सलग्नः- उपसंचवानुसार)

(रविन्द्र-मुगार मेधेकर) प्रशास राविध

कामत वासन उस्त शिक्षा विभाग

मु प्रनाम एक 17-95 / 2017 / 38-2: भवा तथपुर अटल नगर रायपुर, विनाम प्रतिशिक्ति-

 तिशेष सहायकः मान्तीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभागः क्रतीसगढ शासनः मंत्रालयः नता श्रायपुर अहल नगरः शयपुर।

 सचित, क्रितीसगढ शासन, उच्च क्रिका विचान, मंजलब, नवा शामपुर कटल नगर रायपुर की और सुवनार्थ अमेरित।

उ गार्थ भाईला

अवर सधिव छ0गठ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

P. (31)
P. (31

174



छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग



छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2020–21 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्वांत

छत्तीसगढ शासन सच्च शिक्षा विभाग

क्तीसगढ के शासकीय/अशासकीय महाविधालगी की रनातक तथा रनातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए गार्गदर्शक रिद्धांत

सन 2020-21

ये गार्गदर्शक सिव्धात छल्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छल्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 के सहत अध्यादेश क्रमांक ६ एवं 7 के प्रावधान के साथ सहपठित करते हुए लागू होंगे तथा सगस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

- प्रवेश के निवमों की शासकीय लक्षा अशासकीय महाविद्यालयों की कक्षाई से पालन करना होगा। प्रवेश से आशय स्नातक कथा के प्रथम धर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकोत्तर कक्षा के प्रथम समेस्टर से है।
- प्रवेश की तिथि :-
- प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-2.1

इस वर्ष विश्वविद्यालय स्तर पर प्रवेश हेतु "ऑनलाईन" फार्म फमा फराया जावेगा। जिन महाथिद्यालयों के लिए जितने फार्म जमा होंगे. उसे उस महाविद्यालय को प्रेषित किये जायेंगें। ऑनलाईन से प्राप्त आवेदनों में से प्राचार्य, शासन से प्राप्त प्रवेश मार्गदर्शिका सिध्यांत कं नियमों के आधार पर प्रवेश प्रदान करेंगे।

- (अ) अपरिहार्य कारणों से यदि "ऑफलाईन" आवेदन जमा करना हो तो आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जायेंगे।
- (य) प्रवेश हेत् बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित धांचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूत्री के आवेदन पत्र जमा किये जा लंदीय ।
- प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना -

स्थानांतरण प्रकरण को छोडकर 01 अगस्त से 31 अगस्त तक प्राचार्य स्वयं तथा 15 सितंबर तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 अगस्त से तथा अन्य कक्षाओं हेतु परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिवस के भीतर) शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार प्रवेश प्रकिया की जावेगी । परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अतिम तिथि महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी किंडिका 5.1 (क)

) उल्लेखित करोचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश जाहने गाले जनमा पुत्र-पुत्रियों की रथान निवस होने पर ही रात्र के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए मार्मवारी हाल कार्यभार ग्रहण करने का ग्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक जन प्रवेश हेलु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की रिथति में ही प्रवेश दिया जायेगा।

आवेदफ के ने किसी अन्यन स्थान (अ) के महातिशालय में नियमानुसार किसी केशा में प्रवेश लिया था। उसके बाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "व" में हो गया, इस स्थान (व) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश लेगा चाहता है, रिका स्थान होने पर ही उसे प्रवेश दिया जायेगा। आवेदक "ख" ने स्थाम (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे. किसी भी नताविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (व) पर स्थानांतरण होते ही. स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (छ) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

- पुनर्मूल्यांकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छात्रों से लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्घारित करना :-विधि संकाय के अतिरिवत अन्य संकायों के पुनर्मूल्याकन / पुनर्गणना में उत्तीर्ण छाडों की 2.7 पुनर्गृल्यायन / पुनर्गणना के परिणाम घोषित होने के 15 दिन तक, सबंघित विश्वविद्यालग क कुलपति की अनुमति के पश्यात गुणानुकम में आने पर प्रवेश की मान्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रतेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्नृल्यांकन / पुनर्नणना म चलीर्ण छात्र-छात्राओं को भी ख्यान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

 - गहाविद्यालयां में उपलब्ध साधनी तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध 3. लगकरण / उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर स्वीकृत छात्र 3.1 सख्या (सीट) अन्तर्गत ही पिनिन्न पन्ताओं के लिए छात्री को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविहालय में प्रयेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो में 30 अप्रैल तक अपना प्रत्ताव उच्च शिक्षा संवालनालय को प्रेषित करें तथा 'उच्च शिक्षा संवालनालय / उच्च शिक्षा विनाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही वर्ष हुए स्थान के अनुसार प्रयेश की कार्यवाही करें।"
 - विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय तृतीय वर्ष एवं पंचवर्षीय पाठ्यकम बी एल एल बी की कक्षाओं में बार कॉसिल द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति संक्शन 32 (अधिकतम 4 संवशन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे।
 - समाद्ध विस्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय / विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित 33 विषय /विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश येंगे।



प्राचारों द्वारा प्रवेश शुल्क जगा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की राूचना देते हुए प्रवेश हेतू प्रवेश सूची :-समित विद्यार्थियों की आहेवनरी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देस है, वहा अधिनार चेकर कुल प्राप्ताकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सहित, सूचना पदल पर लगाई

- प्रवेश संभिति द्वारा आवश्याम संलग्न प्रमाण पत्नी की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्नी से मिलान कर प्रमाणित कियो जाने एवं स्थानातरण प्रमाण-पत्र की गूल प्रति जमा करने के प्रधात ही प्रवेश. शुक्क जमा करने की अनुमित की आयेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रतेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
- निर्वारित शुक्ता जमा करने पर ही महातिशालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानांतरण प्रमाण⊢पन्न की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्थ रूप सं निरस्त 43 कर दिया जाये।
- घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करण की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपमें 100/- अशासकीय मद में अतिरिक्त 4.4 रता से प्रसूला जायेगा, राधापि ऐसे प्रकरणों में 15 सितम्बर के प्रधात प्रवेश की अनुमति नहीं
- रधानांतरण प्रमाण-अग्र की द्वितीय प्रति (दुप्लीकेट) के आधार पर प्रमेश नहीं दिया जारी। स्थानांतरण ग्रमाण-पत्र खो जाने की स्थिति में बिद्यार्थी द्वारा निकटस्थ पुलिस धाने में 4.5 एफ आई आर. दर्ज किया जाये। पुलिस शाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानासरण प्रमाण पश्र का अनुक्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख हों. प्राप्त होने की रिश्वति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाय।
- महाविद्यालय के प्राचार्थ स्थानांतरण प्रमाण-पन्न जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेगिग/अनुशासनहानता/तोडफोड आदि मे 46 सलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलबन्द लिफाफे में सन्द कर उस महाभिद्यालया के पाचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।
- राज्य शासन, द्वारा धासकीय महाविद्यालयां में अध्ययनस्त् रनातक/स्नातकोत्तर स्तर की छात्राओं को शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान की गई है। अतः उक्त निर्देशों का पालन किया 4.7 जाए।
- प्रवेश की पात्रता :-5
- निवासी एवं अईकारी परीक्षा :-5.1
 - छत्तीसगढ़ के गूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिचारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, अर्धशासकीय कर्मचारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कं कर्मचारी राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मधारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर क

- विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। इक्तावतानुसार प्रवेश देने के प्रश्वात भी स्थान रिक्त होने पर जन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अहेंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आयेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (खं) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/बोर्ड से अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को ही महाविद्यालय में प्रवेण की पालता होगी।
- (ग) आवश्यकतानुसार संबंधित विश्वविधालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात्
 ही आवेदक को प्रवेश प्रवान किया जाए।

52 स्नातक स्तर, निगमित प्रवेश :-

- (क) 10+2 परीक्षा उत्तीणं आवेदकों को रनातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु वाणिज्य और कला सकाय के आवेदकों को विद्वान संकाय में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। बी.एस.सी (मूह विद्वान) प्रथम वर्ष में किसी भी संकाय से उत्तीणं कात्रा को प्रवेश की पात्रता होगी। व्यवसायिक पाव्यकम से 12 वी उत्तीणं विद्यार्थियों को कोवल कला संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। परंतु यदि अन्यार्थी ने वाणिज्य संकाय के विषयों से अध्ययन किया हो तो उसे वाणिज्य संकाय में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार 10+2 परीक्षा कृषि संकाय से उत्तीणं आवेदकों को विद्वान संकाय अथवा बी.एस.सी. (वायो/गणित समूह) प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं विद्या जायेगा।
- (ख) स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उस्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं विषयों की कुमश द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक द्वितीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियमित प्रवेश :-


- (क) बीकॉम / बी.एस.सी (गृह विज्ञान) / बी.ए स्नातक प्रशिक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशा एम कॉम / एम एस.सी. (गृह विज्ञान) / एम.ए.— प्रथम सेमेस्टर एवं अर्हकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस.—सी / एम.ए.—प्रथम सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पालता होगी। एम.ए. प्रथम सेमेस्टर / पूर्व — मूगोल में जन्हीं विद्यर्थियों को प्रवेश की पालता होगी जिन्होंने स्नातक स्तर पर भूगोल विषय का अध्ययन किया हो। उपरोक्त के आतिरिक्त अर्हला के संबंध में संकाय की स्थिति में संबंधित विश्वविद्यालय के संबंधित अध्यादेश में जल्लेखित प्रावधान / अर्हता ही बंधनकारी होंगे।
- (या) रनालकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धित की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) रनालकोल्तर कसाओं हेतु ए.टी.कं.टी (Allowed To Keep Terms) नियम :-
 - रनातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवंदकों की प्रवेश के लिए निर्धारित अतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेना अनिवायं है।
 - 2 स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम। के अनुसार पात्र आवेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि सकाय नियमित प्रवेश :-

- रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को विधि स्मातवा प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पानता होगी।
- विधि रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल,एल,एम प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की (41) पाञता होगी।
- एल एल.मी. प्रथम संगेरटर एवं एल एल.एम, प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को कमशा एल एल बी हितीय सेमेस्टर एवं एल एल एम हितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पात्रता (37) होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पंचम सेमेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लागू होगा।

प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--

- विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45%(अनुसूचित जनजाति / अनसूचित जाति हेतु ४०%, अन्य पिछडा वर्ग ४२% होगी। तथा विधि (事) स्नातकात्तर पूर्वाह में 55% अर्क (अन्सूबित जनजाति/ अनूसूचित जाति /ओ.बी.सी हेतु 50%) प्राप्त आवेदकों की नियमित प्रवेश की पायसा होगी।"
- AICTE/NCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA & SITHIGH पाठ्यक्रमों ने प्रवेश / संचालन पर सर्वधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे। 5.6
- सेन्द्रल गोर्ड ऑफ सेकॅण्डरी एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.), इंडियन कॉसिल फार रोकेण्डरी 6. एजुकेशन (आई,सी एसई.) तथा अन्य शज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की 61 परीक्षाए माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य बोर्ड की सूची सम्पद्ध विश्वविद्यालया से प्राप्त कर सकते हैं।
- सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविवालयां जो मारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन ऑफ सूनिवर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के 6.2 समकक्ष मान्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूखर्ती पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं है, की परीक्षाएं मान्य नहीं है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के किसी भी विश्वतिसालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कैम्पर आदि खोलकर काल-छात्राओं को प्रवेश देने/हिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसे संस्थाओं से डिग्री / डिप्लोमा मैसानिक रूप से मान्य नहीं होगा।
- सम्बद्ध विक्रविकालिय द्वारा मान्यता प्राप्त विक्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची ए दिश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विह 63 विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राचार्य सम्ह विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- वर्ष 2012 में प्रारम किए गए एनवीईक्यएफ (National Vocational Educational Qualificat Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक र



क पाठथकमा में वारितलों में लिए अन्य सामान्य विषया की सुलमा में समतुल्य प्राथमिकना गुन्त

कामाक प्रदान की जाते। मक्षासकीय आगोग वानुदान fightheten 1-52/2013(सीसी/एनएसवगुण्या) अप्रैल, 2014 में अनुसार -

"जैसा कि आपको ज्ञात है आधिक कार्य विभाग, विता मज्ञालय द्वारा अधिसृधित राष्ट्रीय क्रीशल अहेता शरचना (एनएसवयूएक) में मानव संशाधन विकास मंत्रालय हारा राष्ट्रीय वार्गसायिक शैक्षिक अलेग सरसमा (एनसिनियूएक) में सूत्रवता क्रिये गर्ग समस्त महत्वपूर्ण सच्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्ष्मूल में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 रसर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्चा शिक्षा से एवं स्तर 1 से स्तर 4 सक को प्रमाण पत्र स्कूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। सर्व 2012 में प्रारम्भ क्रिये गये एउवंडिक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल थोडों द्वारा छाजा को पाठ्यक्रम प्रसापित किये गये और एनविर्डक्यूएफ के अंतर्गत छात्री को समतुल्य / समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किये जा रहे हैं। ऐसे छात्र, एनएसक्यूएफ के स्तर ४ के प्रमाणित रतर सहित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक सफल कर पायेंगे। मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार ने आशंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एव महातिद्यालय में रनातक पूर्व किसी भी पाद्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं तथा जिनके यास +2 रतर में ब्यावसायिक विषय वे वे अलानकारी रिवरित में होंगे। अत मेरा आपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी रनातक पूर्व पाट्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हों तो उस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जाये. ताकि उन छाओ को दौतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुअवसर मिल सके।"

बाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

रनातक स्तर तक बीए / यी कॉम / यी एस - सी / बी एच एस - सी. में एकीकृत पाठ्यकम लागू 7 होने से छत्तीरागढ़ के किसी भी विश्वविद्यालग्/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशा द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पदाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जाये। आयश्यकं हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

छत्तीसगढ़ के बाहर स्थित विश्वविद्यालय/स्वशासी गहाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम / हितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम हितीय, तृतीय सेमेल्टर परीक्षा एवं विधि रनातक स्तर की प्रथम / हितीय वर्ष की परीक्षा उलीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात ही जन्हीं विषयों / विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे ।

राज्य के माहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक गापथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की आही / गठाश जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से विचित कर दिया जाएगा। अन्य शब्ध क आयेदको द्वारा प्रस्तुत वस्तावेजो का प्रमाणीकरण सर्वधिस गोर्ड/विश्वविद्याला से कराया जाना अनिवार्य है।

विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाध्यायीं आवेवकों को स्थान रिक्स होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुगति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।

अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :--

स्नातक स्तर की प्रथम / हितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टगेट) प्राप्त नियमित 8 1 आयेदको को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अस्थायो प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातकोतार संगेरटर प्रथम / हिसीय / तृतीय में पूरक / एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली 8.2 कक्षा गे अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

विधि स्तातक त्रिवर्षीय पाठ्यकम एल.एल.बी. के प्रथम एवं द्वितीय वर्ष में निर्धारित एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने याले या पूरक प्राप्त आवेदकों को अगली कथा में अस्थायी प्रयेश की 8.3 पाञ्चा होगी।

उपरोक्त कडिका 7 के खण्ड । एवं 2 के आवेदकों को अखायी प्रवेश की पावता नहीं होगी।

पूरक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर अस्थायी प्रवेश प्राप्त छात्र / छात्राओं का अस्थायी प्रवेश स्वत 8.4 निरस्त हो जायेगा। उल्तीर्ण होने पर अख्यायी प्रवेश नियमित प्रवेश के रूप में मान्य किया 8.5 जावंगा।

प्रवेश हेतु अर्हताएं :-9

किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्त खात्र/काताओं को उसी सकाय की उसी कक्षा में आमामी वर्ष/ वर्षों में युनः नियमित प्रवेश 9.1 की पात्रता नहीं होंगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो हो ऐसा आदेदक नियमित प्रयेश हेतु अनई नहीं माना जावेगा, उसे मात्र मूल रथानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शपथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवंश नहीं लिया। है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगां।

जिनके विरुद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यागालय में अपराधिक प्रकरण यल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सन्न में छान्नों/अधिकारियों/कर्मधारियों के साध 9.2 दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।

महाविद्यालय में तोडफोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने वाले / रेगिंग के 事品 आरोपी भात्र/भात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जाँच करवार्य एवं जींच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त

क्या जाये। ऐसे धात्र-धात्रक्षों को छत्तीपागय राजा के किसा मा शासकाय असाधनान महाविश्वालय में प्रवेश न दिया जावे।

प्रवेश हेतु आयु -सीमा :-

- (क्ट) एनातक प्रवास वर्ष में 22 को एवं रनातकोतार प्रणा रोगेरटर में 27 वर्ष से अधिक आयु को आवेदकों को प्रवेश की पांत्रता मही होगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की रिवरित में की जायेगी। डिप्लोमा एवं रनातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निव्योगित अधिकतम आयु सीमा 27 वर्ष मान्य की जाएगी।
- (स) आयु शीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय/ कार्यालय तथा जनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित य अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरजार द्वारा आयोजित अध्या किसी विदेश सरकार द्वारा अनुशंसित विदेश से अध्ययन ऐतु मेले गरी कालो अध्या विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा में पेमेंटसीट पर अध्ययन करने वाले छालों पर लागू मही होगा।
- (ग) विधि सकाय में प्रवेश हेतु अधिकतन आयु सीमा का प्रावधान समाप्त किया जाता है।
- (प्र) सरकृत महाविद्यालग में प्रवेश हेतु स्मातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्मातकोत्तर प्रथम समेरटर में 27 वर्ष से अधिक आयु वाले आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- (ह) गिधि संकाय को छोडकर अनुस्तित जाति/अनुस्चित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/ /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट रहेगी। निःशक्त अध्यर्था/ आवेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- 9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविध्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य जविध के उपरांत लगने वाले महाविधालय में प्रवेश हेतुं आवेदन करने पर आवेदक द्वारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के याद ही प्रवेश दिया जायेगा।
- 98 किसी संकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकायों के स्नात्फ पाटयकम में निधमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- 10 प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :-
- 10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जायेगा।
 - (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा
 - (ख) विधि रनातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविश्वालय द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार होगी।
- 10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जायेगी।
- ग्राचिश हेतु ग्राथमिकता :-
- 11.1 स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताक के आधार पर प्रावीण्य सूची तंपार की जावेगी।

नाशक हमालकोत्तर अगली बध्याओं में प्राथमिकता का आधार अहंकारी परीक्षा में उत्तीर्ण (नयभित्र / उन्तीर्ण भूतपूर्ण निमसित / एक विषय में पूरण प्राप्त पूर्व सन्न के निधमित / स्वाध्यायो

11.3 विधि संसाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, यरंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करन

वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कन यथावत रहेगा। स्नातक स्तर के त्रिवर्षीय पाठ्यकम के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए प्रवेश के किसी भी गहाविद्यालय में प्रदेश के अन्य स्थानों / तहसीलों / जिलों के निवासरल अथवा परीक्षा उस्तीर्ण

करने वाले आवेदक विद्यार्थीयों को भी गुणानुकम से प्रवेश दिया जाए।

किसी एक विषय की रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कता में प्रवेश गराविधालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

आरक्षण फलीसगढ शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा —

पत्येक शंक्षणिक सत्र में प्रदेश में सीटों का आरक्षण तथा किसी शंक्षणिक संस्था में इसका 127 विस्तार निम्नितिशित रीति से होगा, अर्थात् --

आध्ययत् या लकाम की प्रत्येक शाखा में वार्षिया अनुवाद्य राख्या में से वर्तीस प्रतिकत सीर्ट अनुसुचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

अवस्थान या समाय की प्रत्येक भागा ने गार्थिक अनुझात संख्या में से बारह प्रतिकात (28) सीट अम्स्वित जातियाँ के लिए आपहित रहेगी।

अध्ययन या सकाय की प्रत्येक शास्त्रा में वार्षिक अनुझपा संख्या में से सीवह प्रतिशत सोटं अन्य पिछड़े चर्ग के लिए आर्झित रहेगी। परन्तु, जहाँ अनुसूचित जनजातियों के (H) लिए आरंभित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलब्धता के कारण अंतिम विधियों पर रिक्त रह जाती हैं, तो इसे अनुसूचित जातियों से तथा विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात भी, जहाँ खण्ड (क) भरा जाएगा। (ख) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियों पर रिपत रह जाती है, तो इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

विन्दु क 121 के खण्ड (क), (ख) तथा (म) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरक्षण (1) 122 उध्योधर (वटीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।

निश्चवत व्यक्तियों, महिलाओं, भूतपूर्व कार्मिको /भूतपूर्व सैनिक, एवतन्त्रता संग्राम (2) सेनानियों के बच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के संबंध में झैतिज आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस अधिनियम वे प्रयोजनों के लिए अधिसूचिल किया जाए तथा यह बिन्दु के 12.1 के खण्ड (क), (ख तथा (ग) कं अधीन यथास्थिति, उध्योधर आरक्षण के भीतर होगा।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों, पीन्न, पीत्रियों और नाती / नातिन के लि 123 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेंगे। निशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिए 5 प्रतिशत स्था प्रस्थित एक्ट्रेस <u>।</u>

रागी गर्गो में एपलचा रधानों में से 30 प्रतिरात खान धात्राओं के लिये आरक्षित हाने। आरक्षित श्रेणी का कोई समीदकर अधिक अंक गाने में कारण अनारिकत श्रेणी जोपन व्यवसीटीशन है नियमानुसार मेरिट सुती में रहता जाता है हो आरक्षित श्रेणी की सीट राधावत अप्रभावित प्रोमी, परन्तु यदि ऐसा विद्याणी किसी संवर्ग जैसे- स्वतंत्रता समाम रीनानी आदि का भी है तो संबंध की यह सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष सवर्ग की सीट भरी जारीगी।

.पारक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 रो कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नही होता 📆 🖫 प्रतिशत् एव एक प्रतिशत् के बीध आने पर आरक्षित स्थान की संस्था एक

जम्मू-कश्मीर विख्यापिलों तथा आक्षितों को 5 प्रतिशत तक सीट यृद्धि कर प्रवेश दिया 127 जाए तथा न्यूनतम आंग्र में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

समय-समग्र पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये।

कडिका 12.1 में दर्शाई गई आएक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यायालय मिलासपुर के 126 12.9 निर्णय के अध्यधीन रहेगा।

तृतीय लिंग के व्यक्तियाँ को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रकरण क्रमाक डब्ल्यू.पी.(सी) 409/2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अधौरिटी विरुद्ध भारत 12.10 सरकार एवं अन्य में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कंडिका 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि - "We direct the Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments," (4) कडाई से पालन किया जाए।

अधिमाए -13

(4)

अधिभार गात्र गुणानुकम निधारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अईकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा अधिनार हेतु संगस्त प्रमाण-पन्न प्रवेश आवेदन-पन्न के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पन्न जमा करने के परवाल बाद में लाय जाने / जमा किये जाने वाले प्रमाण-पन्नो पर अधिमार हेतु विवार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर माच सर्वधिक अधिमार ही देय होगा।

एन.सी.सी. / एन.एस.एस. / स्काउट्स 13.1

रकाउटस शब्द को रकाउट्स/गाइड्स/रंग्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ़ जाये।

02 प्रतिशत एन एस एस. / एन.सी.सी. "ए" सर्टिफिकेंट (iii)

03 प्रतिशत एन एस एस. / एन सी सी "बी" सर्टिफिकेट (13) या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स

०४ प्रतिशत 'सी'' सर्टिफिकंट या वृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स 11)

०४ वतिशत राज्य स्तरीय संग्राह्मालयान एन सी.सी. प्रतियोगिता (EI) में गुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को

E	100		
	(ग) नह	Beel in dates from any a comme	०६. प्रतिशत
1	यो	एन सी सी. / एन एस एस. कटिन्जेन्स में नाग लेने	
		ले विशाणी को	95 प्रतिशत
	(E) (E)	ज्यपाल स्काउद्श	10 प्रतिशत
	(वा) रा	द्भाति स्काउट्स	10 प्रतिशत
	(a) B	लीपागढ का सर्पक्षेप्ट एन.सी.सी. केडेट	10 प्रतिशत
	(य) ड	यक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी सी. केंडेट	In Notice
	(4) #	ारत एवं अन्य सार्ग के कृत्र यूथ एक्सचेल प्रामान प	
	71	मा लेने वाले कंडेट, एमसी सी / एम.एस.एस के 1लए	
	Y	ायनित एवं प्रवास करने वाले फेंडेंट की अन्तराष्ट्राय	15 प्रतिशत
	-	लगरी के लिये घमनित होने याले विधार्थिया का	10 प्रतिशत
.07	arrest f	वेषय पाठ्यकम् में उत्तीणं विद्यार्थी को स्नातकोतार	10 810410
13.2	2	्र क्रिक्स के स्टोबा प्रोड़े पर	12
13.3	खेलकूद (1)	/साहित्यिक/सांस्कृतिक/विवज/रूपाकन प्राायाताताः लोक शिक्षण संग्रालनालय अथवा श्रत्तीसगढ उच्च शिक्षा वि जिला, संमाग स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आ	योजित अंतर समाग्र संस
	(m) (m) (2)	प्रथम हिताय तृतीय स्थान प्राप्त टाम के प्रत्यक राज्य वाले के व्यक्तितात प्रतियोगिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त करने याले के उपयुक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/संद अध्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन अनीसमाग राज्य स्तर अध्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अध्या भारतीय विश्वविद्यालय संद प्रतियोगिता में अध्या सारतीय विश्वविद्यालय संद प्रतियोगिता में अध्या संस्वीय कार्य मंत्रालय भारत सर	1 04 प्रतिशत गलनालय द्वारा आयोजित द्वारा आयोजित अन्तंक्षेत्रीय ए आई.य. द्वारा आयोजित
		- 1 m A	14.1
	(26)	प्रात्योगिता म - प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य व	
	(ख)	िक्ता प्रतिमोशिता में उपयुक्त स्थान प्राप्त पर	०५ प्रतिशत
	(ग)	संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को भारतीय विश्वविद्यालय सघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार	
	(3)	अपनीम विश्वविद्यालय सघ द्वारा आयाजत, सरायाज कर	4 Hallow Fr
	101	आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :- व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम हितीय, तृतीय स्थान प्राप	- N
	(事)		
		करने वाले को	म 12 प्रतिगत
	(12)	करने वाल का प्रथम, द्वितीय अधवा तृतीय रथान अर्जित करने वाली दे	
		A -A	

के सदस्यों को

(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को

10 प्रतिशत

वस एवं अध्य शब्दों के मांभ यूवा अध्या साईन्स एवं वननारन इक्सबंज प्रोगाम के तहत् विद्यान / सास्कृतिक / साहित्यिक / कता क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को

10 प्रतिगत

हस्तीरागव शासन् / ग.प. से मान्यता प्राप्त क्षेत्र संधी द्वारा आयाजित राष्ट्रीय प्रतिगीगिता में

क्रसीक्षमद्भाग्य का प्रतिनिधित्व करने वासी शीम के सवस्य को

10 प्रतिमास

12 प्रतिशत प्रथमः द्वितीयः सुतीय स्थान प्राप्त करने वाली वस्तीसगढ की टीम के सदस्यों को

जम्मू-कश्मीर के विश्वापिती तथा उनके आधिती को

०१ प्रतिशत

विशेष प्रोत्साहन :-13.7

छल्तीसगढ़ राज्य एवं महाविद्यालय के हित में एन सी.शी./संलकूद की प्रोत्साहन देने के लिए एन सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ट कैंडेट्स तथा ओलिपवाड/एशियाड/स्पार्ट्स अधारिटी ऑफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय रतर पर आयोजित खंल प्रतियोगिता मे भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुकम के आगामी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं में सीघो प्रवेश दिया आए जिनकी उन्हें पात्रता है कि :-

इस प्रकार के प्रमाण-पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण, छत्तीसगढ़ शासन (1) द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एव

यह सुविधा केवल उन्हीं अन्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्घारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय में प्रस्तुत किया है, घरन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी (2) बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले चार कमिक सन्न तक के प्रमाण-पन्न रनातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन कमिक सत्र तक के प्रमाण-पत्र अधिमार हेतु मान्य किये जायेंगे। स्नातक द्वितीय, नृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेलु पूर्व सन्न के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।

सकाय/विषय/गुप परिवर्तन :--14

स्नातक / स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में आईकारी परीक्षा के संकाय / विषय / गुप परिवर्तन कर प्रवेश बाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा अधिमार घटे हुये प्राप्ताको पर देय होगा। महाविद्यालय में रनातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लंगे के बाद वर्तमान सक्र के दीरान संकाय / विषय / गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम आने पर कड़िका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम तिथि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुगति उन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय / संकाय की मृत गुणानुकम सूची में अतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हो।



15. शोधा भी के महाविद्यालयों से भी एक ही के आधा भाषी को तो वर्ष के लिया प्रतेश दिया आसामा । मुख्यवस्था । प्राथमिक वसमें आपूर्ण १८ जाने जी संबंधि में सुगरमाद्ववर की अनुधरमा कर यासार्य इस सम्भावित वर्ग अधिकलम् । वर्ग वस सम्भित्र भाग क्लिसिस आवहन एस में आवहन वर्तिमें प्रवेश के कव निवारित शुल्क जना करने के बाव है। विस्तित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शोध रमञ्जू को लिये समिता मान्यातमालन द्वारा पीएय-की विदेशन हेन् तली। में शहरत मान्य प्रध्यापक सुपरवाहणाः विकाधिकात्मय द्वारा निवाधिक विकास के अवस्थि ती अपना प्रोधे। कामे रापादन करेंगे। आमान आकाश लेकर कोई शिक्षण यदि जोता छात्र के रूप में कार्यरत है सी राज्ञम अधिकारी द्वारा बेधित उमरिवात गमाण-पण पूर्व प्रति तीन मात् की क्यारे प्रगति विपोर्ट प्राप्त होने पर ही नेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक रहे उत्ता

महत्तीताला में पहरण प्रध्यापक सुपरवाद्यवन के अत्यव स्थानातरण हो आन की रिसरि अवस्थित विस्ता अधीया । में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य वालू रख राजती है जहां स उनाज शान आपैचन पत्र अरोधित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपशना शोध का प्रकः उसी महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे। संबंधित विश्वविद्यालय के शोध अध्यादेश के साथ सहपवित करते हुए लागू होगा।

जाली प्रमाण-पत्नों, गलत जानवारी, जानवृझकर छिपाये गये प्रतिकृत तथ्यों, प्रशासकीय अध्या कार्यालयीन असावधानीक्षण यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश का 16 161

प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के बिना लगातार एक मार या अधिक समय तक अनुपरिधत एहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य

प्रवंश में बाद संत्र के दौरान कड़िका 9.2 एवं 9.3 में चर्णित अनुशारानहीनता के प्रकरणा म लिएत विद्यार्थी का प्रथेश निरस्त करने अधवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्थ की

प्रवेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निर्दर होंने अथवा उसका निकासन किये जाने की रिव्यति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त

अन्य कोई शुलक वापिस नहीं किया जायेगा। प्रवेश के मार्गदर्शक सिवातों के स्पन्धिकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में मार्गदर्शन जी आवश्यकता होने पर प्राचार्ग प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए र्याटीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उत्त्व शिक्षा, छत्तीसगढ, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश सवर्थ किसी भी प्रकरण को कंवल अग्रेपित लिखकर प्रेपित न किया जाये।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त उच शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धातों में समय-समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरस ्रसलग्न का सपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा ब्लॉक—सी—3 द्वितीय एवं तृतीय तल इन्द्रवती भवन, अटल नगर,रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक /२५२०/ %%२ / जाउशि / समन्वय / 2019

अटल नगर रागपुर,विनाक,24/05/2019

- कुल सचिव, सगरत विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ (
- प्राचार्च, समस्त अग्रणी महाविद्यालय, छत्तीसगढ़।

विषय :- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सत्र 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धात।

संदर्भ :- अवर सचिव छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग का पत्र कमांक एफ 17-95/ 2017/ 38-2 अटल नगर शयपुर,दिनांक 24.05.2019

जपरोक्ता विषयानार्गत लेख हैं कि छ.म. शासन जच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्न 2019-20 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये हैं। प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धात 2<u>019-20</u> की प्रति संलग्न कर प्रेषित हैं।

क्यया आप अपने एवं अपने अधीनत्थं समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयां को पन्न की कायाप्रति उपलब्ध कराते हुए प्रवेश गार्गदर्शिका सिद्धांत 2019-20 में दिये गये प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करावें।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(डॉ.किरण गजपाल) संयुक्त संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय, अटल नगर रायपुर (छ.ग.) अटल नगर रायपुर, विनाक (२५/०५/२०१९

पृक्तमाक/२,५न४ ८४७ / आउधि / समन्वय / २०१९ प्रतिलिपि :-

अवर सचिव छ ग. शासन, उच्च शिक्षा विमाग की और सदर्गित पत्र के सदर्ग में सूबनार्थ।

 क्षेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय, उच्च शिक्षा रायपुर/ विलासपुर/जगदलपुर/ अंबिकापुर / दुर्ग की ओर सूचनार्थ ।

> संयुक्त संघालक उच्च शिक्षा संघालनालय, अटल नगर संयपुर (छ.ग.)

अस्तीसम्ब शासन अस्त शिक्षा विभाग गंभालयः पानची पतन, जाटल नगर जिला सम्बद्ध

प्रताम एक १७ वर्ड ४२०१७ ४ अहा र वाहता नगर, समपुर विनाव है। ४ ४०० प्रताम

अध्युक्तः उन्त शिक्षा समालगालयः इडावती गर्वनः नया सम्बद्धः।

विषयः ' छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक शंस्थाओं के लिये राज 2018-20 हेतु प्रवेश

मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने भावत्।

सदर्गः- आपका प्रस्ताव जावक क्यांक १०१७ विनांक ०६.०५ १०१७

----()()------

विषयातगीत सदिगित प्रस्ताव का कृषया अवलोबल करें।

२/ राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत संचालित शंक्षणिक रास्थाओं के लिये शंक्षणिक सन्न 2019-20 हुलु अनुमोवित्त प्रवेश भागेदर्शिका सिताल की एक प्रति संवर्ग प्रेषित है।

कृषया सभी समझित रारधाओं को गार्गदक्षिका की प्रति उपलब्ध करात हुए मार्गदक्षिका में दिया गये प्रावधानों का कहाई से भालन किये आने हेतु निर्देशित

करने का काट करें। संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(श्रीनेन्द्र गेंग्रेकर) अबर सचिव

क्रवराव शासन, उच्च शिक्षा विभाग

मु मामांक एक 17-95/2017/38-2 आटल नगर समपुर दिनांक / /2016 प्रांतरिस्थि-

1 विशय राहायक, मामनीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, १४.म. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।

सिंच्य, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, गंत्रालय, नया शयपुर।
वशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, गंत्रालय, नया शयपुर, छ ग ।

ıł.

की और सूचनार्थ अग्रेपित।

गार्ट पाईल।

्यावर राधिव

धवगव शास्त्र, उच्च शिक्षा विभाग

अल्लीसमह कासन उन्न ज़िला विभाग

प्रतिकारण के भाराकीय≯अधारोकीय महाविधालको की स्नातक तथ्य स्नातकोत्तर करणको है प्रदेश के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

REST 2019 20

44140

र कार करोते । जास प्रश्लीसम्बद्ध के समें। श्रीस्कोश अभारतकोल संशीतहरूलोस से अस्तास्कार ित्य विकास क्षेत्रकार प्रतिक्षण १९७३ मी साहार आधारण क्षेत्रकार ६ एवं ५ क आसीतार के रहण मार्थात १ रहे हुए जामु होस क्या समस्य प्राचाचे इनमते पालन सुनिविद्यत गहरणे।

मार के मियम को शासकीय (एम अभासकीय महाविद्यालमा का केनाई से Histor करना ानी अंदर्श से आधार स्वातको केद्रा क प्रथम वर्ष उल्लाम प्रथम साम्बद्ध तथा स्वातको स्वातको क्त व मून अवना प्र<u>त्या समस्तर से हैं।</u>

प्रवेश की लिखि -

अवेश होते आवेदन पत्र जामा करना 🌭

जानका जारा चनाविद्यालय ने प्रवेश के लिए प्राचार्य प्राप्त निर्मारित जानेवन पत्र, समस्त प्रमान ्या सार्व्य विकासित दिवास लक्ष महाविद्यालय में जमा किया जाएमें । विभिन्ने कहाती में प्रवश ह हम द्वाराहर पुत्र क्रम जरा करने की अंशिम विभि को मुचना महाविद्यालय के प्रांतार्थ क्षीरा त्राल<u>क क्षेत्र</u> पर क्षेत्र से कल साम क्षित पूर्व लगाई जावेगी। प्रवेश हेत् सोर्व विकासिकारस वता के त्यारे इंदान न विन्य नहीं की स्थिति ने यूर्व साम्या के संबंधित प्रानार्थ होता प्रकारित कृष जाम पर किया, अकर्याची को आवेदन पत्र काम किये जाये।

प्रवेश हेत् अतिग तिथि निर्धारित करना :-

ल्यान्त्रात । सेवलमा को घरकार 15 जुलाई तक घलार्य त्यम तथा तथा उर जुलाई तक नुल्यात कर अनुगात व आकारो प्रवेश वेन स राक्षण द्वींगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि or जून से ाथा अन्य कक्षाओं हेत् वह जून से प्रांतम होगा) परीक्षा परिणाम विलग्ध से धीपित होने की tern : ज्यान हुए अवित्व क्षिण maldement में प्रशेक्षा महिलाम उपन कीन की स्त्रीय से हुए व्यान केल किलाने विश्वतिकात्त्व नार्ड प्राप्त गरीक्षा प्रतिकाम वाव्यत होना की विश्वित से 15 दिन ार आ भी पहले हा गान्य होगा। लडिका इ.१ (म) में उल्लेखित, अमेनारिया व स्थानातारेत माने घर प्रवश की आतिम तिथि के बाद प्रवेश थाहरे वाले चनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान शिवत हत पर के रहा के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए वार्गभाषी हारा वनवंतार प्रदेश हरने हुन प्रमाण मञ्ज प्रसात बहरना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु चित्रीरित आक्रेन तिथि के पूर्व क्षा वह विद्यालय में प्रवेश रहत की स्थिति में ही प्रवेश दिया जायगा।

रमप्टीकरण ।

1

वार्वका क न किसी अनाव नवान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कवा में प्रवेश िस्ता । । । । । । । । वाद वस्ताने मालकू का स्थानीतरण स्थान "च में हो मया, इस-स्थान कि के ां च मा अंदे ना मा अंदे नाई अनेशा खेला बाह्यत हैं. किया स्थान तीना वह ती तर्ज प्रवट दिया। appears, whereas we do some that the own was is to be a wider to the th

monatures a significant face their metals of some pay the experience matrix carries and the models of the significant and the

्यक्रियाक्ता में दालीजे भानों के लिए प्रवेश भी अतिम तिथि निर्धारित करना -

्रा क्रिकारण करका का मानणा होता। क्रिकारण के जातार कर कारत का तेनतेंद्रतावन में क्ष्मित का स्थानका को क्षान हिंगा बान कर द्रा क्रिकार के जातार कर कारत का तक्का मान क्रिकार के विवास का कारत का तक्का मान क्रिकार के विवास का तक्का मान का तक्का का तक्का

प्रवेश राख्या का निर्धारण :-

्या विश्व क्षेत्र में अपलब्ध सम्मान तथा कथा में बहन की व्यवस्था, प्रभागणाल में अपलब्ध की व्यवस्था आदि के आधार पर पूर्व में दी कई के प्रभार है। विभिन्न कथाओं के लिए भागों को प्रवास दिया व्यवस्था विभाग कि विभाग के प्रवास दिया व्यवस्था विभाग के अपलब्ध में सीट की वृद्धि व्यवस दिया विभाग विभाग कि विभाग से विभाग सी विभाग की वृद्धि व्यवस्था में सीट की वृद्धि व्यवस्था में सीट की वृद्धि व्यवस्था में सीट की वृद्धि व्यवस्था में सी के 30 अप्रवास विभाग की वृद्धि व्यवस्था में सीट की वृद्धि व्यवस्था में सी की 30 अप्रवास विभाग की वृद्धि विभाग की व्यवस्था विभाग की वृद्धि विभाग की वृद्धि विभाग की व्यवस्था विभाग की वृद्धि विभाग की वृद्धि विभाग की व्यवस्था विभाग की वृद्धि विभाग की विभाग की वृद्धि विभाग की वृद्धि विभाग की वृद्धि विभाग की वृद्धि विभाग की विभाग की वृद्धि विभाग की विभा

विता है। है। विवास पूर्व पूर्वीय पूर्व की कहाओं में बार की कि हारा निवासित कारा निवासित कारा निवासित कारा निवासित कारा निवासित के न

प्रवेश सुवी

W.

÷

- प्रभाग ताम प्रतेश गुलक लगा करने की निधारित अतिम तिथा है। सुनना प्रते हुए प्रवास तत्
 मांगत विद्याधियां की अर्थकारी परिक्षा में प्राप्ताकों एवं जहां अधिमार पंच है जहां अधिभार किए जुल प्राप्ताकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक सृहित; सूचना परल पर लगाई निधारी।
- ्य प्रवाह दिया गया' की गाहर लगाकर उसे रद्ध करना वाहिए। प्रकार प्रवाह करने की अनुवात दो जायगा। प्रवंश पने का तलकल बाद रव्यानालरण प्रमाण - वे पर प्रवंश दिया गया' की गाहर लगाकर उसे रद्ध करना वाहिए।



न्यानाहरू होत्तर आहे करने कर हो महाविधालक में बंधा सन्य होगा है विकास हो होता है। है है है है है है है है है है

नामित प्रतित सुन्ना और शुक्रक जाम करने और अधिक रेजमें 166 जा स्थान रेजम सेने पर समा रेजन्य न निर्माणानुसार प्रन्ता तन् जिल्ला शुक्रक रूपमें 166 जाराहराकीय महिल्ला सामितिक र रूप महिल्ला

े त्यात १) तात्र करण लहा कु छात्र छाता व त्रुंत अववन क्षित । । स्त्रित १ ता नहीं की एकता प्राप्त मान स्वित मान स्वत्र का त्रुंत अववन किया । । स्वत्र १ ता नहीं की एकता किया जा सकता है। हम हुई विद्यालों से बचन स्वत्र का संव्याल स्वत्र के विद्याल स्वाल क्ष्र की जान स्वत्र मान को अनुक्याक की विद्याल का निब्द्ध जान स्वत्र स्वत्र के विद्याल स्वाल किया जाने स्वत्र मान स्वत्र मान स्वत्र का निब्द्ध मान स्वत्र का स्वत्र का स्वत्र का स्वत्र का स्वित्र मान स्वत्र का स्वत्य का स्वत्र का स

ार्यात । शासान, ताला शिक्षा विभाग की आवेश कलाव 2653 / 2014 / 38 1 विनाक 10.08.2014 अनुसार राज्य शासान, एतद द्वारा, शासाकीय नहाविद्यालयों में अध्यसनस्व रनात्वा नात्व की विभाग की विभाग की शिक्षण श्रीता से प्रदान करता है।" का प्रकार जाए है

प्रतेश की पात्रता :-

-14

4.1

51

निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

- त्व वार के मूल स्थामें अलीसमद में स्थामें संपरिताना किसा, राज्य या करेंद्र स्व हार के भासतीय कर्मवारी अधिभारकीय कर्मवारी संध्रा प्राह्वत लिनितंत्र कृषक के प्रकाश संपरिताल प्रदाक्त प्रकार संध्रात संध्रातित त्यायसायिक संगठनों के कर्ववारी जिनक प्रदाक्त अलीसमद में हैं उनके पुत्र प्रविधा एवं जम्मू कर्मिर के विस्ताविता तथा उनके आधितों को ही शासकीय वहाविद्यालया में प्रवश विधा अधिमा अध्या प्रमान अध्या प्रवास प्रवश के प्रध्यात भी स्थान शिक्त होने पर अन्य संघर्ष के प्रान्यता प्राप्त वार्च एवं अहेकारी परीक्षा उन्तीर्ण आवेदकों को निधमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश विधा जा संकता है।
- ्रत्य व्यवस्था विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय होता वात्यवा प्रदेश विद्यालय से
- आ श्रीकतानुसार संबंधित निश्वविद्यालय स पात्रता प्रमाण पत्र प्राप्त करने क परंगत
 शा अविद्या को प्रवेश प्रदान किया जाए।

etrone sax fauther uppr

- The second in the second of second second of second second of the second second of the second second second of the second second of the second second
- ्रेस्ट्र । इंग्लिंग कुरान्त त्या म् स्टेस्ट्रिस प्रशासित प्रथम की कार्या अस्ति कार्या । एसा वर्ष्ट्र । स्थान वार्ष्ट्रान्त कुरान्त त्या म् स्टेस्ट्रिस प्रथम की कार्यात कार्यात कार्यात स्थानक विशेषक हा जार्या

र-गतकीवार स्वर निक्मित प्रवेश

- ्रात्तात का प्रश्नाता (मृत्र कार्यक्रक) का प्रश्नात प्रश्नात का विकास विकास का विकास का विकास का विकास का विकास विकास का प्रश्नाता (मृत्र कार्यक्रक) का प्रश्नात प्रश्नात का प्रश्नात का विकास का वितास का विकास का विकास
- ्या व्यानावार प्रथम वर्ष प्रथम सेमस्टर नरसीर्ण अवस्ता का उसी विषय के उन्तर्भकार है। विकेश वर्ण में विषयोग्न प्रवश की पालता होगी | समस्टर प्रदाश की पूर्व अटेक्टर प्रसार - गण्ड आनेदर्भ कर अवस्त्र सेमेस्टर में नियमिन प्रवश की पालता होगी।
- " at 40 " Littlett itst Qu'll de d), Pattoneed to beep Ferring, "Bald!"
 - प्रवेश के लिए क्षिप्र क्षिप्र विभवन में प्राविधि के पूर्व प्राविधिक प्रवेश सना अभिवास है।
 - र लावकीतार हामिय सेमेस्ट्र में ए.श.कं.श. (Allowed to Keep Terms) निकाम का अनुसार मान आन्द्रको को उपने वैद्यान से प्रातीवन प्रात्त की पात्रका अनुसार का

- विभि सालाय निसमित प्रवेश -

- ्रेड रोजर्च प्रदेश कर्नालें आवंदका का लिय रनावन प्रथम को से जिसामत प्रवाह का
- ना वान स्थानक प्रक्षिण अस्तिवासे को एकाएकाएम प्रथम वर्ष में विशासक प्रवेश गाँउ तन्त्री वानी ।
- हानात्र प्रत्येष प्रकार विशेष संबंधित तथा होत्र के में से स्वता का निवास की स्वताय की

प्रयोग हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनराम अंक शीमा :-

विषय र-वेतिक प्रतान वर्ष म प्रवेश रहेते न्यून्तम् अक सीमा बार्य्युक्तन्त्रकेता वर्षावर्षाः अनुस्ताना जाति हतु ४०%) श्रामा तथा तिति स्वानवर्तनार पृत्तीह र ५५% वर्षा लानसीयत वनवाति अस्मितिक वाति असी सी सतु ५०%) प्राप्त आवन्त्रमा क्र SHEAD NOTE THAT CON NOTE OF INDIA MEDICAL COUNCIL OF INDIA 41 EQUIPMENT OF THE COUNCIL OF INDIA 41 EQUIPMENT

: महिल्ला विकास

प्रदेशन है के साथ करोड़ के मार्थ केरन करने के अपने का मार्थ केरने के के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स विद्यान के स्थान के के स्थान के

में इटाइट में आहत किए गए एनतीईन्यूएफ (Sadonal Vocational Fibrational Challefication Transcount) के अंतरीत करतीये आजवार्त को छोड़बाँदिशास्त्र एवं प्रशाविद्यालये में इन्तिहरू प्रति च्यान का व्यावस्था के उत्तर अन्य अन्य सामान्य विकास की मुल्ली में समान्य प्रवासित्त

ेर कार्यक्तीकी इन्तिन्ति अपने अपने अपने अपने अस्तिन । इन कार्यक्तीकी इन्तिन्तिक्षिति अपने अपने अपने अस्तिन

ना कि कारनी हा में आपने क्यां क्रिया कि सामित होता है एक प्राप्त सामित है। उन्होंने हैं क्यां क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के सामित क

वाह्य आवेदको का प्रवेश :

- ्रेन के इंग्ड्रेन्स्ता को स्टूर्वीकार वी.एस-सी. विश्व एक एस सी. में एक क्वित पाठ्यकर लागू होते के असीवार्य का विन्दा में विश्व विद्यालय है स्वयंत्र से प्राप्त है दिवस को में महेला जल्दीओं आवेदकों को समक्ष कि प्राप्त सूर्व में में प्राप्त की पाठ्य में महेला के लोग के स्वयंत में महेला के कि पाठ्य के स्वयंत महिला महिला के सूर्व की सह मिन्स किया के सुन्त में निवार के मिन्स की महिला के सुन्त में निवार के मिन्स की महिला के सुन्त में निवार के सुन्त में महिला के सुन्त में महिला महिला महिला महिला महिला महिला महिला करते हैं मिन्स महिला म
- (4) इंटर्लिश्वाट के ब्राइट सिम्ब निष्यिद्धालय, रवशाशी महाविद्धालया से स्वालक रतर का अवन विद्यालया, स्वशासी महाविद्धालया से स्वालक रतर की की की या प्राण दिलाय में सेवटर पंत्रिक्ष एवं निर्म स्वालक रतर की प्राण विद्यालय ने सेवटर पंत्रिक्ष एवं निर्म स्वालक रतर की प्राण विद्यालय ने विद्यालय की प्राण प्राण
 - ्रिका की बाहर की विद्यार्थित को निर्मारित प्राच्छा में एक शपक पन्न देना होगा किसी वा अन्य की होने हमान जानवारी पाए जाने पर सर्वित विद्यार्थी का अन्य करता वान्य के कि कि कि प्राच्छा वे किया मा विद्यार्थित में अन्य से बीचेत कर दिया जाएगा। जन्म राज्य के कि विद्यार्थित के अनुवाद करती है। अन्य सम्मान का अन्य राज्य के किन्द की किसी अनुवाद करती है। अन्य अनुवाद करती है। अनुवाद करती है।
- रण महानिया, या मानावा प्राथमिक भिष्मा को स्थान्यायी आवेदका का स्थान रिक्स राज वर राजा भागीता, या मानावाद प्राथमिक विषय अर्थ नवकर एक, भिर्मिता शुल्क लेकर मध्य प्रधानिक कार्य करण को कम्मान प्राथमिक से वा संस्थिती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने पाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व
 अर्थायी प्रवेश लेना-आनिवाय होगा :--
- है। 10 है जाता स्वतिक स्तर की प्रथम है कितीय येथे की वर्राक्षा में पुस्तह परीक्षा (कर्णार्ट्सेट) प्रणा क्रियम के विस्ता की अंगली करात में स्थान स्तान पर अस्थानी प्रथम की पानीस तीर्य क
- and the second state of the second points of the second se

The first of the second control of the second control of the second of t

र्वताच्या करिया । इस साम्य र वृत्ते हे के आवश्यक के अस्तिहरू के क्षेत्र की पाला करिया । ताला विकास कर्मित । असे प्रतिक्षिण विकास करिया के क्षेत्र के कि विकास करिया । स्थानित के ताला विकास करिया । इस सामानित करिया के कि विकास के कि विकास करिया ।

प्रकार हेत् वाहेताच्

The statement of the st

The state of the first order of the state of

मन प्रवेश हेतु आयु सीमा —

पा राम संकार में कोचे तेत ओवा तेत अधिकता आंद्र संका का प्रकार क्रम विकेश के म

- The spot to the state of the st
- ्या प्रदेश व प्रतान अन्य अस्त स्थान अनुस्ति आस्ति अनुस्ति अस्ति। विकास अस्ति व विद्या आवश्यक वा स्थान आस्त्र आस्त्र मुख्य आस्ति अस्ति स्थान विकास अस्ति। अस्ति व प्रतान अस्य अस्ति स्थान अस्य अस्ति स्थान अस्ति।
- त्तव विशेष प्रतिविद्यालयं स्थानिक विशेषित प्रतिविद्यालयं विशेषित विशेष्ट विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष विशेष व विशेष विशेष विशेषित विशेष विशेषित प्रतिविद्यालयं विशेष व विशेष विष
- पर परिता अंतरण से स्वातन ज्यानि भारत राजना को संस्था की वेनसी अंतर संस्था स्थानन के स्थान
- तम अवेश हेल् मुनास्क्रम का नियास्न !-
- their release section is appropriately upon the properties absorbed at their motion
 - (4) रनावक एवं रनातकालार नेहाकों म प्रवेश हतु आकेकोरी परोक्षा के प्राप्ताक एवं अधिक वस है जो अधिकार जोजकर प्राप्त कुल प्रतिशेत अवत के आधार पर तथा
 - भ निर्मा समाप्त प्रभव तम में सम्बद्ध विश्वतिर्द्धालया में प्रवेश परिश्वा की बावरवात हो। विर त्रवद्धालये द्वारा ज्यारिक समावाता । ज्यानुसार एक्ट्रीय
- ारकतात होते प्रसारक विश्वक विवास मुख्या मारक्या व्यवसार प्रश्वेत ता तिवार व्यवसार वाक व्यवसार विवास व्यवसार व
- ा प्रवेश मेचु प्राथमिकला :-
- the sit which wilder the fill dentity and a series adapt treet
- ११२ इनार्वकः स्वार्वविकार असावी कराजा में प्राथमिकता का आधार केहकारी वरीक्षा व उत्ती कार्यकाः वालाम मृत्यूने नियाविक्र एक विषय में यूरक प्राप्त पूर्व सक्ष के विचीपात स्वार्थकः विज्ञानिया के कम में संस्ताः
- ्राल काम का प्राथमिकता के जामनी केनाओं से पुरुष भागा में पहिलों कर्माण क्रम क्रम काम काम का मा
- स्त्राच्या प्रतिक विकास स्वर्थित प्रतिक स्वर्थित स्वर्य स्वर्थित स्वर्य स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्य स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्थित स्वर्य स

The second production of the second production of the second second of the second second second of the second seco

माञ्चान कार्यप्रसाद शासन की सार्थान भीति के अनुस्ता निस्तानुसार संसार -

the first that the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is not the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section

The state of the state of the state of the section and the state of th

The state of the s

अनुवानकाम व वार्षण अंतिन सिहा(या) पर रिवा एह जाती हैं ते इस अनुवृक्ति अवस्था व अनुवानकाम व वार्षण अंतिन सिहा(या) पर रिवा एह जाती हैं ते इस अनुवृक्ति अवस्था व

्र प्रशासिक के अंद्री क्षण्या विश्व विश्व क्षण्या के व्यक्ति के विश्व क्षण्या क्रण्या क्रण्या क्षण्या क्षण्या क्षण्या क्षण्या क्षण्या क्षण्या क्र

प्रकार के किया क्षेत्र (क) निर्म (क) निर्म (क) की की की की असी के असिन की साथ का जी की की

्त वा वावावाय माएलाक्ष, भूतपूर्व वार्तिको नृत्यार्व स्तिनिक संभावता वावावाय स्तिनिक स्तिनिका अन्य विश्वय वर्गी क सबच में क्रितिक करिया। अन्य प्राचित्रको क अन्य विश्वय वर्गी क सबच में क्रितिक करिया। अन्य प्राचित्रको के साथ सरकार द्वारा समय समय पर इस अवित्रकार के वावावाय में क्रितिक करिया। अन्य करिया वर्ष वर्ष के 12-1 के स्वयंत्र कि 14-1 के साथ करिया कर

्रमान कार्याच्या का पूर्व पूर्व के विशेष के विशेष के प्रशासक कार्याच्या करें। पुरु का रही के अस्ति के विशेष के अस्ति से स्थान आरोदेश रहते हैं

्राप्त कर्णा का व्यक्ति स्थापिक स्थापिक स्थाप स्थापिक मान्य स्थाप स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थापिक स्थाप स्थापिक स्था

- का की प्राप्त है है जो मह साथ क्षांस क्षां आरक्षित काली म संदेश साथ आरक्ष हो। है है जो की सा
- ि व प्रतिकृति पूर्व प्रतिकृत के वीत अपने पत्र आसीक्ष्र प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के वीत अपने पत्र आसीक्ष्र प्रतिकृति के प्रतिकृति के प्रतिकृति के वीत अपने पत्र आसीक्ष्र प्रतिकृति के प्रति के प्रतिकृति के प्रति के प्रतिकृति के प्रतिकृति क
- नेट हैं जाने करेगोर निर्माणिया तथा जानियां को 5 प्रतिशत तक रोट पुढ़ि कर प्रयश दिया की। जा नेकिट का में का नामाश्रम की छट प्रमुख की जाएगा।
- 12.8 : रम्पा ४११६ वर १६३३० सह आहा आध्याम प्रत्या का ग्रेस्ट असा अस
- 12.8 विकास १८ (स. १८०६ शहे अहे आहरण में प्राथमात माननाय करत लगातम विकास । विकास । व
- The state of cultilete to applied surface allocat and the state and a state of the state of the

11 affirme

TO DE WILLIAM / WILLIAM TELL

र विकास है है की स्कार्य है। यह देश रेश्वरी में अने में पेंड अपने अ

socially a thirty assessed in

Q2: Winker

Ca. Whiten

पा कि प्रेस स्थान न नीमें स्वस्त्रहरूस

G1 -11-12 - 1

भ) स्थापना स्थापन स्यापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्था

and the op

र पुण क प्रधानितास्य करने कल प्राजा का

05 प्रोतशत

्र चिल्ली ना गुणा व दिवस परेख में छल्ती)सगढ न दन सी सी - एन एटा एक वालिन्सन्स के प्राप्त होत

and blemell and

e -Back withing

15 (137)

all completed war in the

148

ng safitin

are traditioned to valuable marketing as our

SHOT IN BUILDING AND A TORK FOR SHIPLEY BEAUTY AND TOTAL SELECTION CONTRACTOR AND APPROPRIES. 18. M रम्भवा र रिपा कोची सामने नातः विदिन्तिका स्रो 10. 21 16. विद्र जान्यते विकास मारमञ्जून है विद्यार्थि कर उन्तरक -183114 UVI 1444 II VIE -141 UV -१७५६) रणेशस्त्राकः पारक्तिकः विकानः स्वताकः प्रतिशाकिताए F. Combin March Com and An Appen Brichlands and Tourn from and and an extent मान्स अवस्था उत्तर अवसम केन्द्रीय विद्यालय प्रामतिन द्वारा सामामत व = ११० व ter assuma, a कत्ता होत्यात त्रात्त स्थान प्राप्त त्यान प्राप्त त्यान क प्रत्येक सदस्य को । ए<u>ट प्रा</u>प्ति ल्या अन्तिनम अध्यक्षासान में नम्प्रेतर रेप्तान प्राप्त करन वाले जमें अब जानागर न्यपूर्वात वर्ततिकत एक (१) में चन्त्रीरिका भूकाम् सामाजनावसंय होता जुन्या। र स्टेब्रान्स अच्या कार जाण्या केन्द्राय विशालम समयन द्वारा आगाजित जनकी ादीर अस्मितिक में अस्ति भारतीय विश्वविद्यालय राज देशाई में जरा आशी-प्राथमध्या म आवार संसदीय वर्षे मंबद्धार बार्ट प्रश्वत होत ओसाक्ष्म सन प्रतिकायना में $Q\Pi_{Z}$ प्राचनका ची स्वानिका में अपनीयत स्थान अधि करना पाल को - ०७ अधियाः 05 G 1851 वासीक अंग के प्रतिकास का करने वाले प्रतिकारित की नीलीहर विश्वविद्यालय राज प्राप्त आसामित, स्थातीय वर्गा गंत्रालय, संस्त् रास्त्र रास्त्र स 125 वाधीत्यत सातीय चीतंपार्वतामा से -्रोत्रात्त वात्रवात्तात् म प्रथम द्विताय सुर्वास स्थात अल्ला yayar gur yal न्तरम हिल्लाम अस्तान सुनान रहाम आहेगा करते माना रेपा । १२ प्रतिहार 14 - 1425年 日 10 श्रीतकत हा । का प्रतिनिधिला करने नाले प्रतियोगी को गारत एवं अन्य संख्यों के काम सूच अथवा सार्ट्स्स एवं कारकीरली क्षेत्राच-- प्राचाम क ताहत् विज्ञान्/सारकृतिक, साहित्यक, TO WITHAL ment हा । मा नयान्ता एवं प्रतिस करने साले दल के सादश्या का an नार्वासकार शहर संबंध मंत्र, पर सारकार प्राप्त काल संध्य प्राप्त आयोजिल संबद्धीता प्रतिकारितातास 19.54 5 ्रां र हो। सन्दर्भ मुच्च वन प्रतिमिनित्व करन वाली होस क REGING HE ात रहे हैं। हुताह लास प्राप्त साम है। वहने प्रत्ये प्रत्ये है

4

Frank misher

The state of the state of the second of the state of the

See that the state of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of th

्या । प्रिकृति करण्या अन्य क्षण्यास्थ्यम् तका किन्द्रातः विकास विकास विकास स्थानिक का व्यक्ति । सन्दर्भ अस्थान्यका अन्यविकास्थ्य स प्रस्तुतः व्यवसा स विकास विकास सम्बद्धाः स्थानिक स्थानिक ।

च्या पर वाद्या क्रिकेट के प्राप्त (को अपलीक) मुन प्राप्त प्रत्या अवस्था अवस्था (प्राप्त प्राप्त पर प्राप्त पर च्या पर वाद्या क्रिकेट के का विकास के क्रिकेट के क्रि

संबन्ध / विषय / सूच परिवर्तन -

्राच्या । व्याप्त व्याप्त स्था तथा व्याप्त स्था विश्व विद्याली से इ. इत्यार प्रति व्याप्त स्था विद्याली से इ. इत्यार प्रति व्यापति विद्याली से इ. इत्यार प्रति विद्याली से इत्यापति विद्यापति विद

शीव धान

14

्रात्ति व विद्यालया स्थापित के श्रीष्ट भाषा का दो वस म स्थाप प्राण विद्या क्रियत ।

ार्ग्य व विद्यालया स्थापित कर्म अपूर्ण स्था तीने तीने तीने तीने विद्यालया में सुंग्रहाइ तह तीन व्यूच्यत कर्म व विद्यालया व वर्ष माह सुंग्यत क्रियत विद्यालया माह तीना स्थाप व व्याल कारत विद्यालया माह ती प्राण विद्यालया क्रियत क्रयत क्रियत क्रयत क्रियत क

U (No. 1) The second state of the second state

के प्रिक्षित्वाच्यम् भाषावस्त्रम् भाषामात्राक्षः सूच्यत्वाद्वाद्याः अध्यक्षः व्यावनात्राक्षः व तात्रः (१ १८) । १ विद्यान्त्रम् १ ति स्थानः भाषामात्राक्षः सूच्यत्वाद्वाद्याः अध्यक्षः व्यावनात्राक्षः व तत्रः । १ वर्षः । १ वर्षः व वर्षः । १ वर्षः । १

--- विशेष

- मार प्राप्ता प्राप्त वर्षण समुद्राहरू । स्थ्य आजी विशाली को प्रोश केरण करने को और के भी के मेर भी के अन्य विशाल किया समुद्रा समुद्रा सुने की विशाली को प्रोश केरण करने को और की मेर की
- प्रति व प्रति । प्रति । प्रति के होत्ता केश्वित प्रश्न प्रति प्रति व वार्षित अनुवाहातार्थिता के अवस्थित स्वीत वित्र विश्वासी का प्रवेश विकास वस्ति अधका उसे निष्कारित करने वह आदिकार प्राचाय को
- किया प्रत्या में भारत राज में बाहान प्रत्यामी ताल मात्रियाक्य प्रतिक वर्ष कथना प्रतिक प्रवेश जिल्ला मेंने सेन्स बहुद्धा निकास में किये जान का अधिय में प्रदास्त्री का सहद्वात नहिंद के नहीं केने
- प्रमाण में प्रकृतिक को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेपित ने किया जाये।
- ्र व्यवस्तान विकास विकास विकास कार्यास्तान विकास विकास स्थाप स्थापन विकास वित





कार्यालय आयुक्त उच्च शिक्षा संचालनालय ब्लाक सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ०ग०)

क्रमांक |21 /260/आवशि/गोजना/18 ufit.

नया रायपुर विनांक /4/05/2019

वृत्तराधिव, समस्त विश्वविद्यालय छत्तीरागद ।

सेतु (SETU) परियोजना अंतर्गत शैक्षणिक राम 2018-19 में ऑनलाईन प्रनेश के विषय :-शंबध में।

उपरोक्त विषमांतर्गत लेख है कि सेतु (SETU) परियोजना अंतर्गत शैक्षणिक सब 2015-19 में चिप्स (CHIPS) के माध्यम से ऑनलाईन प्रयेश प्रकिया नहीं किया जावेगा। सभी विश्वविद्यालय अपने अधीनस्थ शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में अपने संसाधन/व्यवस्था क अनुरूप सुव्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित करें।

(आयुक्त, उच्च शिक्षा से अनुमोदित)

(हाँ, जिस्म गजपाल) संग्वत संगालक उच्च शिक्षा संपालनालय रामपुर (धटगठ) नया रायपुर दिनांक 14/05/2018

पुक्रमांक |2 2 / 260 / आविश / योजना / 16 इतितिपि :-

- निज शहायक, मान, मंत्री जी, छ ग शासन, उच्च शिक्षा विभाग, गंत्रालय महानदी भदन की.
- शिक्ष ग्रांग शासन उच्च शिक्षा विनाग, मंत्रालय मंत्रालय गहानदी भवन की और पूछनाचे।
- 3. अपर सधालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च तिथा, समपुर/दुर्ग/विसासपुर/जगदलपुर/ अस्तिकापुर (छ.ग.)
- 4 प्राचार्य समस्त अगुणी महादिवालय (स.म.)
- 5 प्राचार्य, समस्त महाविद्यालय छत्तीसमय । को और सुवसार्थ।

प्रसा क्षेत्रा समालनालय ante (nom)

छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विगाग

इतीसगढ़ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक राया स्नातकीतार कटाओं में प्रदेश के लिए गार्गदर्शक सिद्धांत राज 2018-2019

1. प्रयुक्तिः-

- 1.1 ये मार्गदर्शक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय गुराविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम—1973 के सहत अध्यादेश क्रमांक 6 एवं 7 के प्राव्यान के साथ सहपटित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।
- 1.2 प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से मालग करना होगा। "प्रवेश से आशय स्नातक कहा के प्रथम की अथवा प्रथम सेमेस्टर तथा स्नातकांत्तर कहा के पूर्व अथवा प्रथम संगेस्टर से हैं।
- 2. प्रवेश की तिथि:--
- 2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना :-आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमण्ण पत्रों सहित निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं ने प्रदेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जायेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड/विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की स्थिति ने पूर्व संस्था के संविधत प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर विना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।
- 2.2 प्रवेश ऐतु अंतिम तिथि निर्धारित करना :--

स्थानांतरण प्रकरण को छोडकर 15 जुलाई तक प्रामार्थ स्वयं तथा 31 जुलाई तक कुलपति की अनुनित से प्रामार्थ प्रवेश देने में सक्षम होंगे। (स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की तिथि 01 जून से तथा अन्य कक्षाओं हैतु 16 जून से प्रांरम होगा) परीक्षा परिणाम विलम्ब से घोषित होने की रिथि ते 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/वोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 15 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/वोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) भे उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानतिरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र-पुत्रियों को स्थान रिक्त होने पर ही सात्र के वीरान प्रवेश विया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी द्वारा वगर्यभार ग्रहण करने का प्रगाण-पत्र प्रस्तुत करना एवं आयेदक का प्रवेश दिया जायेगा।

रपप्टीकरण :-

The beautiful to bellevel bert 1941

आयेदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी बद्धा में प्रवेश लिया था। उसके याद उसके पालक का स्थानातरण स्थान "व" में हो मथा इस स्थान (व) के किसी महाविद्यालय में अब वह प्रवेश सेना पाहता है. रिक्त स्थान होने पर ही उसे ब्रेट दिया आयेगा। आवेदक "ख" ने स्थान (अ) में जाहा उसके पालक कार्यस्त हैं जिती की

- महाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (व) पर स्थानांतरण होते ही स्थान (व) के किसी महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, अतः अब प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि निकल जाने के बाद आवेदक (ख) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।
- 2.5 पुनर्गूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम तिथि निर्धारित करना :विधि संकाय के अतिरिवत अन्य संकायों के पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्रों को पुनर्मूल्यांकन के
 परिणान घोषित होने के 15 दिन तक, संबंधित विश्वविद्यालय के कुलपित की अनुनित के
 पश्चात गुणानुकम में आने पर प्रवेश की पात्रता होगी। किन्तु विधि संकाय की कक्षाओं में
 गुणानुकम के आघार पर प्रवेश की पात्रता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही
 प्रवेश दिया जायेगा। 12 वीं कक्षा में पुनर्मूल्यांकन में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को भी स्थान रिक्त
 होने पर नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- प्रवेश संख्या का निर्धारण :--
- 3.1 महाविद्यालयों में उपलब्ध सावनों तथा कक्षा में वैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व में दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य महाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रैल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय /उच्च शिक्षा विभाग से अनुनित प्राप्त होने पर ही वढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करें।"
- 3.2 विधि स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कक्षाओं में यार काँसिल द्वारा निर्धारित नापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 सेक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय द्वारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने गहाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।
- 4. प्रवेश सूची :--
- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अईकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिभार देय है, वहां अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची, प्रतिशत अंक राहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 4.2 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक संलग्न प्रगाण पन्नों की प्रतियों को मूल प्रमाण पन्नों से मिलान कर प्रगाणित किये जाने एवं स्थानांतरण प्रमाण-पन्न की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुक्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पन्न पर "प्रवेश दिया गया" की मोहर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।

-1.



निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की नूल प्रति को निरस्त की सील लगावन अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये।

अधित प्रदेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिवत होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिवत रूप से वस्ताओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलम्ब शुल्क रूपये 100/- अशासकीय मद में अतिरिवत रूप से वस्ताओं में वस्तान प्रवेश की अनुमति नहीं रूप से वस्तान प्रवेश की अनुमति नहीं

दी जायेगी।

4.5 स्थानांतरण प्रमाण-पत्र की द्वितीय प्रति (बुप्लीकेट) के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाये।

स्थानांतरण प्रमाण-पत्र को जाने की रिथित में, विद्यार्थी द्वारा निकटस्य पुलिस धाने में

एफ.आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस धाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था से अधिकृत

रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र का अनुकर्मांक एवं दिनांक का उल्लेख हो, प्राप्त

होने की रिथित में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इस हेतु विद्यार्थी से वचन पत्र लिया जाये।

4.6 महायिद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रगाण-पन्न जारी करने के साथ-साथ छात्र से संबंधित गोपनीय रिपोर्ट जारी करेंगे कि संबंधित छात्र रेंगिंग/अनुशासनहीनता/तोंडफोड आदि नें संलिप्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलयन्द लिफाफे में बन्द कर उस महाविद्यालय के प्राचार्य को प्रेथित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है।

4.7 छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक 2653/2014/38-1 दिनांक 10.09.2014 अनुसार "राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत् रनातक स्तर की छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2014-15 से शिक्षण शुल्क से छूट प्रदान करता है।" का पालन किया जाए।

प्रवेश की पानता :--

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा :-

- (क) छत्तीसगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मधारी, अर्धशासकीय कर्मधारी तथा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कर्मधारी, राष्ट्रीयकृत वैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मधारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिवत होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अर्धकारी परीक्षा उत्तीर्ण आयेदकों को नियमानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में अर्हकारी परीक्षा जल्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकलानुसार रावंधित विश्वविद्यालय रो पालता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्यात् ही आवैदक को प्रमेश प्रचान किया जाए।

स्नातक स्तर, नियमित प्रवेश :--

- (ज) 10-12 परीक्षा जलीयं आवेबको को स्थातक प्रथम वर्ग में नियमित प्रवेश की पालता होगी। किन्तु वाणिक्य और कला संवाध के आवेवको को विज्ञान सकाय में प्रवेश नहीं दिया जायंगा। की.एस.सी (मृह विज्ञान) प्रथम वर्ग में किसी भी संवाय से जलीयं छाजा की प्रवेश की पालता होगी।
- (ख) स्नातक रतर पर प्रथम/दितीय वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को उन्ही विषया की कगश दितीय/पृतीय वर्ग में नियमित प्रवेश की पालता होगी। स्नातक दितीय रतर पर विषय परिवर्तन की पालता नहीं होगी।

5.3 स्नातकोत्तर स्तर नियगित प्रवेश :--

- (क) ची.कॉम./बी.एस.सी (गृह विज्ञान)/बीए स्नातक परीडा। उत्तीणं रणवेदको चत्र करणा एम.कॉम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एव अहंकारी विजय होकर, ची.एस.सी उत्तीर्ण आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-पूर्व में नियनित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेमेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकातार हितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले संगेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
 - 1 स्नातवतेत्तार प्रथम सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता रखने वाले आवेदकों को प्रवेश के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवेश लेगा अनिवार्य है!
 - 2 स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी (Allowed To Keep Terms) नियमो कं अनुसार पात्र आवेदकों को अगले संमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।

5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-

- (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को थिपि स्नातक प्रथम वर्ध में नियमित प्रयेश की पात्रता होगी।
- (ख) विधि रनातक परीक्षा उत्तीर्ण आयेवको को एल.एल.एग. प्रथम वर्ध में नियम्सि प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) एल.एल.वी प्रथम सेगेस्टर एवं एल.एल.एग. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको कां क्रमशः एल.एल.वी हित्तीय संगेस्टर एवं एल.एग. हितीय सेगेस्टर में प्रवेश की पात्रता होगी। इसी प्रकार तृतीय, घतुर्थ, पंचम रोगेस्टर में भी प्रवेश की यही प्रविन्या लागू होगा।

5.5 प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतन अंक सीमा :-

(क) 'विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रयेश हेतु न्यूनतम् अंक सीमा ४५%(अनुसृदित जनजाति/अनसृधित जाति हेतु ४०%) होगी। तथा विधि स्नातकोत्तर पूर्वात में ५५%। इंग्र (अनसृधित जनजाति/ अनूतृधित जाति / ओ.बी.सी हेतु ५८%) प्राप्त वार्वदको को नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।" AICTENCTE/BAR COUNCIL OF INDIA/MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुगोदित ज्ञारुयक्रमों में प्रवेश / संधालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होंगे।

सनकक्ष परीक्षा :--

ह.1 सेन्द्रल घोर्ड ऑफ संकेण्डरी एजुकेशन (सी.वी.एस.ई.), इंडियन कौराल फार संकेण्डरी एजुकेशन (आई.सी.एस.ई.) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों / इंटरमीडिएट वोर्ड की 10+2 की परीक्षाएं माध्यमिक शिक्षा मण्डल की 10+2 परीक्षा के सनकक्ष मान्य है। प्राचार्य, मान्य वोर्ड की सुची सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

सामान्यतः भारत में रिशत विश्वविद्यालयों जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑफ यूनियर्सिटी) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समस्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाट्यक्रम संद्यालित करते हैं, किंतु राज्य शासन से अनुमति प्राप्त नहीं हैं, की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई पिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के वाहर के किसी भी विश्वविद्यालय अथवा शिक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ फैम्पस आपि खोलकर छात्र—छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा वैद्यानिक रूप से मान्य नहीं होगा।

6.3 सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी फर्जी अधवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी उपाधि मान्य नहीं है. की जानकारी प्राचार्य सन्यद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।

6.4 वर्ष 2012 में प्रारंग किए गए एनवीईवयूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में रनातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्जुशासकीय पत्र क्रमाक 1–52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल. 2014 के अनुसार –

'जैसा कि आपको ज्ञात है आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कीशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रवद्ध किथे गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह 1 से 10 स्तर तक के प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से सार 4 तक के प्रमाण पत्र रक्ष्ट्रली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध पत्र उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 से सार 4 तक के प्रमाण पत्र रक्ष्ट्रली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्ड द्वारा छात्रों को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किथे गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत धार्ज को को पाठ्यक्रम प्रस्तावित किथे गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत धार्ज को समतुल्य/समस्तरीय प्रमाण-पत्र प्रदान किथे जा रहे हैं। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के स्तर क

...

के प्रमाणित रतार स्तित 10+2 शिक्षा को वर्ष 2014 तक राफल कर पारंगे। गानन संसाधन दिकास मंत्रालय भारत सरकार ने आसंका जताई है कि ऐसे छात्र जो विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नाह्मक पूर्व किसी भी पाद्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक है तथा जिनके पास +2 रतर में व्यावसायिक विषय थे ये अलाभकारी स्थित में होंगे। अत गैरा अपसे अनुरोध है कि जिस समय छात्रों द्वारा विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी स्नाह्मक पूर्व पाद्यक्रमों में दाखिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हो तो जस समय ऐसे विषयों को अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुत्य प्राथमिकता प्रदान की जाये, साकि उन छात्रों को क्षेतिजिक गत्यात्मकता के लिए सुक्षवसर मिल सकें।"

- 7. बाह्य आवेदकों का प्रवेश :--
- 7.1 स्नातक स्तर तक वी.ए./बी.कॉम./बी.एस.-सी./बी.एच.एस-सी में एकीकृत पाठ्यकम लागृ होने से प्रतीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समृहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के परवात ही नियमित प्रवेश दिया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।
- 7.2 छत्तीसगढ़ के बाहर रिश्रत विश्वविद्यालय/स्वशासी गुडाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विद्य स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के बाहर के विद्यार्थियों को निर्धारित प्रारूप में एक शपथ-पत्र देना होगा किसी भी प्रकार की झूटी/गलत जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रदेश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवार्य है।

- 7.3 विज्ञान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाच्यायी आवेदकों को स्थान रिवत होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों को 30 नवंबर तक, निर्धारित शुक्क लेकर मात्र प्रायोगिक कार्य करने की अनुगति प्राचार्य द्वारा दी जा सकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रंता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रदेश हेतु निर्मारित अंतिम टिप्पि के पूर्व
 अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :--
- 8.1 10+2 तथा स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्मार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदकों को अगली कक्षा में स्थान रिक्त होने पर अख्यायी प्रयेश की पात्रता होगी।
- 8.2 स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/हितीय/तृतीय में पूरक/एटी-केटी प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अरथायी प्रवेश की पात्रता होगी।

.7.

- विधि रमातक प्रथम / द्वितीय वर्ष में निर्धाति एग्रीगेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वाल क पूरक प्राप्त आवेदवों को अगली कथा में अस्थानी प्रवेश की पात्रता होगी।
- 84 स्परीवत कंडिका 7 के खण्ड 1 एवं 2 के आवेदकों को अस्थायी प्रवेश की पात्रता नहीं संभी।
- मूरक परीझा में अनुत्तीणं होने पर अख्यायी प्रवेश प्राप्ता छात्र/धाताओं का अख्यायी प्रवेश निरत्त हो लायेगा। उत्तीर्ण होने पर अख्यायी प्रवेश निगगित प्रवेश के रूप में मान्य किया जावंगा।
- 9. प्रवेश हेतु अर्हताएं :-
- 9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय में प्रवेश प्राप्ता फान्न/फान्नाओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो हों ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहें नहीं माना जावेगा, उसे मान्र गूल स्थानांतरण प्रमाण-पत्र तथा शायथ-पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है के आधार पर हैं। नियमानुस्तर प्रवेश दिया जावेगा।
 - 9.2 जिनके विरुद्ध न्याथालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यागालय ने अधरातिक प्रकरण चल रहे हों. परीक्षा ने या पूर्व रात्र में छात्रों/अधितारियों/कर्मवारियों के साथ दुव्यंवहार/भारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चंतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो, ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
 - 93 महाविद्यालय में लोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति की नष्ट करने दाले / रेगिम क आरोपी छात्र / छात्राओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रवेश न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इस हेतु समिति गठित कर जींच करवार्य एवं जींच रिपोर्ट के आधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अशासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिशा जावे।
 - 9.4 प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-
 - (क) रनातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं रनातकोत्तर पूर्वर्त / प्रथम रोभेरटर में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं एंगी। आयु की गणना आवेदित वर्ष के एक जुलाई की रिपति में की जायेगी। डिप्लोमा एव रनातकोत्तर डिप्लोम में प्रवेश हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा शामान्यतः 27 वर्ष मान्य की जाएगा।
 - (ख) आयु सीमा का बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के भंतालय/ कार्यालय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा प्रायोजित व अनुशंक्तित प्रत्याशियो भारत रारकार द्वारा आयोजित अथवा किसी क्रिकेश सरकार द्वारा अनुशंक्तित विदेश से अध्ययम हेतु भंजे गये छात्रों अथवा विदेश से आध्ययन के लिए विदेशी मुद्रा से वेमेटर्साट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।
 - (ग) विधि सकत्य में प्रवेश हेतु अधिकताम आगु सीमा का प्राथमान समापा किया जाता है।

- संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश ऐतु रनातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष क्षय रनात्मात्रकर (15) पूर्व / प्रथम सेनेस्टर में 27 वर्ष सं अधिक आयु वाले आवेदको को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।
- विधि संकाय को छोडकर अनुस्रवित जाति/अनुस्रवित जनकाति/विछत जा (3) /महिला आवेदकों के लिए आयु सीमा में 3 पर्ग की छूट रहंगी। निशावत जानवी/ आंधेदकों के लिए आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट रहेगी।
- पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय रोवारत् कर्मचारी की उसकी वैनिक कार्य की अविव मे 9.5 लगने वाले गहाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता गहीं होगी। वैनिक कर्तव्य अविध क उपरांत लगने वाले गहाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक हारा नियावता का अनापितः प्रनाण-पन्न प्रस्तुत करने के चाद ही प्रवेश दिया जावंगा।
 - किसी रांकाय में रनातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकार्य के रनातक 9.6 पाठ्यकन में नियमित प्रवेश की पात्रता गहीं होगी।
 - प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :-
 - उपलब्ध स्थानों से अधिक आधेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम से किया जावेगा । 10.
 - (क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कथाओं में प्रयेश हेतु अहंकारी परीक्षा के प्रान्तांक एवं अधिनार देय है, तो अधिभार जोडकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा
 - विधि स्थातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो ता (3)विश्वविद्यालय हारा निर्घारित मापवण्डों के अनुसार होगी।
 - अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जावंगी। 10.2
 - प्रवेश हेतु प्राथमिकता :--11.
 - प्रथम वर्ष स्नातक /स्नातकांत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अर्हकारी परीजा में उत्तीर्ण नियमित/भूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाच्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।
 - 112 स्नातक/रनातकोत्तार अगली कवाओं में प्राथमिकता का आधार, उर्दकारी परीक्षा में उत्तीण नियमित / उत्तीर्थ भूतपूर्व नियमित / एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सन्न के नियमित / स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।
 - 11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगंट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जाने, अन्य कम यशावत रहेगा।
 - द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के र्थान अथवा उरावे निवास रथान / तहसील / जिला में रिशत या आरापास के अन्य जिले के समीपरथ स्थानो पर रिशत आचेदक महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के आयापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों कं आवेदनों पर विचार न फरते हुए उस विषय/विषय रागूह में प्रवेश हेतु प्रानार्थ हारा जाने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपरथ रथानों के आवेदको को प्राथितिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में रिवल या आसमारा के अन्य जिलों के रामीपरथ रियत महाविद्यालय में आवेदित विषय होतवम समूह के

कुत्रयान की सुविधा नहीं होने पर सन्हें मुजायुक्ता से प्रवेश दिया जावका। स्वान दिवत राज वर एवं मुमानुकम में आने पर पूरे प्रधेश के छात्री को पूरे प्रधेश में प्रकेश की पासक होगा।

धरन्तु उपरोक्त प्रावधान स्वशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नही होगा, विसी एक दिएग है। रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यारी को अन्य विषय की रनतकोत्तर करण में एक भहाविद्यालय में रखान रिक्त रहने की रिवात में ही दिया तम सन्तमा।

आरक्षण-छरतीसगढ़ शासन की आरक्षण गीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा -

प्रत्येक शैक्षणिक राज में प्रवेश में सीरों का आरक्षण तथा विन्ती शैक्षणिक संस्था में इसका विस्तार निम्नलिखित शिति से होगा, अधार :-

आध्ययन या संबन्ध की प्रत्येक शासा में भाषिक अनुदाया संख्या में से बन्धान प्रतिशत (ਬ) सीटं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रहेंगी।

(ख) अध्ययन या संकाय की प्रत्येक शास्त्रा में वार्थिक अनुक्रम संख्या में से वासा प्रतिकात सीटे अनुसूचित जारियों के लिए आरक्षित रहेगी।

(ग) आध्ययन या लंकाय की प्रत्येक शाखा में वार्थिक अनुप्राप्त राख्या में से वांच्छ प्रतिरात् सीटें अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित रहंगी।

परन्तु, जहाँ अनुसूबित जनजातियों के लिए आरडित सीट पात्र विद्यार्थियों है जनुपलब्बता को कारण अंतिम तिथि(यो) पर रिक्त रह जाती हैं. तो इसे अनुसूचित जातिया से तद्या विपरीत कम में पात्र विद्यार्थियों में से भरा जाएगा।

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परंतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के पश्चात् भी, जहीं खन्ड (क). (छ) तथा (ग) के अधीन आरक्षित सीटें, अंतिम तिथियां पर रिक्त रह जाती हैं, तां इसे अन्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- Pr. (12.2 (1) विन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के अधीन उपलबा सीटो का आन्धन उद्योधर (वदीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 - निःशक्त व्यक्तियाँ, गहिलाओं, भूतपूर्व कार्तिको /भूतपूर्व सैनिक स्वतन्त्रता समाध (2) सेनानियों के वच्चों या व्यक्तियों के अन्य विशेष वर्गों के सदध में सेलिल आत्यान का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि राजा सरकार द्वारा समय-रामय पर इस अधिनियम है प्रयोजनों के लिए अधिसूतित किया जाए तथा यह विन्तु क 121 के खण्ड (क) (छ) तथा (ग) के अधीन यथारिवति, उद्योधर आरक्षण के भीतर होगा।

रवर्तनता संग्राम सेनानियों के पुन्न-पुत्रियों को लिये 3 प्रतिशत रवान आरहित रहेंगे। शिशवत क्षेणी को आवेदकों की लिए 5 प्रतिशत रथन आरक्षित रहेगे ।

राभी वर्गी में संपत्नका रूपानों में से 30 प्रतिशत् रूपान प्रानाओं के दिय आरक्ति होते। 124

आरशित श्रेणी वन कोई समीदवार अधिक अक पाने के कारण समारशित धर्मा उत्पन काम्पीटीशन में नियमानुसार मेरिट सुधी में रखा जाता है, ता आरक्षित रूपी वह तेन यसमावत् आप्रमाविम सोमी, परन्तु गदि ऐसा विद्याची किसी सवमें करो काला हुन्यान शामानी आदि

- वा भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरहिता श्रेणी में भरी गानी जावेगी, श्रेष संवर्ग की सीट भरी जायेगी।
- 17.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध गरी होगा. 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होनी।
- 12.7 जम्मू-करपीर विश्वापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक तीट मृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रवान की जाएगी।
- 12.8 समय-समय पर शासन हास जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाने।
 - 12.9 कंडिका 12.1 में दर्शाई गई आरक्षण के प्रावधान माननीय उच्च न्यामालय किलासपुर के निर्मय के अध्यधीन रहेगा।
- 12.10 तृतीय लिंग यो ध्यपितयों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संबंध में प्रवारण व्यापाक उच्चित्र पी.(सी) 400 / 2012 नेशनल लीगल सर्विसेस अथोरिटी विस्तृत्व मारत सरवतर एवं उन्च में पारित निर्णय दिनांक 15.04.2014 की कहिया 129(3) में यह निर्देश दिया गया है कि "४ विद्रार की Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally backward classes of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational institutions and for public appointments." या यादाई से पालन किया जाए।
- अधिमार :-अधिमार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रला ग्राप्ति हेतु इसका उपयोग नहीं किया जायेगा। अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिमार देव होगा, अधिभार हेतु समरत प्रमाण-पत्र प्रयेश आधेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनेवार्थ है। आंवदन-पत्र जमा करने के पश्चात् वाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण-पत्र पर अधिमार हेतु विचार नहीं किया जायेगा, एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देव होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

(u)

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ ने पढ जाये।

tu	अद्धा राज्य वर्गा प्रान्थ का वर्गा व्यक्तिकोट	०२ प्रतिशत
(市) (祖)	एन.एस.एस. / एन.सी.सी "वी" सर्टिफिकेट	03 प्रतिशत
(11)	या हितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउदस 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउदस राज्य स्तरीय संघालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता	०४ प्रतिशत ०४ प्रतिशत
(ロ) (리)	में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को नई दिल्ली के गणतत्र दिवस परेड में छत्तीरागढ़ के एन.सी.सी./एन एस.एस कटिन्जेन्स में भाग लेने	०५ प्रतिशत
(명) (대)	वाले विद्यार्थी को राज्यपाल रकाजद्श राष्ट्रपति स्काजद्श क्रतीसगढ का सर्वश्रेष्ठ एग्.सी.सी क्रंडेट	०५ प्रतिशत १० प्रतिशत १० प्रतिशत

हयूवा ऑपा एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन सी सी फंडेट

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के फ्रम कुल एक्सचेंट छोडान में भाग लेने वाले केंग्रेट, एन सी सी / एन एन एस पे लिए चयनित एवं प्रवास करने वाले किंडेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जन्दरी के लिये प्रमानित होने वाले विद्यार्थियों को

:5 मिलान

13.7 आनुसे विषय पाव्यक्षम में चलीणे विद्याची को स्थातकोलार करण में जरी विषय में प्रवेश लेने पर

10 अंतिराह

- 133 खेलबूद/साहित्यक/सांस्कृतिक/विवल/सपांकन प्रतियोगिताएं -
 - लोक शिक्षण संचालनालग अथवा छत्तीरागव उद्या शिक्षा कियाग द्वारा आदिनित अन्य िला, संगान रतार अथवा केन्द्रीम विद्यालय संगठन द्वारा आयोजिन अवर नजान /रून (i)रतह प्रतियोगिला में :-
 - 02 प्रतिकृत प्रथम, द्वितीय, तृतीय रव्यान प्राप्त टीग के प्रत्येक सवस्य की (05)
 - व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त त्यान प्राप्त करने वाले को (E)
 - उपर्युक्त कडिका 13.3 (1) में उल्लेखित विभाग/राज्यलगालय द्वारा आदितित अन्तरानाग राज्य रतर अथवा केन्द्रीय विद्यालय सगठन द्वारा आयोजित अन्तरीनीय (2) राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वतिचालय शत एआई यू प्राप्त आयोजित प्रतियोगिता में अध्या संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजिल क्षेत्रीय प्रतियोगिता में '-
 - ०६ प्रतिसद प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को
 - 07 प्रतिकत (a:) व्यक्तिमत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को
 - वर्ड प्रतिशत (33) संभाग/क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को
 - भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मत्रालय, भारत सरकार द्वारा (H) (3) अपयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
 - 16 ufdrun क्टवितगत प्रतिपीतिता ने प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त (EF) क्लने याले को
 - 12 प्रतिश्व (छ) प्रथम हिताम अधवा वृतीय स्थान अजिंत करने वाली क्षेम
 - के सदस्यों को to ufarea (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधिता करने दाले प्रतिक्षेत्री को
 - भारत एवं असा राष्ट्री के सध्य कृत अथवा साईन्स एवं बाह्यरस to utima एक्सकेल प्रांचान के तहन दिलान/सास्कृतिक/साहितिका/ 134 करता क्षेत्र में बर्गानित एवं प्रवास करने पार्ट यस में सबस्यों को
 - प्रतीसाम्य शासन् रमण् से भाग्यता प्राप्त खेल संभी द्वारा आयोजित संभी प्रतियोजना व 135
 - (4) प्रतिसमाव र मण का प्रतिनिध्यात करने वाली थान के לם מדשום
 - (छ) प्रचार दिसाद मुलीय स्थान प्राप्त वासी वासी प्राप्ति सी हैम में सदस्के को

विशेष प्रोत्साहन :-

15

एतिसान्य राज्य एवं महाविद्यालय के हिल में एन सी.सी / खेलकृद को प्रोत्साहन देने के लिए एन सी.सी. के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेष्ठ कंडेट्स तथा ओलियगढ़ / एशियाड / रणेट्स अयारिटी औफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय एवं अनार्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को यगैर गुणानुकम के आगागी शिक्षा सन्न में उन कक्षाओं ने सीधे प्रवेश दिया जाए जिनकी उन्हें पानता है कि :-


- (1) इस प्रकार के प्रमाण-पन्नों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण छत्तीसगढ शासन द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो, एवं
- (2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्याधियों को मिलंगी जिन्होंने निर्धारित समयानधि के अंतर्गत उपना अभ्यावेदन महाविधालय में प्रस्तुत किया है. परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलक्षि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 138 प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्वाल स्तर के विक्रले चार क्रिका राज तक के प्रमाण-पत्र स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रिक राज तक के प्रमाण-पत्र अधिमार हेतु मान्य किये लायेंगे। स्नातक द्वितीय, तृतीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु पूर्व सत्र के प्रमाण-पत्र अधिभार हेतु मान्य होंगे।
- संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन :—
 रनातक/रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में अहंकारी परीक्षा के संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश याहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुकम निर्धारित किया जायेगा, अधिभार घटे हुये प्राप्तांकों पर देय होगा। नहाविद्यालय में रनातक/रनातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमित महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 30 सितंबर तक या विलम्ब से मुख्य परीक्षा परिणाम जाने पर कंडिका 22 में उल्लेखित प्रवेश की अंतिम विधि से 15 दिनों तक ही दी जायेगी। यह अनुमित जन्हीं विद्यार्थियों को देय होगी जिनके प्राप्तांक संबंधित विषय/संकाय की मूल मुणानुकन सूची में अंतिम प्रवेश पाने वाले विद्यार्थी के समकक्ष या उससे अधिक हों।
 - शोध छात्र :—
 शासकीय महाविद्यालयों में पी.एच.डी. के शोध छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा।
 पुस्तकालय/प्रायोगिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइजर की अनुशंसा पर
 प्राचार्य इस समयाविध को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवंदन पत्र में आयेदन
 प्राचार्य इस समयाविध को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवंदन पत्र में आयेदन
 प्राचार्य इस समयाविध को अधिकतम 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवंदन पत्र में आयेदन
 प्राचेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु गहाविद्यालय
 जावेगा। शोध छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-डी. निर्देशन हेतु गहाविद्यालय
 में पदरथ मान्य प्राध्यापक सुपरवाइजर विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नियमों के अंतर्गत ही
 अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के लप
 अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के लप

वर्गर्य प्रगति रिपोर्ट प्रापा छोने पर ही वेतन आहरण अधिकारी द्वारा शोध शिक्षक का वेतन आहरित किया जावेगा।

महाविद्यालय में पदस्थ प्राध्यापक सुपरवाइजर के अन्यत्र स्थानांतरण हो जाने की स्थिति में शोध छात्र ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य चालू रख सकते हैं जहां से उनका सोध आवेदन पत्र अग्रेषित किया गया था, शोध कार्य पूर्ण हो जाने के उपसन्त शोध का प्रवंध उसी , महाविद्यालयों के प्राचार्य अग्रेषित करेंगे।

- जाली प्रमाण-पन्नों, गलत जानकारी, जानवृद्यकर छिपायं गये प्रतिकृत तथ्यों, प्रशासकीय अथवा 16 कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तम ऐसे प्रवेश को निरस्त करने का पूर्ण दायित्व प्राचार्य को होगा।
- प्रयेश लेकर किसी समुचित कारण, पूर्व अनुमति या सूचना के विना लगातार एक नार या अधिक समय तक अनुपरिथत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य 16.2
- प्रवेश के बाद सन्न के दौरान कंडिका B.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों ने लिप्त विद्यार्थी या प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निकासित करने का अधिकार प्राचार्व को
- प्रयेश के बाद सन्न के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त 15.4 अन्य कोई शुल्क वापिस नहीं किया जायेगा।
- प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांतों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में नार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिनत देते हुए स्पष्टीकरण / गार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर रो प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखवार प्रेपित न किया जाये।
- इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-रागय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन /संलग्न का संपूर्ण अधिकार छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, गंजालय को होगा।

संयुक्त संवालक उचा शिक्षा संघातनालय नया रायपुर (छ.ग.)



00

THE THE SEE STATE THE





विषय — १रत्तीसमद के रोदाणिक संस्थानों के लिये सब 2017 का हेतू पर्वश पार्यदर्शिका सिद्धारा !

स्वयं = अवर सविव छ.म. शासन रहत शिक्षा विभाग का पत्र कमाक एक 17-95/ 2017 | 38-2 नथा रायपुर,विनाक 29.05.2017

उपरोक्षा दिवयान्तर्गत होता है कि एको प्रारंशन उत्तव विद्या विभाग के रावरंगित पत्र वाल इन्होंनिक राज्य है डीडाहिक परकाकों के लिए एक 2017-18 हैतु प्रवेष्ठ मार्गदिशिको शिवान कार्श किये गर्व इ.। इद्या मार्ग्यक्तिक क्षियात 2017-18 जी पति शतना कर प्रेमित है।

कृष्या द्वारा स्थाने एवं संपन्ने स्थोनस्य समस्य शासातीय नस्यानियानस्थी को पत्र वर्त राज्याति समहार क्याने हुए कोश मार्गदार्शिका सिद्धात 2017-18 में दिये भये प्रावधानी का कबाई से पालन रूपन सुनितिया क्याने

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

हामपुर दिस्ताकृतः (१६.११) संदेशः सम्भवनः सर्वेशः सम्भवनः (१३) विदेशः सम्भवनः

इंड्स्ट अभिन 136 काली समया 2017

प्रदर स्टीड छन्। इत्सन् इक्त विद्या विद्या की जीर सप्तिया पत्र के रादमें में राजनाई। से प्रेय रूपन संस्थान क्षेत्रीय आयोजय क्ष्म किया बिलाशपुर, क्षमयलपुर, अधिकापुर की जीर सूब्रमार्थ

> रायुमेक संज्ञालक उन्हें स्टिक्स नेमा रायपुर (घ म)

छत्तीसगढ शासन चच्च शिक्षा विभाग =मंत्रालय= महानदी भवन, नया रायपुर -----00------

ਰਜਾਂਗ ਪ੍ਰਸ਼ 17-95/2017/38-2

नया शयपुर विनाया २ ई १८५५ रिजीर

आयुक्त उच्च शिक्षा संघालनालय, इंद्रावती भवन, नया संयपुर।

विषय:- छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सन्न 2017-18 हेतु प्रवेश

मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

संदर्भ:- आपका प्रस्ताव क्रमांक 68/आउशि/समन्वय/2017

----00-----

विषयातर्गत संदर्भित प्रस्ताय का कृपया अवलोकन करें।

2/ छत्तीसगढ के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिए शैक्षणिक सन्न 2017-18 हेतु अनुमीदित प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है।

कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति उपलब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिया गये प्रावधानों का कहाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का कट करें।

संवरनः चयरोक्तानुसार।

(निलेनी नापुर) अवर सचिव

छ0ग० शासन, उच्च शिक्षा विभाग

पृथ्विकन कर्नाक एफ 17-9522017/38-2 नया रायपुर, दिनांक 2/9 MAX20017

माराज्यापान १. विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छ.म. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर ।

 स्टाम अप्राप्त अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विमाग, मंत्रालय, नया रायपर।

निज लचिय संयुक्त सचिव छ.न. शासन, उच्च शिक्षा विमाग, मंत्रालय, नया रायपुरे।

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, छ.ग.।
 और सूचनार्थ अग्रेपित।

का जात पूर्वणाय करण क. गाउँ माईल।

अवर सचिव छठनाठ शासन, उच्च शिक्षा विनाग

प्रकाशिक्षक भागत । क्रम शिक्षा विभाग

कर्तीसमाह के आसर्कीय/अध्यासकीय महाविद्यालया की बनातक तथा स्मातकोत्तर कहतावी. ये प्रतेश के दिल महाविश्वक शिकाय

2017 2018

प्रमुक्तित -

नेता है। विकास को जातानीय, तारों हजाराधीय एकादिवासको का धादुई का पास्त्र कारण नेता किया में जीताय जातान जाता के दूधन वर्ष असाम प्रधान समासूत्र तथा परासकातानार नहां के नुद्रे क्रेक्टो द्वेपन समस्त्र से हो।

वर्षण की लिखि :-

प्रतेश हेत् आयेथन पञ्च छमा करना —

ार ॥ इत्या मध्योद्धान्य म प्राण के निर्म प्राचार्य होता निर्मातिन अवद्येश एक सम्प्रण प्रमान करा निर्माण करा मध्या प्रमान करा निर्माण करा मध्या प्रमान करा निर्माण करा निर्मा

22 प्रवेश हेत् अंतिम तिथि निर्द्धारित करना :--

हिं अन्तर्भ के प्रस्ति प्रदेश के प्रस्ति के प्रदेश के कि प्राप्त के प्रदेश के कि प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्रदेश के प्राप्त प्रदेश के प्राप्त के प्रदेश के प्रदे

रमध्यीकरण --

आगरिक का ने किसी अन्यन न्यास (अ) के मार्गादिशाला। में नियमानुसार किसी करता में प्रदेश किया का इसके बन्दे इसके पालक को स्थानातरण न्यान के में हो गया इस स्थान (ब) के कियों नवातियां स्था में प्रदेश कीना बाहता है, सिना स्थान होने पर ही उसे प्रदेश दिया आगरिया। आवेदन था ने स्थान (ब) में साहा उसके पालक कार्यशा थे, किसी भी

नामको है। क्ष्मण असी फिली विक्तु सामक वा कहान |का पह स्टेम्पालका होते हैं। कहीन to the sufference of the state of the same that it has been supported by क्रमा १९०७ असे द्वा क्षेत्र अर्थातात १९५१ को देश वर्षा क्षेत्र साथ वर्षा का संकर्ष

मुल्युंस्याम्य में उत्तरीणं भागे के लिए फोटा की वांतिम विधि मियांपित कर्या :-ि । इस का वो जारें भेरेको केन्द्रों प्राथमध्ये था, पुसस्तुत्रका का का का सामा का दुसस्निद्रात्म के ारणात पुरत्यकुक्ता के अगम गद प्रतान को गुरतार कृतन रहेना प्रतान संकास से एक्टाला स =ालुकेस के अल्बाह प्रमु प्रतेष और पालार डीने पहें भा गहारियालय में रेखन पित्र वाम वह सी जोर क्षेत्रण आहेता । स्त्र की कहा ने पुरस्तुत्वांकल या जातीया साल-लालको के कि साम विका<u>र</u> ान पर नियमित प्रदेश की मात्रतों होती।

प्रवेश राख्या का निर्धारण :-

गम् दिशासम्म में सम्रज्ञास्य पालियों जना स्थाहर में दैसने भी प्रायक्षण प्रयोगशाला में ज़्यासस्य राम्बद्धाः प्रथमित मोस्म देशनंशी एवं स्टाल की समझ्यामा आदि के उत्तरंत स्त सूम मादी गई 3.1 ्यंत्र संदर्भ (गोर) से असुसार ही विभिन्न क्षांत्री के तेम शहरी की काम दिया पाठमा। लाहे. मंत्राले मंप्राविद्याल्य में प्रवेश हेतुं, यात्र संख्या में सीट की पृष्टि वाहर्त है तो है उठ उन्हेंस तंत्रे असमा दश्साय स्थल हिंका समात्तमात्रम को प्रेषित कर तथा गतन्य दिशा संघासन तम लात दिस्त केलार से अभुमति पास्त होंसे पर सी बंदे हुए एसाम के अनुसार खंदेश की शामनाई जना

तिकि रनाराम प्रमम् विक्तीय एक वृत्तीय एक जी क्षणाओं ने बाद क्लिस्ट क्रांक मिधीरित 12 भागदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों की ही प्रति सेवशन (अधिकतम 4 सेवशन) मे श्यम गणानुष्यम् मे क्यान पर विमा नामे सम्बद्ध विमानिम एक्पीयेगालम् एक्पाकी मनाविद्यालयं द्वारा क्षर्यक असी जी लिए अस्कापन के विषय विषय निम्न नामून का निमारिक क्रिया गांव है। प्रत्याम् जारने महोजिज्ञालको से उन्हीं निझीरिश विषय किया समूह में निर्शासित प्रदेश संख्या की लगुसार टी प्रशास कहा में आवयमी की प्रोह देंगे

प्रवेश सुनी -

पानातो प्राचा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्वासित अतिम तिकि की सूचना वेती हुए, प्रवेश हेलु त्रायानेश विद्यासियों की आहंकारी वसेंक्षा में फायताकों एवं उन्हरा अधिमार देय है वहा अधिमार ग्रा⊞र कुल प्रात्मको को गुणानुकम सूझो प्रतिशतं अक संडित रहवना घटल पर लगाई जाहरा।

पदश समिति द्वारा आवश्यक सलान समाण पूर्वा की परिपाद की मूल प्रमण पत्री की मिलान कर प्रमाणित किये लामें एवं स्थानसारण प्रमाण-पुत्र की मूल प्रति क्रमा करन के प्रकात ही प्रवेश णुलक जम् करहे की अनुगति दी जाराही। प्रदेश ईन के नत्याल याद स्तानात्वल प्रमाण-दन ार प्रवेश विया गया को मोहर लगाकर उसे रहद उदमा धाहिय।

प्रकार मान्य कारण नाम भारत यह तो भारतस्थातम् । म्यान्य सामा सम्मान् व्यवस्था करा हो जिल्ला विकास करा विकास विकास वास मान्य प्रति कर्ष विकास की सोवा अभारतस्थ विकास सम्मान्य व्यवस्थातं करा हो जिल्ला

्रात्ता वर्षात्र वर्षात्र वर्षात्र अस्ति प्रत्य क्षेत्र वर्षात्र क्षेत्र क्

प्रवेश की प्राञ्चला :--

निवासी एवं अहंकारी परीक्षा :-

- (क) राज्यांसम्ब के भूल / एथायी, छत्तीसगढ़ में खायी संपत्तियारी निवासी / राज्य या केन्द्र गरमार के शासकीय कर्मधारी, अर्थशासकीय कर्मधारी तथा प्राइवेट लिमिटड कपनी के कर्मधारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा पारत स<u>रकार द्वास संयालित व्याव</u>सायिक संगठनों के भग्नारी जिनका पदाकत छत्तीसगढ़ में हैं, उनके पुत्र / पुत्रियों एवं जन्मू काश्मीर के विस्तापिता तथा उनके आधितों को है शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जानेगा। उपलब्धानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होते पर अन्य सज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एनं वर्षकारी प्रशेक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को निरामानुसार गुणानुकम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।
- तम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मन्यता प्राप्त विद्यालयों से अदंकारी प्रशिक्षा उत्तरीण आवंदको को हो महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) आवश्यकलानुसार समिव शिष्यनिद्यालय से पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पत्रवास हो आवेदक को प्रवेश प्रदान किया जाए।

लातक स्तर, निर्मातत प्रतेश -

- un-a वर्शको नार्शको अवर्षाणी अवर्षप्रकार क्षा इसामान प्राप्तन और में स्थापित ध्रमण की पालका नामी र जिल्हा प्रार्थितात और जनता जातत्त्व के अंतिकता प्रत विवास तातत्व में प्रवेश संबंध िक्रा प्रथम मा स्टब्स्टर्स (मुद्द (क्रिक्स)) प्रथम का म चित्रों भी स्टब्स्ट में 1000मा स्टब्स मा प्रतेश का मुख्यता क्षेत्रके । स्टब्स
- जनगराज रतार पर प्रथम (दिशीस तमें और परीका चलीति प्राटक्का का सभी विपास की करण किलाल कृताय प्राप्त स उनेप्रतित कारू की पापक हांगी। उनातक किलाय रहत पर विकास पंजित्यांकी को प्राप्ता नहीं असीत

रनातकोतार स्तर निशंगित प्रवेश :-

- वी वर्तिम । वी एस.सी. (गृह विशान) / बी.ए रगालवा धरीला तालीलो भारतका सत् । हमा। एम प्रांति - एम एस थी. (गृह गिकान), एम ए -पूर्व , पश्चम संगरपट एप आरंबनमा गिक्य लेकर, ये! एल सी उत्लीणं आयेदकों को एम एस-शी/एम ए-पूर्व म नियमिल प्रवेशा की व्यक्ति संग्रह
- रने तेकोत्तर प्रथम धर्म / प्रयोग सेमस्टर उत्सीण आववको को उत्ती विध्य क रनावकोत्तर हितीत। जो में स्थितित प्रवेश की प्राचता होगी। संगरतर पदाति की, पूर्व अर्हकारी प्रतिक्रा CENT उत्तीर्ण आमेदको 🗐 अगले संमेरदर में नियमित प्रवेश की प्राप्तता होगी।
- रूपालकोत्तर कक्षाओं हेलु ए टी.के.दी (Allowed To Keep Terms) नियम :--(413
 - रशालकोतार प्रथम (संस्टर में प्राथिक) प्रथम की प्राथकों रखने आवेदकों को प्रयोग के लिए निर्धास्ति अलिम तिथि के पूर्व प्राथधिक प्रवेश लगा अभिवार्य है।
 - 2 रनातकात्तर तृतीय संगरदर में एटी केटी (Allowed To Keep Terms) नियमी के अनुसार पात आवेदको यह अगले संगस्टर में प्राविक्त प्रदेश की बाजता होगी।

विधि संकाय नियमित प्रवेश :-5.1

- रसाराज परीक्षा प्रक्तीण आबेदकों का विधि त्यासक प्रथम वर्ष में भियमित प्रवेश की (00) व्यावसा होगी।
- विधि स्नाराम परीक्षा उत्तीण आवेदको को एस.एस.एम. प्रथम वर्ष में निधमित प्रदेश की (EE). पाडला होगी।
- एल एल थी। प्रधाम संगरटर एवं एल एल एम प्रधाम रोमेस्टर परीक्षा उत्तीर्ण आग्रदको को क्रमणः एल एल दो डिलीय संगेरटर एवं एल एल एस एम डिलीय संगेरटर में प्रवेश की पांचरा (3) होशी। हर्षे प्रकार गुतीय, श्रमुख, प्रजम संमरदेश में भी प्रगण की मही प्रक्रिया स्थम क्षीका ।

प्रवेश हेतु अईकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :-

विधि र्नातम प्रधास वर्ष में प्रशेश हितु स्यूमतम आह स्टामा 45% अनुसूचित लगामति अनस्त्रीक्षतः जाति हेतु 46%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वाई में 55% अंक [45] वान आदेवकों को ही नियमित प्रदेश की पावता होगी।

THE R. R. HARLES AND DESIGNATION OF TAXABLE PARTY. The way of the country of the same of the

HERE STAIN

The same and the s NAMED OF THE PARTY the American court made and the control of the American American Section (Associated Section 1984) and your spinisher out at most to much the

DESIGNATION OF THE PROPERTY OF STREET STREET, THE RESERVE OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY THE REPORT OF THE PROPERTY OF SOME ASSESSED AND RESIDENCE OF SPECIAL PROPERTY. The article and the special of the special of the special of the state of the special section of the special of नोपूर्ण अन्याम मह राम्ला के प्रोक्षेत्रहरूसर साम्प्रदेशक गाम्य के नोहरू ने किसी या Cleff between the matter even of technique again it manner desposible general AND THE REPORT OF THE PART OF PERSON AND ADDRESS OF THE PART OF TH ासरा व प्राप्त प्राप्ता व प्राप्ता व

भागान निर्माणियानमा बारा मान्यता पण्ट विर्माणियानम् यत विस्ताव सरणाजा की सूची एव HII विकास कर्म अस्तुवार अस्ताम साह समय-समय यह जारी पाळी उपलय सान्यांगा दिहींस विकार है स्थान के विकास कारणांच्या विकासी जातीं में से भी है और जान्यांने पासरी सम्बद्ध firmfinning and man

THE REST OF SHIP THE CHARLEST COMMON Commond Commond Commond Commissions 41.14 Lidoux voille का वार्त्यकों केल्यामा अध्येषका कर विक्रवेशितकरूप एवं स्थापितालय स्व स्थापक स्तर माम्यक्ता ने न्यंतिलों के लिए अन्य सम्मान्य विषयों की चुलना में सम्बुल्य प्राथमिक्ता appears in meta-

面可折 अध्यास्क्रीय SHATIM. 35 अनुसर्ग formations. - इत्र १९९९ महिल्ला एनएसनपूर्ण । अप्रेस 2014 के अनुसार -

्रमा कि अगामा जान हे अविक कार्य दिमाग, जिल्ल मजालय द्वारा अभिस्तित राष्ट्रीय कारणन अर्थता वानसमा (पुनापुमारपूर्णक) में सानव संस्थापन विकास मधालय द्वारा बाद्यीय मानस्थायक श्रीक्षक अर्थता सहसम्य (एनवीईख्यूपुण्ण में स्ट्रियह क्रिये गरे सगस्य महत्वपूर्ण । ह्या को निर्माणन प्रिया गया है। जेला कि एनएसक्पूएक ने अधिसुवित किया गया है कि यह म का कार का के प्रमाण काम उपलब्ध वासाता है जिसमें सार 5 ते सार 10 तक के प्रमाण पाक राज्य गणवाम को एम स्तर न से स्तर व तक के प्रमाण पात्र स्वयुक्ती मिल्हा के क्षेत्र से समहन्त ें को 2012 में पात्रम किये को एनडीईवयूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बोर्डी हारा छाओ को पाठनकर प्रस्तावित किले गाँउ संति एनवीईक्सूएफ के आहर्गत छान्नी की तमहुल्य रामालारीस प्रमाण-पन्न प्रदान किये जा सी है। ऐसे छात्र एनएसक्यूएफ के लार अ A purfour vire when most is seemed and of the test end of the best from them them to the first of Destination of the test end of the test of Destination of the test of Destination of the test of Destination of the test of

वाहरा आनेदवर्ग कर प्रवेश

प्रमाणिक के प्रतिवास के प्रतिवास के प्रतिवास के प्रतिवास के प्रतिवास के विषय के प्रतिवास के विषय कि व

प्रशासिक में बाहर विवास विश्वविद्यालय / स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक रतन की क्ष्म क्ष्म की की स्नातक रतन की प्रथम / दिशीय क्ष्मिय कुरीय क्ष्मिय प्रशास एवं विवास स्नातक रतन की प्रथम / दिशीय वर्ष की निर्देश की किसी किसी किसी के अवस्था की समझी प्रशास सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रशास करने की शहरात ही उन्हीं विषयों / विश्वय समूह की अन्नी कक्ष में नियमित प्रवश दिया कार्य

्या को हाइर को विद्यादियों को निर्मारित प्रारूप में एक शपथ-पन्न देना होगा किसी हो एकर की झूछ महारा जानकारी पाए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए हवा प्रवेश के जिसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से विद्या कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आदेवकों द्वारा प्रस्तुत वस्तावेजी का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ख/विश्वविद्यालय से कराया जाना अनिवास है।

- रात होता के प्रतिस्था के प्राप्त कार्य क्षाओं में स्वाध्यायी आवेदकों को स्थान सिक्त होने पर रखा नातविद्यालय के प्राप्त को अनुमति प्राची को 30 नवबर तक निर्धासित शुक्क लेकर नात्र प्राचीनिक कार्य करने की अनुमति प्राचार्य क्षारा दी जा सकती है।
- त अरणामी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थिमों को प्रवेश हेतु निर्धारित अतिम तिथि के पूर्व अरथायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा :-
- ए। मानव्य तथा स्ताराक उत्तर की प्रथम / द्वितीय तर्प की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेंट) प्राप्त नियमित आवेदको को अगली कवा में स्थान रिक्त होने घर अरथाधी प्रवेश की पात्रता होगी।
- त : रनातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम हिंसीय / तृतीय में पूरक एटी-केटी प्राप्त आवेदको को अगली क्या में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

तिर्धिः स्मातकः प्रथमः विदेशितः वर्षः में निर्माणितं ग्रमोगितः अत्र प्रतिस्थि पुत्रः सः करना आसः ता पुत्रसः प्रापतं आवीदको को अस्ति स्थार्थः स्थार्थः अस्तिरित्तं प्रथमः यो स्थारितः स्थारितः

न्यक्रमात्र प्रतित्वत् । व प्रतित्व । वाल १ वाल १ के व्यवक्रियो प्रति विकास । विकास विकास विकास । विकास । विकास विकास । विकास

ा प्रतिश तेत् अर्हताए -

च्या विकास नामानम में बालान प्रस्तुत किया नमा हो या न्यागालय में उपस्थित प्रकारण प्रकरण इट रहे हा गर्माना में या पूर्व राज में साओं / आंधेकारियों / पर्मधारिया के साथ पुरायहार / मारपीट करने के गर्मार आरोप हो / तेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं। मुआ थी ऐसे साओ / साथायों को प्रवेश नहीं वैसे के लिए प्राचार्थ अधिकृत €।

महादिशास्त्रय म शास्त्रमात्र करने औत महादिशालन की संपत्ति को नब्द क्षेपन शालं / रीनम् का आरामी भारत / भारताओं का प्रवेश निरस्त करने / प्रमत्त न देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है। प्राचार्य इसे हत् समिति गतित कर पर्वेश करवामें एवं लॉब रिवोर्ट के आधार पर मंगेश निरस्त किया जाने एते आदार पर मंगेश निरस्त किया जाने एते आदार पर मंगेश निरस्त किया जाने एते आदार में प्रवेश न दिया आये।

9.व प्रवेश हेतु आयु-सीमा -

उत्तर प्राप्त प्रथम प्रथ में 22 एवं एए स्माराजीत्सार पूर्वाई प्राप्तम समेरटर में 27 योग से अधिक आयु के आवेदकों को प्रमेश की पालता नहीं होगी। अध्यु की गणना आवेदित वर्ष वर्ष एक जुलाई की रिवरित में की जायगी। डिस्लामा एवं स्मातकीत्तर डिस्लामा में प्रथम ऐसु निर्द्धाणित अधिकतम आयु सीमा लामान्यता 27 योग मान्य की जाएगी।

(वा) आयु तीना का प्रतन किसी भी राजा गरकार भारत सरकार के गंजालय / कामीलय । प्रता चनके ग्रास निर्माणन सरकाओं ग्रास प्राणितित व अनुप्रतित बस्याणिक गरत सरकार ग्राम जागीजित अथवा किसी विवेश सरकार ग्रास अनुप्रतित किवेश स अध्यक्त हैं। पंत ग्राम काओं अथवा विवेश से अध्यक्त के लिए विवेशी मुद्रा में पेमेंट्सिंट पर अध्यक्त करने वाले काली भर लागू मधी वीना।

(म) विशि सकाय में प्रवेश ऐंधु अधिकत्तम आयु सीमा का प्राप्तान समाप्त किया जाता है।

- पूर्व प्रशास सामाधिकार में जा तम हो हो (मिन्स प्रता मान स्थाप की प्रमान की भावता स्थाप पूर्व प्रशास रोसंदर्भ में जा तम हो हो (मिनस प्रता मान स्थाप की प्रमान की भावता स्थाप प्रोगी।
- क्षा । त्यार प्रकार को संग्राना का क्षाण क्षाण कर्ता को क्षेत्र का अस्ति। व्यार प्रकार का क्षाण के क्षाण क्षाण के तो क्षेत्र का अस्ति।
- ा-भारत जन्मता पात स्त्रीत करते से संबंधित करते हो। संस्थान वारत पर आवस्त्र ताम स्थिति क जन्म जन्म स्वर्धित वारत संस्थात प्रतिवास प्रतिवास काम वारत वारत पर आवस्त्र ताम स्थिति क जन्म जन्म स्वर्धित वारत स्त्रीत करते से स्वर्धित क्षेत्र का स्वर्धित क्षेत्र वारत क्षेत्र का स्थान का
- ्याच्याक्षण मा स्थापिक्स प्रवाह ग्रहे सामाम स्थापिक प्राप्त । भी किस्सा अस्य सामाय स स्थापिक सम्बद्धाः
- १० वर्षशास्त्र मुलानुक्य का निर्मारण -
- माना क्याचा क्याची से व्यक्ति आयोधन होने यर प्रनेश विस्तानुसार मुणानुक्रम से किया गायेगा।
 - ार्ग्य व्यापान एक स्थापनाविषय नकाओं में प्रयोश तेतुं अदिकास प्रदेशमा पर प्रयास क्षेत्र अविकास प्रमाह और अधिकार जोक्सर प्रयास बहुत प्रीतेशांत अक्षां के आधार पर साम
 - (दश) विकि रमानाम प्रजास तथी म सम्बद्ध स्थानिसात्मम न प्रवेश परीक्षा को प्रान्यान प्रा तथ विकादियालय द्वारा निर्धारित मापदण्डी के अनुसार श्रीती।
- uc प्रसारक्षित एव आर्प्यत क्षेत्री के लिये अलग् अस्म म्यान्क्रम सूची प्रधार की जावेगी।
- प्रवेश हेत् प्राथिकता :-
- ्राम् प्रथम तथे उनातक हरनातकोत्तर होतींचे कथाओं में प्राथमिकता का आधार, अहंकारी परीक्षा में उन्होंने निकासक मुसपूर्व निवासिक परीक्षाओं हरवाध्याकी कन्तीमाँ प्राप्तों के कमानुसार रहेगा।
- ा इस्तानक स्मानकोत्तर अगली कदाओं में प्राथमिकता को आधार अहँकारी परक्षा में उत्तीर्ण क्यामिक जलीर्ण मृतपूर्व विविधत एक विभव में पूर्व शाल पूर्व सक के नियमित र खायायी विद्यार्थिक के कम में संगा।
- वाल कालों को प्राथमिकता के अववार पर प्रवेश विथा जावे अन्य कन संवादत रहेगा।
- प्राचन द्वारा उन्हेंकारी भरोक्षा उन्होंगी करनी के स्थान अथवा उसमें नियास स्थान क्षित्र किया में स्थान या आरामारा के अन्य जिले के सभीपरथ स्थानों पर रिव्ता महाविद्यालामें में आयित विषय विषय समूह के आव्यापन की सुविधा होने पर ऐसे जावेदकों के आव्यानों पर विवाद न करते हुए उस विषय विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य हुएं अपने नगर तहशील जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के सभीपरथ स्थानों के आवदकों की प्रथमिकता दही हुए प्रवेश दिया जावे आनेवक के निवास स्थान तहसील जिलों में स्थित वा आसमारा के अन्य किलों के सभीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश दिया जावना। स्थान दिवत रहने पर एवं गुणानुकम से प्रवेश की प्राचला होनी

- परमा सम्प्रांतर मानवास राज्यांती स्वार्थित्यामां के शिल काम गरी होता विशेष दिश्य की स्वार्थिता की स्वार्थित की स्वार्यित की स्वार्थित की स्वार्यित की स्वार्थित
- 😥 व्यास्थाण-प्रतिविश्वकः साराच की व्यास्थाण नीति के अनुरूप विश्वानुसार होगा —
- अट्टन क्रायेश कीर्यात स्था में अंतर स तेत्र ता तात्रात्रण तथा किली क्रिकेट क्रिकेट समय म इस्कार विस्तार विस्ताविकत विके स तथा आर्थन
 - त्यां। जनगर या सकायां की प्रत्यक शास्त्र हा वर्षिक जन्माया नवस्त्र में वा वर्षीक प्रतिवाद सीटे-अनुमूचित जनगरतियों के लिए आसीत बहेती।
 - अध्यक्षण या राज्यय की प्रत्यक मार्थत में नार्विक बल्ह्यान सरमा से ना बरण प्रतिसत्त और जेल्ल्युचित जातिया के सिंध आर्थित रहती.
 - शर्थ अन्यान्त्र से सकाव की प्राचेक सांक्षा ने वाधिक अमुझपा सक्या ने से बादन प्रतिक्रम सीट प्रनय पिछाड बर्गा के सिर्थ अपरक्षित स्टर्गीन

्रत्ना अहें। जन्मिता जनजारिया के लिए अरबित सीदे पात्र विद्यार्थिया की अनुस्तानारी के कारण अतिन विधिया। पर दिश्वी दह जाती है, वो इस अनुसूचित व्यक्तिया पर दिश्वी दह जाती है, वो इस अनुसूचित व्यक्तिया पर दिश्वी दह जाती है, वो इस अनुसूचित व्यक्तिया पर दिश्वी दह जाती है, वो इस अनुसूचित व्यक्तिया पर

- बरन्तु यह और कि मूर्बगानी परतुक में निर्दिष्ट व्यवस्था के परभान भी, जहीं खण्ड (क) एवं एका (ग) के अर्थान आरक्षित सीटे. अंतिम तिकियों पर रिक्त रह जाती है, जी इसे अन्य एक विवाधियों से भग जाएगा।
- 12 (1) बिन्यु क. 12 1 फी उपण्ड (क) (ख) समा (स) के अलीन उपलब्ध सीदा को आस्सण संस्माधर (वटीकल) रूप से अवधारित किया जाएगा।
 - (2) निज्ञासत् व्यक्तियां, महिलाओं, मृतापूर्व कार्मिका, स्वात्रवा संग्राम संनातियां के बच्चों या व्यक्तियां का अन्य विशेष वर्गों के संबंध में बीतिया आरक्षणां का प्रतिमत एसा होगा जिला कि सरकार क्षत्रकार क्षत्रकार समय—समय पर क्षत्र अधिनियम के प्रयोजनी के लिए अधिसृतित किया काए तथा यह बिन्दु के 121 के खण्ड (क), (वर) तथा (म) के अधीन थ्रथारिकाति, संब्वाधर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 रवाजाता रामान संगानियां के पुक-पुकियां तथा नित्तमत क्षेणी के आदेवकों के लिये संयुक्त लय से 5 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगे। गिश्रयत श्रेणी के आवेवकों के प्राप्ताकों की 10 प्रतिशत अर्कों का अधिभार देकर बाना बर्गों का सम्मिलित गुणानुकम निर्धास्ति किया जावेगा।
- 12.4 सनी प्रमों ने उपलब्ध रथानों में से 30 प्रतिशत स्थान घात्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
 12.8 आरक्षित अंभी को कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के क्वारण अनारक्षित अंभी आपन
 आम्पीटीशन में नियमानुसार मंदिट सूची में स्था जाता है, तो आरक्षित अंभी की सीटें यध्यमन
 अग्रमावित रहंगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संबर्ग कैसे- स्वतंत्रता सम्राम संनामों आदि
 क्य भी है तो संवर्ग की यह सीट उस आरक्षित भेगी में भरी मानी जावेगी, श्रेष संवर्ग की सीटें

भरी जायेगी।

CHICAGO, MINE AND AND AND AND AND AND AND ADDRESS OF MALE WILL WITHOUT AND WINE. THE RESIDENCE OF THE RESIDENCE OF STREET AND STREET AND STREET ASSESSMENT ASS

THE REAL PROPERTY WAS ARREST AND ADDRESS OF THE WAY THE WAY THE WAY them, in month of the summer in to time months one

19.8: THE THE RESIDENCE WERE STORED WITH STORED THERE AN INVESTIGATION

(2) वर्षण्या १८४ में प्रार्थि नहीं नारणा में जाताना स्ट्रांसिय जे का म्यामान्त्र किलागाृत मा संस्था In promise deep

ध्यात वर्षान् विकाल के अधिकार को सम्मीय उपल्ला प्राप्तकों असे दूस प्रधान में प्रकार अस्पत्र Dominion with the latter district the party of the action of the party and throng against to dia 2004 and suffacility tended of the field of facility facility and an instrang the state of our state Congrument to Edia Street to their them as amonth and otherstimathy. bucketted above of an even and extend all kinds of restriction in cases of adoption in allocational. a million and the public approximations." But spould of those through through

जीवनार mî

जीविकार करन मुण्यत्नुद्धाः विवारिता वा विश्वेद ही प्रधान विकास वार्थिनी, बीरक्षी प्रतिक प्राप्त इसकार ज्यातम लक्ष्य विकास वार्यमाने आर्थमानी परीक्षा यह प्रमासामा के प्रतिकास गर की अधिकार देव होगा नाशिसार हेतु सम्मरन प्रमाण यह प्रवेश आवेदमा मात्र को आण लालामा काराना असिताचे है। कर्यप्रशासक जन्म करने के पश्चात बाद में लागे व्याने ह समा किया जाने करने प्रमाण पत्नी पर अधिकार हतु विचार नहीं किया आयेगा एक से अदिक अधिकार प्राप्त होंने घर गाल रायोधिक ज्ञारगार भी दश होगा।

13.1 एवं सी.सी. / एवं एस.एस. / स्काउदश

रचन उद्देश शब्द भो रकाल इस / गाइखरा / रेन्जरी / योवर्स को अर्थ में पव जावे।

02 प्रतिशत मा एक एक एस अस्त सी सा ए सर्टिकिकेट

03 प्रतिशत एक एस एस अपन शी भी 'औ' सरिफिकेट या विशिध लीपान उसीर्ण स्वान्डस्स

सा सर्टिकिकेट या वृतीय लोपान उत्तीर्ग स्वाखदस ०४ प्रतिशा (+7)

राज्य स्तरीय सधालगालयीन एन सी भी. प्रतियोगिता ठ४ प्रतिशत (17) स प्रम का प्रतिनिधितत्व करने दाले छात्रों को

नह दिल्ली से गणतंत्र विवस परंड में छत्तीसगढ़ ०५ प्रतिशत 日) क एन सी सी / एन एम एस एस कटिन्जेन्स में भाग सेने

वाल दिशाओं की ०५ प्रतिशत र लापाल समावदस 12

१० प्रतिशत राष्ट्रपति स्काउद्दरा 阔

10 प्रतिसत्त छलीसमद का रावस्थित एन.सी.सी केंडेट

10 प्रतिशत व्याक आप एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन सी सी. फेडेट (4)

भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में (2) माग लन वाले केंडेट, एन सी.सी. / एन एस एस. के लिए

अध्यमित एवं प्रवास करने वाले क्रियेह को अस्तर्गाहीय अस्त्रों के लिये वार्गित होने वाले विद्याविका की अस्त्रों विषय पाद्यक्रम में उस्तीर्थ विद्यावी को स्माराक्षणर 10 क्रियह वाल में क्षेत्र विषय में प्रदेश लेगे पर बालक्ष स्थाहित्यक स्मारक्तिया स्थित स्टागायन प्रतिविक्तिता

- श्रीता श्रिक्षण रावासमास्त्रा अध्या झमीटगढ एक्व विका विभाव पात अधिका दल्य विका समाग स्तर अध्या झमीय विष्णालय संगठन ग्राम आयोजित अंतर समाग जन्म स्तर प्रतिकारिका में -
- ्तः। चन्द्रम द्वितीय कृतिम स्थान भाग क्षेत्र डो प्रस्केत प्रत्यक का
- अपिकागत प्रतियोगिता में उपर्युक्त प्रधान प्राप्त करने वाले की 04 परिष्ठात
- (2) एएम्पूंचल कडिका १३.३ (1) में उस्लेखिस विभाग/संग्राहम्पदान हारा आगोतिन अन्तेसमाम राज्य स्तर अधवा केन्द्रीय विद्यालय समदान हारा आगोतिन अनीहर्जन्य राष्ट्रीय प्रतिभोगिता में अथवा संसदीय कार्य मन्नालय महता सरकार हारा आयोजित संत्रेय प्रतिभोगिता में —
- (क) प्रवम, वितीय, तृतीय रथान प्राप्त टीम के प्रत्येवा सदस्य की 06 प्रतिगत
- व्यक्तिगत प्रतियोगिता में अपर्युक्त स्थान पाप्त करने वाले को ।
 ध्रावितगत प्रतियोगिता में अपर्युक्त स्थान पाप्त करने वाले को ।
- (ग) स्तार क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिकात
- (3) मास्तीय विश्वविद्यालय सह द्वारा आयोजित संसदीय कार्य महालय भारत संस्कार हारा इंग्योजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में '--
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्ता.
 करने वाले को
- (२) प्रथम हितीय अथवा वृत्तीय स्थान छिति करने वाली होम १२ जीवात कं संदेश्यों को
- (a) बंड का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 सारत एवं अस्य राष्ट्रों के माथ यूथ अथवा साईन्स एवं कल्झरस एक्सडेंज प्राचारा के तहत विकास सारकृतिक / साहित्यिक / वास डाज में वर्षांनेश एवं प्रवास अहमें वाले दल के संदस्कों की
- 13.5 अलीसराव शासन माप्र, से मान्यता प्राप्त खेल सधी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतिबंशिता में
 - ्रण अस्तर्गसम्प्र∉्रम् सः सः प्रतिनिवित्य कार्न शार्ता सीम् कः अधिकातः सदस्य को
 - प्रथम, द्वितीय मुसीय स्थान प्राप्त करने बाली छातीसगढ की ।2 प्रतिकात दोश के सदस्यों को
- धार वाम्य कामीर के विस्वापिती तथा समझे आधितों को का प्रतिपान



किमाराष्ट्रिक महिल्ली

प्राथितिक । १९४५ वर्ष भागतिकाता व १९५३ हे ने न्यों में संस्थित का बीवागा देने हैं कि contain at engine and it and the states of their states of Albania and Albania कर्मा है। हिस्सी प्राप्त अस्ति के क्षेत्र के लिए क्षेत्र के बार क्षेत्र के मान क्षेत्र के लिए के क्षेत्र के लिए के कार करें एक रेक्सारिया कर बार पुनानकार के कार्यों में के के कर करायों में से and the same through the same that the

- वर्षा करात से प्रमान क्षिम प्रत्यक्षिता हो। यह सम्बद्ध कार्ने प्रतिक कार्ने एक प्रतिकार प्रतिकार THE REPORT OF THE PARTY OF THE
- ना कृतिक प्राप्ता प्रमुख सक्त रहेगा का निस्ता किन्द्राने निसंदित समहावति के आसीत कारत. प्रभा वद्भा अवस्थिताहाय ने प्रतेषुत किया है। तरस्तु इस **प्रकार** की सूचिया दूसकी ma करण क्षेत्रक के किंद्र चूना जास्त्वशृत्ता देश काग्य वाक्सा अस्तिकात स्थात ।
- ार प्राप्त गां में फेट्रों में क्या नार में विसान सम्बद्धिक स्वयं संक्र में प्रमाण-पाड जनातकोस्तर ाम चारावार क्षेत्रक तमें से प्रमाण कर्तु विकाश ज्ञान करिक स्त्र तक की प्रमाण गांच अधिभार हेतु ---- १५६६ नायम् । जनावाः। विक्रियः मुस्य स्पारं एवं स्नातक)स्तत्र हिसीय वर्षे में वर्तम हेलु पूर्व २०% का उत्ताता-चाव आधिमार हेलु साम्य श्रीकी।

सकाय / विषय / गुग परिवर्तम .-

नाता हमाना प्राप्त प्रधान को से सहितारी प्रशास के सकत्य / विषय / भूष धरिवर्तन कर प्रवेश का मान प्रतासिक्ष को उनके द्रमताओं स 5 प्रतिशत घटतकर उनका मुणानुकन निर्धारित निया जायमा अधिभार घट हुय प्राप्ताको पर देग होगा। महाविद्यालय में स्नातक / स्नाटकोत्सर करान गर्थ में एका दार एवश जर³ ते चाद वर्तनांन संज के बोरान संकाय / विश्वय / सुप परिवर्तन ा जन्मता महाविद्यालय के प्राचारी द्वारा ३० सिसंबर तक या विलान से मुख्य परीक्षा परिणाम कर्म के जातिका 22 में ग्रास्नेदित प्रवेश की अधिमा तिथि से 15 दिनों तथा ही थी जारोगी। ाः जन्मारि इन्हीं विद्याधिय। को दब होंगी जिनको प्राप्ताक संबंधित विषयः/सकाय की मूल गुजम्बर्ग सुनी में आदिस प्रदहः वासे याल विद्याशी के समकत या प्रसास अधिक हो।

शांध्य साक्ष :--

र करीय सहाविद्यालयों ने पीएच हो भी शौध धालों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जासेगा। इस्त्यानम् । प्राथानिक कार्य अपूर्ण रह जाने की स्थिति में सुपरवाइनर की अनुशरम पर भागार्थ इस समग्रावर्धा को अधिकतन 4 वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पन्न में आवेदन <u>करें</u>ग बंबेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही निर्धामित प्रवेश मान्य किया लका जोम धान के निये संजीता विश्वविद्यालय द्वारा पी.एच-थी. निर्वेशन हेतु महाविद्यालय में पद्मारा मान्य प्राध्यासक सुपरवाहकर विश्वतिद्यालय द्वारा निर्वारित नियमी के अंतर्गत ही ध्यनां हार जार्य सपाधन करंग। जन्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में कामेरत है तो संधान अभिकारी हारा प्रेषित उपस्थिति प्रमाण-पत्र एवं पति तीन नाह की

- 11-

अवस्थित क्षेत्र कार्यात प्राप्त कार्यात कार्य

भागतिकात्रक ने विकास प्राणाणामा सुवारवाद्यान ने अस्तेष रेपालीवरण में जेले की देशिति भागतिक प्राप्त एकी संस्था में नामंत्री जीता अपने सानू देख प्रमान में अंदर्श की जेलान जीते अस्तेष्ट्रम पात अनोतिन विस्ता मेंगा की नीति नामें पूर्ण में सामान की सम्मान साम कि प्राणान स्थाप प्राप्त प्राण स्वार्तिकालाय के सामान्त्र असीतिन प्राप्ति ।

- क्ष विशोध --
- नहीं होती प्रमान-पाने गतार जनमानी जानमुक्तर पिनाम गये प्रतिकृत शामी प्रसारकोते असमा इन्हें इस्तिन असाजामीनेश प्रति किती श्रावेद्य जी प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश को जिल्हा करने का पूर्ण वाधित्व प्रामाने की होगा।
- वंदर केंद्रों लेकर किसी समृद्धित कारण, यूर्च असुमति या सुधना के दिना लगातार एक माहे या अधिक समय तक अनुवस्थित उड़न वाले विद्यासी जो प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होता।
- 153 जनर को बाद सात्र को बादान वर्गडेका 9.2 एवं 9.3 से वर्णित अमुशासमहीनक्षा को प्रकरणी में सिन्द विकासी का प्रवेश निरस्त करने अग्रहा उसे निष्यासित करने का अधिकार प्राक्षायें की हत्या।
- 18.4 प्रवेश के धाद राम के दोगान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय हो दें देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त हाम प्राथका क्रमका विद्यालय किये जाने की दिश्रति में विद्यार्थी की संबंधित निश्चि के असिदिक्त इन्य कोई सुद्ध याप्तिस नहीं किया जायेगा।
- *३६ प्रवरं क नार्गदर्शक सिद्धांती के स्वादीकरण या प्रदेश संबंधी किसी प्रकारण में भार्गदर्शन की अवस्थानता होने पर प्राध्वयं प्रकरण में अनियायं रूज से स्थाद द्वीप व अभिमत देते हुए स्थादीकरण / मार्गदर्शन आयुक्त उच्च शिक्षा क्रतीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश सद्धी किसी में प्रकारण को कंवल आंशित लिखकर प्रेपित न किया जाये।
- का इन नार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उस्त विकार विभाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय-समय पर प्ररिवर्शन ∕ सशोधन ∕ निरसन ∕ संलग्न का संपूर्ण अधिकार व्रत्तीसगढ़ शासन उस्त्य शिक्षा विभाग, गञालग्र को होसा।

(डॉ. किरण गजपाल) संयुक्त सम्रालक उच्च शिक्षा सम्रालगालय नया सम्पुर (छ.ग.)

वार्यालय आस्थल उन्त शिला समालनास्य हलाक परि-30, द्वितीय एवं सुदीय शहा, इन्द्रमाती भवन नया रायपुर (ए०ग०)

emis- 11" /228/20031/vimitu/16

of hima Mary Blanks in wat 91 Jak y 41412 West

कुलसरिया Visite Contraction Kangarat.

स्वयाः समाति समितिसीरूच प्रक्रिक्ट्राइ

नाम अस्तान विनास madia me



धारीसगढ के शेक्षणियां रास्थाओं के लिए एवं 2016-17 लेड्ड प्रता कर्न्दर्शिक 15.5.16

अवर चिवंच छ.ग.भासन उच्य शिक्षा विनाग वस पत के 2077 / 2282 / 22° 38-2 / 2014/38-2 शयपुर दिसाक 12.05.2016

द्यर्थका दिवसम्बर्गत संस्थ है जिस्मार्थकारों हुन प्रे. जना व नार्थ दाह धारी प्रार्टेस्स्पर सुन्य से दीक्षणिय रूपमधी है सिये एक श्रीति * मू मा हिस क्रमीनीय विद्यास एक्सीमिक स्थ 2016-17 से लिए यसामा साम् प्रा क्षप्रदेश क्षण प्रवास स्थान स्थितिको सामन अस्तिनेक उत्पत्ति स्टारेकालात का प्रथ की फ़ाराजीत स्पलका कराते हुंगे, प्रवर आगेक्सिक क्रिकेट -2 - 1°

हित अने प्राथमित का मन्दर्व स पालत करता पुरित्रेक्टर करते ।

717 petition of the tided on et राज किया राज भागा

/228/आअभि/समनाग/ १६ भूजामान-

ममा सम्बद्ध दिलाल - रहे / प

, अपूर्विति के अन्यानामा जिल्ला मेशास शास्त्रात की अन्य एककि, जना

कुर्ण सम्पन्नकः अज्ञेष क्षात्रोज्य । "उत्तर क्षेत्र स्थार ज्येत्रवाहर पति तम् स्थानार्थः।

संदर्भ क्षित्रम् नगत हत्यपूर

क्षित्रका असम सन्त्र जिल्ला विकास यामञ्ज महानदी भागन, नका तरपुर

7 JUNE 1983 STAD

, अध्यक्ष स्ता क्रिका स्टब्स्समानम CACHAN ROT तया रायपुर शतीसमदः

प्रस्तीसमह के शैक्षणिक संस्थाओं के लिये सब 2016-17 हैंगे उन्न 17 हैंगे that -सिकारा तैयार करने बाबत्।

राज्य क जीवासिय संस्थाओं में लिए हो आफ-१३ है === -भिन्न मार्थिक मार्थ दक्षण्य न्यूष्टार के लिए अध्यक्त साम क्षेत्र

क्षार रम्भी रोक्षणिया सारमाओं यह सुनिहत जारम दुध प्राणा संनेतन है । । । = -कर प्रकाशना का उपनई से पालन विन्ने जान तेतु निर्देशिक अपने हा जात प्रक

> - matymina Se il di il il i नाम उत्पाद विका

. 2252 2014 at 3

: विकास सहित्यम स्थानीय समिति स्थानिक स्थानिक विकास विकास विकास विकास का विकास के कि

o the resemble stort of the specimen within the three type and a many of

o Trans Edward America and the Takes Allie - Fair-

क्षा प्राप्त स्वकारित

a সাহিল্য কি কিব

gregate sellin

4 4 113 0 0

भाग स्थाप संस्थान समाप्ता स्थापन समाप्ता समाप्ता

and present areas. Trough and

्या राज्यात स्थानकारात प्राची स्थान स्थानकारात स्थानको स्थान स्थानको स्थान

दिवार - अस्तीसम्बद्ध के शिक्षाणिक संस्थाओं के जिसे तथा 2016 में यह प्रदेश स्टियार्ग के सिक्षात तैयार अस्तै प्रावस्थ

राज्य सा मध्योगिय संस्थाति संस्थाति स्थापाति । चित्र मेचितिये नाम मध्योगिय संस्थाति संस्थाति स्थापा स्थापा ।

े क्या प्राप्त प्राप्त संस्थात संस्थाता मह सुनित ज्या हुए कहा तह है के उन्हें हैं है । भार कड़ियानों का हालाई से पालन किये जाने होतु निविधित करने के निविध तहें

> (भूवनेश साध्य) - पुजा नगरे

H1 (H) 12 1 17

न प्रसाराभा स्थापन दिला ।

· 2282 2014 38-2

- े 'दश्य संधारम, माननीय मंदीवी, तठ विभा विभाग धत्तरीसन्त हो सन 🖘 🖘
- ह जिल्हा राज्यकाष्ट्रमार स्थानित, धार्यनार्थर शासन तथ्ये (शहर शिक्षा) र स्टूट र क्रिक्ट
- जी सर तकन्त्री।
- 4 2002 97-031

सम्बद्धाः स्ट्रीयः अस्तिसम्बद्धाः स्टब्स् स्टब्स् स्टब्स्

posterie busta जान दिवस विकास 1100-274 मतावधी आस्त, तथा महापूर

me report on the most

go to the second contract to the second grant to be

भार रहन्द्र प्रभाभवा

भलीसगढ के दीशणिक सत्त्वाओं के लिये तन २३१६ धा अनु १००० मार्गवासिक विषय -क्षित्रके वेगार अस्ते भवता

प्राच्य के दर्शांक्षक क्षरणाक्षा के लिए वर्ग अग्राज्ञ-क म चार्ट के विकास क्या राष्ट्रकार के प्राप्त कारण के स्थित प्रशासन लगा प्रथम

-- 11 ---

व बाह्य तथा संस्थापक सरकाशत मा सुनित समये दूध प्रवंश शतर राग्य कि हाल हा ार के क्यों के की पहलाई में जातक किया जाने की निवेदिया वासने का आहे करें

PERSONAL DESIGNATION OF SE

प्रात्तेसमाद शास्त्र उत्त श्रीत प्रात्ते

न्दाः समाप्र चित्राः ह

+2252 3554 JF-2 ं विद्याप सार्थको सन्तरीय स्क्रीना कर विभा विभाग वर्तायका प्राप्त महामा रहा है है।

and engineering the state of the specific per tree to be a rest of the

ा विकास क्रिकेट क्रिकेट स्थापन कर जाने मान्य के मान्य के मान्य करणाई है।

्य प्रकाशकार्यो

a destruction

thing directive area from tream 13 31-33 मसानदा असा, असा असार 4577 Dec 2004 4-7 H - I - It 1.67734 and the mannered 3 " he will with नक रामपुर प्रात्तिसम् प्रस्तीसम्बद्ध के कैस्त्रीयक संस्थायों के हिंदे सन १००० -Cart -शिक्षात तैयार करने बावत्। - - T-- F राज्य व श्रेमित अस्त्रात्र व विष्यु की त्यानार -ि एक इन्होंने देन प्राय-1900 मा किए मानान कार जाए। न पार करते. रोस्पंथिक संस्थाता क स्रोतित करो । ा अस्तरामी को स्थानी के पहल्ल किया होते हैं के प्रशास कर है । Augmini ==== VIIII KIRING 1547 7212 231R ·· (the state of the s e har complete set of the second of the seco and the first and more as the first section with the second g: == =0 -1

होति सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन नया रायपुर (छ०ग०)

ण50/02/आउशि/समन्वय/15

नया रायपुर दिनांक 07/07/15

- 1. कुलसचिव समस्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ
- 2. प्राचार्य. समरत अग्रणी महाविद्यालय



छत्तीसगढ़ के शैद्यणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश

अवर सचिव छ.ग.शासन उच्च शिक्षा विमाग का पत्र क. 2636/2282/ विषय :-संदर्ग :-2014 / 38-2 रायपुर दिनांक 04.07.2015

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि छ०ग०शासन, उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भित पत्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शंक्षणिक संख्याओं के लिये सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत जारी किये गये है। प्रवंश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2015-16 की प्रति संलग्न कर प्रेशित है। कृपया आप अपने एव अपने अधीनरथ समस्त शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों को पत्र की छाटाप्रति उपलब्ध कराते हुये, प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत 2015-16 में दिये गये प्राथधानों का कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करायें।

संलग्नः - उपरोक्तानुसार।

(डॉ.किरण गजपाल) संयुक्त संचालक क् उच्च शिक्षा, नया रायपुर

नशा रायपुर दिनांक 07/07/15 प्.क्रमांक- /02/आउशि/समन्वय/15 प्रतिलिपि :-

1. अवर सचिव, छ.ग.शारान, उच्च शिक्षा विभाग की ओर संदर्भित पत्र के संदर्भ में

2 धेत्रीय अपर संचालक, क्षेत्रीय कार्यालय उच्च शिक्षा बिलासपुर/जगदलपुर/ अभ्वकापुर की ओर सूबनार्थ।

चच्च शिक्षा, नया रायपुर

छत्तीरागढ शासन उच्य शिक्षा विभाग : गंत्रालय : महानदी भवन, नया रायपुर

/2202 /2014 / 30-Z

रायपुर, विशाव ६५ / १०७ / २०१५

आदक्त. उस शिक्षा संचालनालय, हन्दाहरी भवन, नया रायपुर (छ०ग०)

छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक संस्थाओं के लिए सत्र 2015-16 हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका सिद्धांत तैयार करने बाबत्।

00 -

विषयांतर्गत छत्तीसगढ के रीक्षणिक संस्थाओं के लिए रीक्षणिक सत्र 2015-16 हिंतु प्रदेश ंदशिंका लिखांत की एक प्रति संलग्न प्रेषित है। कृपया सभी संबंधित संस्थाओं को मार्गदर्शिका की प्रति लब्ध कराते हुए मार्गदर्शिका में दिए गए प्रायधानों का कड़ाई से पालन किये जाने हेतु निर्देशित करने का र जरे।

निर्देशानुसार सूचित है कि प्रकरण के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर, की गई कार्यवाही सं न विनाग को अवगत कराने का कष्ट करें।

(श्रीमती दुर्गा देवांगर्न) अवर सचिव **८** छ ग. शासन, उच्च शिक्षा विनाग रायपुर, दिनाक /07/2015

/2282/2014/38-2 4

 विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, नया शयपुर, तिलिपि -

2. सचिव, उत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मन्नालय, नया रायपुर,

र्का ओर सूचनार्थ। 3. आदेश फोल्डर।

अवर सचिव छ ग, शासन, उत्ता शिक्षा विनाम

उच्च शिक्षा विभाग शासकीय/अशासकीय महाविधालयों की स्नातक तथा रनातकोत्तर कहाओं में प्रवेश के लिए नार्गदर्शवा सिन्धांत सत्र 2015-2018

व नागंदरांक सिद्धांत छत्तीसगढ़ के सभी शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों में छत्तीसगढ़ विद्वविद्यालय अधिनियम-1973 के तहत अध्यादेश क्रमांक ६ एवं ७ के प्रावधान के साथ सहपटित करते हुए लागू होंगे तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगे।

प्रवेश के नियमों को शासकीय तथा अशासकीय महाविद्यालयों को कड़ाई से पालन करना हांगा। "प्रवेश से आशय रन तक कक्षा के प्रथम वर्ष अथवा प्रथम रोमेस्टर तथा रनातकोत्तर कक्षा के पूर्व अथवा प्रथम समेस्टर से है।

- प्रवेश की तिथि:—
- 21 प्रवेश हेतु अचेदन पन्न जगा करना :--

आवेदक द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश के लिए प्रावार्थ द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र, समस्त प्रमाण पत्रों सिहत निर्धारित दिनांक तक महाविद्यालय में जमा किये जाएंगे। विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि की सूचना महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम सात दिन पूर्व लगाई जावेगी। प्रवेश हेतु बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंकसूची प्रदान न किये जाने की रिथित में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा प्रमाणित किये जाने पर बिना अंकसूची के आवेदन पत्र जमा किये जावें।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम लिथि निर्धारित करना :-

स्थानांतरण प्रकरण को छोड़कर 31 जुलाई तक प्रावार्य खर्य तथा 14 अगस्त तक कुलपित की अनुमति से प्रावार्य प्रवेश देने में सक्षम होंगे। परीक्षा परिणान विलम्य से घोषित होने की रिथित में प्रवेश की अंतिम तिथे महाविद्यालय में परीक्षा परिणाम प्राप्त होने की तिथि से 10 दिन तक अथवा विश्वविद्यालय/बोर्ड हारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन तक, जो भी पहले हो मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित, कर्मचारियों के स्थानांतरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र—पुत्रियों को स्थान रिवत होने पर ही सन्न के दौरान प्रवेश दिया जाये किन्तु इसके लिए कर्मचारी हारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना एवं आवेदक का प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने की स्थित में ही प्रवेश दिया जायेगा।

स्पष्टीकरण :-

आवंदक "क" ने किसी अन्यत्र स्थान (अ) के महाविद्यालय में नियमानुसार किसी कक्षा में प्रवेश लिया था। उसके वाद उसके पालक का स्थानांतरण स्थान "व" में हो गया, इस स्थान (ब) के किसी महाविद्यालय में अब वड़ प्रदेश लेना चाहता है, रिवत स्थान होने पर ही उसे प्रवेश विधा जायेगा। आवंदक "ख" ने स्थान (अ) में जहां उसके पालक कार्यरत थे, किसी भी नहाविद्यालय में प्रवेश नहीं लिया किन्तु पालक के स्थान (ब) पर स्थानांतरण होते ही, स्थान

2.

विषय महाविध्यालय में प्रवेश लेमा जाहता है, उता अब प्रवेश के लिए निर्धारित अहि विषय जाने के बाद आवेदक (स) को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

क्वाकन में उत्तीर्ण छात्रों के लिए प्रवेश की अंतिम विधि निर्धारित करना :-

संकाय में अतिरिवत अन्य रांकायां मं पुनर्गृल्याकन में तस्तीणं छात्री की पुनर्गृल्याकन के क्षणाम धोषित होने के 15 दिन तक, रांबंधित विश्वविद्यालय के कुलपति की अनुमित के कुलाव गुणानुकम में आने पर प्रयेश की पालता होगी। किन्तु विधि संकाय की कथाओं में गुणानुकम के आधार पर प्रवेश की पालता होने पर भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त होने पर ही विद्या जायेगा। 12 वी विश्वा में पुनर्गृल्यांकन में उत्तीण छाल—छालाओं को नी स्थान रिक्त होने पर नियमित प्रवेश की पालता होगी।

प्रवेश संख्या का निर्धारण :--

- 3.1 महायिद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में वैठने की व्यवस्था, प्रयोगशाला ने उपलब्ध उपकरण/उपयोग योग्य सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर पूर्व ने दी गई छात्र संख्या (सीट) के अनुसार ही विभिन्न कक्षाओं के लिए छात्रों को प्रवेश दिया जावेगा। यदि प्राचार्य नहाविद्यालय में प्रवेश हेतु छात्र संख्या में सीट की वृद्धि चाहते हैं तो वे 30 अप्रेल तक अपना प्रस्ताव उच्च शिक्षा संचालनालय को प्रेषित करें तथा "उच्च शिक्षा संचालनालय / उच्च शिक्षा विभाग से अनुमति प्राप्त होने पर ही वढ़े हुए स्थान के अनुसार प्रवेश की कार्यवाही करे।"
- 3.2 विधि स्नातव प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की कहाओं में बार काँसिल हाचा निर्धास्ति मापदण्डों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन (अधिकतम 4 संक्शन) में प्रवेश गुणानुकम के आधार पर दिया जावे। सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय हारा प्रत्येक कक्षा के लिए अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे।

प्रवेश सूची :--

- 4.1 प्राचार्य द्वारा प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिग तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहां अधिमार देय है, वहां अधिमार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुकम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी।
- 42 प्रवेश समिति द्वारा आवश्यक र लग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित किये जाने एवं रशानातरण प्रमाण-पत्र की गूल प्रति जमा करने के पश्चात् हो प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी। प्रवेश देने के तत्काल बाद स्थानांतरण प्रमाण-पत्र पर "प्रवेश दिया गया" की गोटर लगाकर उसे रदद करना चाहिये।
- 4.3 निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महानिद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात स्थानातरण प्रमाण-पञ्च की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से किस्स्न कर दिया जाने।

कोर सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम विक्रि के बाद समान दिवल होने पन सूची में नियमानुसार प्रतेन हेतु जिलम्ब शुल्का प्रयम 199/ - अंशासकीय मद में अंदिरिक्त से बर्ज़ा जायेगा, तथाणि ऐसे प्रवासणी में 3= मुलाई की मरबाल प्रनान का अनुमति होते से व्यामेगी

हरानातरण प्रमाण-पत्र भी तितीय प्रति (तुप्तीकंट) के आधार पर प्रश्न नहीं विद्या स्ट्रा । त्यानातरण प्रमाण-पत्र प्रो जाने की रिप्रति में, विद्यार्थी प्रारा निकटरक पुन्सि काल में एक आई.आर. दर्ज किया जाये। पुलिस धाने की रिपोर्ट एवं पूर्व प्रवेश प्राप्त संस्था न अविकृत रिपोर्ट जिसमें मूल स्थानातरण प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक एवं विनांक का उत्तरक ही, प्राप्त होने की स्थिति में ही प्रवेश दिया जा सकता है। इन हेतु विद्यार्थी से व्यन पत्र लिया जाये। महाविद्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र ने सर्वांका गोपनीय रिपोर्ट जाये प्राची करने हिंगा करने का साथ-साथ छात्र ने सर्वांका गोपनीय रिपोर्ट जाये करने हिंगा करने के साथ-साथ छात्र ने सर्वांका

महाज्यालय के प्राचार्य स्थानांतरण प्रमाण-पत्र जारी करने के साथ-साथ छात्र न स्थाननां गोपनीय रिपोर्ट जारी करेगे कि संबंधित छात्र रीगेंग/अनुशासनहींमता/होहफाड आहि न संतिष्त है या नहीं। ऐसे गोपनीय रिपोर्ट को सीलवन्द तिफाफं में बन्द कर उस महातिधालय के प्राचार्य को प्रेषित करेंगे जहां कि छात्र/छात्रा ने प्रवेश के लिए आवेदन किया है

- 47 छत्तीसगढ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के आदेश व्रामांक 2653/2014/38-1 विनास 10.09.2014 अनुसार 'राज्य शासन, एतद द्वारा, शासकीय नहाविद्यालयों में अध्ययनरत स्नातक स्तर की छाठाओं को शीक्षणिय सन्न 2014-15 से शिक्षण शुक्क से छूट प्रवान करता है." कि पालन किया जाए।
- 5 प्रवेश की पात्रता :--
- 5.1 निवासी एवं अईकारी परीक्षा :-
 - (क) छत्तीरगढ के मूल/स्थायी, छत्तीसगढ़ में स्थायी संपत्तिधारी निवासी/राज्य या किन्द्र सरकार के शासकीय वर्गवारी, अधेशासकीय कर्मवारी तथा प्राइवेट लिगिटेड कपनी के कर्मवारी, सष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मवारी जिनका पदांकन छत्तीसगढ़ में है, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जग्मू काश्नीर के विस्थाणितों तथा उनमा आश्रितों को ही शासकीय महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जायेगा। उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात् भी स्थान रिका होने पर अन्य राज्यों के मान्यता प्राप्त बोर्ड एवं अहंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदवर्ग को नियमानुसार गुणानुकम के स्थापर पर प्रवेश दिया जा सकत्य है।
 - (ख) सम्बद्ध विश्वविद्यालय से या सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों से अलंकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदयमें को ही महाविधालय में प्रवेश की पांचता होती।
 - (ग) आवश्यवसानुसार संबंधित विश्वविद्यालय से पानता प्रमाण-पन्न प्राप्त करने के परभात ही आवदक को प्रवेश पदान किया जाए।
- 5.2 रनातक रतर, नियमित प्रवेश -
 - (क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदको को स्थातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश ली करण होती। दिल्लु याणिक्य और कला संकाय के आददकों को विद्यान सकत में प्रवेश रहा

जायेगा। बी एल.सो (नृह विज्ञान) प्रथम वर्ष ने किसी भी संकाय से उत्तीर्ण द्वाजा अ प्रवेश की पालता होगी।

ह्नातक स्तर पर प्रथम/हितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उन्हीं दिएटों की कमश हितीय/एतीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। स्नातक हिनीय स्तर पर विषय परिवर्तन की पात्रता नहीं होगी।

नातकोत्तार स्तर नियमित प्रवेश :-

- (क) बी.कॉम./बी.एस.सी. (गृह विज्ञान)/बी.ए. स्नातळ परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमश्र एम.कम./एम.एस.सी. (गृह विज्ञान)/एम.ए.-पूर्व/प्रथम सेमेस्टर एवं अहंकारी विषय लेकर, बी.एस.सी उत्तीर्ग आवेदकों को एम.एस-सी/एम.ए.-पूर्व में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ख) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष / प्रथम सेगेस्टर उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर दितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। संगेस्टर पद्धति की, पूर्व अर्हकारी पर्शक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले संगेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- (ग) स्नातकोत्तर कक्षाओं हेतु ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियम :-
 - स्नातकोत्तर प्रथम सेनेस्टर में प्रावधिक प्रवंश की पात्रता रखने वालं आवंदकों की प्रदेश के लिए निर्धारित अंतिन तिथि के पूर्व प्रावधिक प्रवंश लेना अनिवार्च है।
 - स्नातकोत्तर तृतीय सेमेस्टर में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Terms) नियनों के अनुसार पात्र आगेदकों को अगले सेमेस्टर में प्रावधिक प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.4 विधि संकाय नियमित प्रवेश :-
 - (क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को यिथि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
 - (ख) विधि रनातक परीक्षा उन्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश को पात्रता होगी।
 - (ग) एल.एत.वी. प्रथम संगेस्टर एव एल.एत.एम. प्रथम सेमेस्टर परीक्षा उत्तीणं आवेदकों को कमशः एल.एत.वी द्वितीय सेमेस्टर एवं एल.एत.एम. द्वितीय सेमेस्टर में प्रवेश की पातता होगी। इसी प्रकार तृतीय, चतुर्थ, पत्तम संगेरटर में भी प्रवेश की यही प्रक्रिया लाग् होगा।
- 5.5 प्रवेश हेतु अहंकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा :--
 - (क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 45% (अनुसूचित जनजाति/अनसूचित ज्यति हेतु 40%) होगी। विधि स्नातकोत्तर पूर्वाद्धं में 55% अर्क प्राप्त आवेदकों को ही नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।
- 5.5 AICTENCTIBAR COUNCIL DE INDIA MEDICAL COUNCIL OF INDIA से अनुसादित पाठ्यक्रमों में प्रवेश / संसालन पर संबंधित संस्था के प्रावधान प्रभावी होगे।

कोर्ड ऑफ रोकेण्डरे एजुकेशन (सी.बी.एस.ई.) इंडियन कोसिल फार सेकन्डरी कोर्ड ऑफ रोकेण्डरे रामा अस्य राज्यों के विधालयों / इंटरमीडिएट बॉर्ड की 10+2 की क्षणि वाध्यमिक शिक्षा मण्डल को 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है। प्राधार्य मान्य शेर्ड की राजी सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं।

्यानान्यतः भारत में स्थित विरहिवद्यालयां जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएसन ऑक प्रिविद्यालय हैं. उनकी समस्त परीक्षाएं छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समक्रा माण्य है। ऐसे विश्वविद्यालय (IGNOU को छोड़कर) जो दूरवर्ती पाठ्यक्रम सम्बन्धित करते हैं. किंतु राज्य शासन सं अनुमति प्राप्त नहीं हैं. की परीक्षाएं मान्य नहीं हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य के बहर के किती भी विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्था को छत्तीसगढ़ राज्य में अध्ययन केन्द्र/ऑफ कम्पस आदि खोलकर छात्र—छात्राओं को प्रवेश देने/डिग्री देने की मान्यता नहीं है तथा ऐसी संस्थाओं से डिग्री/डिप्लोमा गैछानिक लप से मान्य नहीं होगा।

- सम्बद्ध विश्वविद्यालय द्वारा गान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय का शिक्षण लस्थाओं की सूठी एव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय—समय पर जारी फर्जी अथवा नान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं, जिनकी छपाधि मान्य नहीं है, की जानकारी प्राप्तार्य सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त करें।
- 6.4 वर्ष 2012 में प्रारंग किए गए एनवीईक्यूएफ (National Vocational Educational Qualification Framework) के अंतर्गत उत्तीर्ण आवेदकों को विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में दाखिलों के लिए अन्य सामान्य विषयों की तुलना में समतुल्य प्राथमिकता प्रदान की जावे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अर्द्धशासकीय पन कमांक 1–52/2013(सीसी/एनएसक्यूएफ) अप्रैल, 2014 के अनुसार –

"जैस कि आपको जात है आर्थिक कार्य विभाग, विस्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय कौशल अर्हता संरचना (एनएसक्यूएफ) में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय व्यावसायिक शैक्षिक अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) में सूत्रबद्ध किये गये समस्त महत्वपूर्ण तथ्यों को निगमित किया गया है। जैसा कि एनएसक्यूएफ में अधिसूचित किया गया है कि यह । से 10 स्तर तक के प्रमाण-पन्न उपलब्ध कराता है जिनमें स्तर 5 से स्तर 10 तक के प्रमाण पन्न उच्च शिक्षा से एवं स्तर 1 रो स्तर 4 तक के प्रमाण पन्न स्त्रूली शिक्षा के क्षेत्र से सम्बद्ध है। वर्ष 2012 में प्रारम्भ किये गये एनवीईक्यूएफ के अनुसरण में कुछ स्कूल बीडों द्वारा धान्ते को पाद्यक्रम प्रस्तावित किये गये और एनवीईक्यूएफ के अंतर्गत छान्ते को समस्त्रीय प्रमाण-पन्न प्रवान किये जा रहे हैं। ऐसे छान, एनएसक्यूएफ के स्तर व तमनुत्व समस्त्रीय प्रमाण-पन्न प्रवान किये जा रहे हैं। ऐसे छान, एनएसक्यूएफ के स्तर व तमनुत्व के प्रमाणित स्तर सहित 10-12 शिक्षा को वर्ष 2014 एक सफल कर पायेमे। मानव सरकान के प्रमाणित स्तर सहित 10-12 शिक्षा को वर्ष 2014 एक सफल कर पायेमे। मानव सरकान के प्रमाणित स्तर सहित 10-12 शिक्षा को वर्ष 2014 एक सफल कर पायेमे। मानव सरकान के प्रमाणित स्तर सहित 10-12 शिक्षा को वर्ष 2014 एक सफल कर पायेमे। मानव सरकान के प्रमाणित स्तर सहित 10-12 शिक्षा को वर्ष 2014 एक सफल कर पायेमे। क्षानव हम्म किताले

कार में लागसायिक विषय थे वे अलाभकारी रिवरि में होंगे। अह परा आपसे के जिस समय छात्रों द्वारा विश्वदिद्यालय एवं महाविद्यालय में अन्य किसी भी पूर्व पाठ्यकमों में दाक्षिलों के लिए प्रयास किये जा रहें हो तो उस समय ऐसे विषयों जना सामान्य विषयों की चुलना में समातुल्य प्राथिकहता प्रवान की जाये, लाकि उन छात्रों कीविजिय गल्यात्मकता के लिए सुआयसर मिल सनों।

नाह्य आवेदकों का प्रवेश :-

लातक रतर तक बी.ए./बी काँग./बी एस.—सी./बी.एग.एग.—सी. में एकीकृत पाठमकम लाग् होने से छत्तीसगढ़ के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वणासी महाविद्यालय स इथम/हितीय वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को कमशा हितीय/मृतीय वर्ग में प्रवेश की पाइता है किन्तु सम्बद्ध विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयो/विषय समृहों ने आवेदकों ने पिछली परीक्षा मी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात ही नियमित इतम विया जावे। आवश्यक हो तो विश्वविद्यालय से पाइता प्रमाण-पत्र अवश्य लिया जाये।

7.2 छत्तीसगढ़ के चाहर रिथत विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय परीक्षा अन्य विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकांत्तर पूर्व की परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ण की परीक्षा उत्तीणं आवेदकों को उनके द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रनाग-पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् है। उन्हीं विषयों/विषय समृह की अगली कहा। में नियमित प्रवेश दिया जावे।

राज्य के वाहर के विद्यार्थियों की निर्धारित प्रारूप में एक शपथ—पत्र देना होगा कियी भी प्रकार की झूटी/गलत जानकारी पए जाने पर संबंधित विद्यार्थी का प्रवेश निरस्त करते हुए उसे प्रवश के किसी भी विश्वविद्यालय में प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। अन्य राज्य के आवेदकों द्वारा प्रस्तुत दरलावेजों का प्रमाणीकरण संबंधित बोर्ड/विश्वविद्यालय से कराया जामा अनिदार्थ हैं।

- 73 विझान एवं अन्य प्रायोगिक विषयों में स्वाप्यायी आवंदाकों को स्थान रिक्त होने पर तथा महाविद्यालय के भूतपूर्व छाओं को 30 नदबर तक, निर्धारित शुल्क लेकर मान प्रायोगिक काय करने की अनुमति प्रायार्थ द्वारा थी जा राकती है।
- अस्थायी प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश ऐतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व
 अस्थायी प्रवेश लेगा अनिवार्य छोगा :-
- 8.1 10+2 तथा रनातक रतर की प्रथम / दितीय वर्ष की परीक्षा में पूरक परीक्षा (कम्पार्टमेर) पादा नियमित अमेदकों को अन्ति प्रका में स्थान रिक्त होने पर अस्थायी प्रवेश की पातल हाती।
- 82 स्वातकोत्तः समस्टर प्रथम,'द्वितीय/द्वितीय में पूरकः एटी केटी प्राप्त आवेदको को अमर्थ कक्षा में अन्धारी प्रवेश की पारता होगी।
- 83 किंव स्थातक प्रधन् हिताय वर्ष वे किवितेत एपीयेट 48 प्रतिशत पूरा न करने वर्ट के पूर्य प्राप्त आवंदकों को अवसी वर्धा वे अववादी प्रदेश की वानता होगी।
- 8.व. उपरोक्त व दिवन र के राष्ट्र । एन 2 के आवदका का अस्थावी प्रोष्ट की वस्था

क्षा में अनुस्तीर्ण होन पर अस्थायों प्रदेश धारा छात्र / छात्रका जा अस्था हार का ता हो आयेगा। उत्ताम होने पर उत्तामी प्रका नियमित प्रांत के ना ने नान कि 53.01

का हेत् उस्ताएं :-

करी भी महाविद्यालयः /विरविद्यालयं शिक्षण विमान के किसी सकाद में प्रवेश कर वात / प्राचाओं को उसी संकाय की उसी कंका में पुनः निपनित प्रवेश की पाउटा नहीं होगी। वंदि किसी छात्र में पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रदेश मही किया हो ता एक आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनहं नहीं माना जाठंगा, एसं मात्र मूल स्थानातर प्राण्याना तथा रापथ-पन्न जिससे प्रसाचेता हो कि पूर्व में उसने प्रदेश नहीं लिया है, से अकार पर की नियमानुसार प्रवेश दिया जाठेगा।

- जिनमें विरुद्ध न्यायालय में वालान प्रस्तुत किया गया हो या न्यायालय में अपराधिक प्रकर चल रहे हों. परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिमारियों/लर्नदारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हो/चेतावनी के बाद भी चुवार परिचक्टि नहीं हुआ हां, ऐसे छात्र / छात्राओं को प्रवेश नहीं देने के लिए प्राचार्य अधिकृत है।
- 9.3 महाविद्यालय में तोड़फोड़ करने और महाविद्यालय की संपत्ति को नष्ट करने कहें / रोगेन के आरोपी छात्र/ष्ठात्राओं का प्रवेश निरस्त करने/प्रवेश न वेने के लिए प्राथाये अधिकृत हैं। प्राचार्य इस हतु समिति गिंदेत कर लॉच करवावें एवं जॉच रिपोर्ट से अधार पर प्रवेश निरस्त किया जाये। ऐसे छात्र-छात्राओं को छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी शासकीय / अरासकीय महाविद्यालय में प्रवेश न दिया जावे।
- प्रवेश हेतु आयु-सीमा :-
 - (क) स्नातक प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर पूर्वर्द्ध/प्रथम सेनेस्टर में 21 वर्ष से अधिक आयु के आवंदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गमना आदेदित वर्ष के एक जुलाई की रिथति में की जायेगी। डिप्लोमा एवं स्मातकोत्तर डिप्लोमा में प्रवेश हेतु निर्वारित अधिकतम आयु सीमा सामान्यतः 27 वर्ष मान्य की खाएगी।
 - (ख) आयु तीमा का इसन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय है जायांत्रय तथा उनके द्वारा नियंत्रित संस्थाओं द्वारा पायोजित व अनुशक्ति प्रत्याशियों भारत सरकार द्वारा आयोजित अथवा किसी विदेश सरकार द्वारा अनुसंसित दिदेश से स्ट्राट्यन हेतु भेजे गठे छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिए विदेशी मुदा में पेमेटलीट पर अध्ययन करने वाले छात्री पर लागू नहीं होगा।
 - (7) विधि संकाय में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा का प्रावधान समापा किया लाता है।
 - (E) रांस्कृत महाविद्यालय गं प्रवेश हेतु स्नातक प्रथम वर्ष में 25 वर्ष तथा स्मातकोत्तर पूर्व / प्रथम सेमेरटर में 27 वर्ष से आंधेक आयु वाले आवेदकों की प्रदेश की पासन नहीं होगी।
 - विधि सकाय को छोडकर अनुसृधित जाति /अनुसृधित जनजाति, विध्या वर्ग, कि राजा (3) अभ्यथी / महिला आवंदरमें के लिए आयु सीमा में उ वर्ष की छूट रहेगी।

शासकीय / अशासकीय सेवारत कर्मचारी की उसकी दैनिक कार्य की जगांच म महाविधालय में नियमित प्रवेश की पात्रधा नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि क लगने वाले महाविधालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक हारा नियावता का

क्षी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को किसी अन्य संकामों के स्नातक वाह्यकम में नियमित प्रवेश को पञ्चता नहीं होगी।

प्रवेश हेतु गुणानुकम का निर्धारण :-

उपलब्ध रणानों से अधिक आविक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुकम सं किया जायेगा।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तार कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा के प्राप्तांक एवं अधिभार देय है, तो अधिभार जांसकर प्राप्त कुल प्रतिशत अंकों के आधार पर तथा

ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्ध विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मागदण्डों के अनुसार होगी।

10.2 अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग-अलग गुणानुकम सूची तैयार की जायेगी।

11 प्रवेश हेतु प्राथमिकता :--

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर/विधि कक्षाओं में प्राथिकता का आधार, अईकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/मूतपूर्व नियमित परीक्षार्थी/स्वाध्यायी उत्तीर्ण छात्रों के कमानुसार रहेगा।

11.2 स्नातक/स्नातकोत्तर अगली कक्षाओं में प्राथमिकता का आधार, अईकारी परीक्षा में उत्तीर्ण नियमित/उत्तीर्ण गूतपूर्व नियमित/एक विषय में पूरक प्राप्त पूर्व सन्न के नियमित/स्वाध्यायी विद्यार्थियों के क्रम में होगा।

11.3 विधि संकाय की अगली कक्षाओं में पूरक छात्रों के पहले उत्तीर्ण, परंतु 48 एग्रीगेट प्राप्त करने वाले छात्रों को प्राथमिकता के आधार पर प्रवेश दिया जावे, अन्य कम यथावत रहेगा।

11.4 आवेदक द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के स्थान अथवा उसके निवास स्थान/तहसील/जिला में रिथल या आसपास के अन्य जिले के समीपरथ स्थानों पर स्थित महाविद्यालयों में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्यापन की सुविधा होने पर ऐसे आवेदकों के आवेदनों पर विचार न करते हुए उस विषय/विषय समूह में प्रवेश हेतु प्राचार्य द्वारा अपने नगर/तहसील/जिलों की सीमा से लगे अन्य जिलों के समीपस्थ स्थानों के आवेदकों को प्राथमिकता देते हुए प्रवेश दिया जावे आवेदक के निवास स्थान/तहसील/जिलों में रिधत या आसपास के अन्य जिलों के लगीपस्थ स्थित महाविद्यालय में आवेदित विषय/विषय समूह के अध्ययन की सुविधा नहीं होने पर उन्हें गुणानुकम से प्रवेश दिया जावेगा। स्थान रिवत रहने पर एवं गुणानुकम में आने पर पूरे प्रदेश के छात्रों को पूरे प्रदेश में प्रवेश की पात्रता होगी।

11.5 परन्तु उपरोवन प्रावधान रवशासी महाविद्यालयों के लिए लागू नहीं होगा, किसी एक विषय की रनातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य विषय की स्नातकोत्तर कथा में प्रवेश

महाविद्यालय में स्थान रिवत रहने की स्थिति में भी विया जा सकेगा।

त्र सामान्य शासन की आस्त्राण जीति का अनुक्रम निम्नानुसार सोगाः —

्या विकास किया है जो प्राप्त में सारण का आरोश का आरोश काम किया शक्षाणिक सरका में दूसपत

- त्र अनुस्कित जनकाशियों के विषय अपक्षित रहनी।
- ात अनुस्तित जातियाँ च लिए आरक्षित चहुमारा संख्या में से बारह प्रतिशत बोर्ट अनुस्तित जातियाँ च लिए आरक्षित चहुमी।
- (n) अध्यान या सकाय की प्रत्येक प्राच्या में वार्तिक अनुहास सक्या में से चीवह प्रतिशत् सीट अन्य पिछक्ष एमी के लिए आपरित रहेगा।

भरत्यु जारों प्रमुश्रीचा प्रमाणातियाँ ये दिए आरक्षित सीटें पात्र विद्यार्थियों की अनुपलकाता के कारण जातिम विशेष्ण पर दिवत रह जाती है, तो इसे अनुस्कृतित जातियाँ से तथा विपक्षित कम में पात्र दिवत है। तो इसे अनुस्कृतित जातियाँ से तथा विपक्षित कम में पात्र दिवत है।

परन्तु यह और कि पून्मामी परतुक में निहिष्ट जावस्था के परवात भी, जहीं खण्ड (क), (क) राष्ट्रा (ए) के अधीन आर देश सीट अतिम निश्चिया) पर रिवत रह जाती हैं, तो इसे अध्य पात्र विद्यार्थियों से भरा जाएगा।

- 12.2 (1) बिन्दु के 12.1 के खदा (क) ख) तथा (ग) के अधीन उपलब्ध सीटों का आरहाण उपयोगर (बटीकल) रूप वे अक्शरित किया राएगा।
 - (2) निःशवत व्यक्तियां, महिलाओं भृतपूर्व कार्निकी, त्यतंत्रता संग्राम सेनानियों के चव्ची या व्यक्तियाँ को अत्य विशेष वर्ग के सबध में क्षेत्रिक आरक्षण का प्रतिशत ऐसा होगा, जैसा कि सक्त सरकार द्वारा समर-समय पर इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अधिस्थित किया जाए तथा यह बिन्दु क. 12.1 के खण्ड (क). (ख) तथा (ग) के आधीन यथारिथति, प्रध्योगर आरक्षण के भीतर होगा।
- 12.3 रवतंत्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र-पुत्रियों तथा निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के लिये संयुक्त रूप से 3 प्रतिशत् स्थान आरक्षित रहेंगे। निःशक्त श्रेणी के आवेदकों के प्राप्ताकों को 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार पेकर दोनों वर्गी का सम्मिलत गुणानुकम निर्धारत किया जायेगा।
- 12.4 सभी गर्गों में उपलब्ध स्थानों में ने 30 प्रतिशत् स्थान छन्त्राओं के लिये आरक्षित होंगे।
- 12.5 आरक्षित श्रेण का कोई उम्मोददार अधिक अंक वाने के कारण अनारक्षित श्रेणी ओपन कामीदीशन में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है. तो आरक्षित श्रेणी की सीटें चथावत अपगादित रहेगी, परन्तु पदि एका विद्यार्थी किसी संदर्ग जैसे— स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की यह सीट जस आरक्षित श्रेणी में भरी नानी जावेगी, श्रंप संवर्ग की सीटें मरी जायेगी।
- 12.6 आरक्षित स्थान का प्रतिशत् 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा. 1/2 प्रतिशत् एवं एक प्रतिशत् क बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।
- 12.7 जम्मू—करमीर विस्थापितों तथा आश्रितों को 5 प्रतिशत् तक सीट वृद्धि कर प्रवेश दिया जाए तथा न्यूनतम अंक में 10 प्रतिशत् की छूट प्रदान की जाएगी।

तर शासन क्षेत्रा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जाये। में दर्शाई गई आरक्षण के प्रायधान माननीय उच्च न्यायालय विलासपुर के निर्णय

ित के द्वावितयों के माननीय एक्यतम न्यायालय प्राप्त इस संबंध में प्रकारण कनाक की (सी) 400 / 2012 नेरानल लोगल सर्विशेस उक्षांशिटी विरुद्ध भारत सरकार एवं अन्य में लेकी विदेश दिना के 15.04.2014 की किंद्रिया 129(3) में गह निर्देश विशा प्राप्त है जि — "Wo लेकी किंद्रिया के Centre and the State Government to take Steps to treat them as socially and educationally to be bookered elasses of citizens and extend all kinds of reservation in cases of admission in educational assistances and for public approximents." या कहाई से पालन किया जाए।

अधिगार :-

अधिभार मात्र गुणानुकम निर्धारण के लिये ही प्रदान किया जायेगा, पात्रता प्राप्त इंतु इरस्का इपयोग नहीं किया जायेगा। अईकारी गरीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत् पर ही अधिभार चेय होगा. अधिभार हेतु समस्त प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदन-पत्र लगा करने के प्रश्चात् बाद में लाये जाने/जमा किये जाने चाले प्रमाण-पत्रों पर अधिभार हेत् विचार नहीं किया जायेगा एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार ही देय होगा।

13.1 एन.सी.सी./एन.एस.एस./स्काउट्स

वाले विद्यार्थी को

स्काउट्स शब्द को स्काउट्स/गाइड्स/रेन्जर्स/रोवर्स के अर्थ में पढ जावे।

एन.एस.एस./एन.सी.सी "ए" सर्टिफिकेट 02 प्रतिशत (面) 03 प्रतिशत (3) एन.एस.एस / एन.सी.सी "बी" सर्टिफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स "सी" रार्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट्स (ग) ०४ प्रतिशत ०४ प्रतिशत (u) राज्य रतरीय रांचालनालयीन एन.सी.सी. प्रतियोगिता में ग्रुप का प्रतिनिधितत्व करने वाले छात्रों को नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में छत्तीसगढ (리) ०५ प्रतिशत के एन.सी.सी. / एन.एन.एस. कटिन्जेन्स में भाग लेने

(छ) राज्यपाल स्काउट्स 05 प्रतिशत (ज) राष्ट्रपति स्काउट्स 10 प्रतिशत (अ) छर्त्तासगढ़ का सर्गश्रेष्ठ एन सी.सी. केडेट 10 प्रतिशत (य) ड्यूक ऑफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन.सी.सी केडेट 10 प्रतिशत

(१) भारत एवं अन्य राष्ट्रों क मध्य यूथ एक्सचेंज प्रोग्नाम में भाग लेने वाले केंद्र एन सी.सी / एन एस.एस. के लिए चर्यानत एव प्रवास करन वाले कंद्रेट को, अन्तर्राष्ट्रीय जन्मूरी के लिय चयन्ति होने वाले विद्यार्थिया को

जन्मूरा के 'लेय वयन्ति होने वाले विद्यार्थिया को ।5 प्रतिशत तसं विषय पाठ्यक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थि को स्वाहक्तात्वा

13.2 आनर्स विषय पाठ्यकम् मे उत्तीर्ण विद्यार्थः को स्नातकोत्तर वद्या में उसी विषय में प्रवेश हुने पर

- ्रवं,/साधित्यकं/सांस्पृतिकं/निवजं/रूपांकन प्रतिगोगिताएं लांत-शिक्षण सचालनात्तय अथवा छत्तीसम्ब तथा शिक्षा विभाग हास अगोजित अतर जिला, सभाग रतर अथवा केन्द्रीय विधालय संगदन हास आगोजित जार समाग्/कर स्तर प्रतियोगिता में :--
- (क) प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्रापा शीम के प्रत्यंक सदस्य की 02 प्रक्रियत
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युका स्थान प्राप्त करने वाल को 04 प्रतिगत
- (2) उपर्युवत काँडिका 13.3 (1) में सल्लेखित विभाग/संवालनालय हारा आयोजित अन्तर्सभाग राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विस्तालय संगठन हारा आयोजित अन्तर्सभीय राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ए.आई.यू हारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार हारा आयोजित सर्व्यय प्रतियोगिता में :--
- (क) प्रथम हितीय, तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को 06 प्रतिरात
- (ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को 07 प्रतिरात
- (ग) संभाग / क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को 05 प्रतिशत
- (3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वार आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में :-
- (क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता मे प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त 15 प्रतिशत करने वालं को
- (ख) प्रथम, द्वितीय अथवा तृतीय स्थान अर्जित करने वाली टीम 12 प्रतिशत के सदस्यों को
- (ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व व रने वाले प्रतियोगी को 10 प्रतिशत
- 13.4 भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य गूथ अथवा साईन्स एवं कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत् विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/ कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रवास करने वाले दल के सदस्यों को
- 13.5 छत्तीसगढ़ शासन/म.प्र से गान्यता प्राप्त खेल संघो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिटा थे -
 - (क) छत्तीसगढ़ / म.प्र का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के 10 प्रतिशत सदस्य को
 - (ख) प्रथम, हितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली फर्तासगढ की 12 प्रतिशत टीम के सदस्यों को 01 प्रतिशत
- 13.6 जम्मू-कश्मीर के विस्थापितीं तथा उनके आश्रितों को
- 13.7 विशेष प्रोत्साएन :छत्तीरागढ़ र ज्य एवं महानिधालय के विशे में एन सी सी , रचेलकृद को प्रोत्साहन देने के दिए एत.सी.सी. के साढ़ीय स्तर के सर्वर्भव बांडेट्स तथा ओलम्पियाड एक्वियाड व्यक्ति एन.सी.सी. के साढ़ीय स्तर के सर्वर्भव बांडेट्स तथा ओलम्पियाड एक्वियाड व्यक्ति प्राप्तिक में अथारिटी ऑफ इंडिया द्वारा साढ़ीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्राप्तिक में

्र अस्ताहरों को वर्षर स्थानुक्ता के धामानी शिक्षा क्षेत्र में नान कारण व कार

्र प्रतिद्यमणित विचा गया थी हो। एव

वह सुविधा केवल राज्ध अन्याधिया वर्ष क्रिलेमी दिल्लोने निर्मारित समयानीय के अतुक्ते इत्यान अभ्यावेदन महाविधालय में प्रस्तुत विभा है, प्रस्तु इस प्रकार की मुक्ति दूसभे बार प्राप्त करने के निष्ट तन्हें तमलीति पुनः प्राप्त करना आवश्यक तोगा।

व्यम वर्ष हे प्रमाण-पत्र अधिमार हेतु मान्य होंगे।

संकाय/वित्रय/सूप परिवर्तन -

रन्तवाः रुवाताकोतार प्रथम वर्ष में आर्वकाशी प्रशेक्षा के सकाय / विषय / गुप परिवर्तन कर प्रवेश प्रश्ने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों से 5 प्रतिशत प्रथाकर रानका गुणानुकम निर्धारित विद्या जार्थना, लिभार पर्ट हुने प्राप्तांकों पर वेग (वेगा) प्रताविद्यालय में रनातक / रनातक तत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने को बाद प्रतिगत राज के वीरान रांकाय / विषय / गुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य क्षेत्र अर्थ अर्थ की विद्यार्थ के प्राचार्य की व्यार्थ की अर्थित होंचे पर विद्यार्थ की विद्यार्थ की व्यार्थ की विद्यार्थ की विद्य की विद्यार्थ की विद्य

15 शोध छात्र -

शासकीय महाविद्यालयों में पो.एच.डी. के शीप छात्रों को दो वर्ष के लिये प्रवेश दिया जायेगा। पुरत्यवालय / प्रायोगिक वनये अपूर्ण रहा जाने की रिश्वित में सुपरवाइजर की अनुशरा। पर प्रायाय इस समयावाधि को उत्तिकतम व वर्ष कर सकेंगे। छात्र निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन करेंगे, प्रवेश के बाद निर्धारित शुल्क जमा करने के बाद ही निर्धारित प्रवेश मान्य किया जावेगा। शंघ छात्र के लिये संबंधित विश्वविद्यालय हारा पी.एच—डी, निर्देशन हेतु महाविद्यालय में प्रवस्थ मान्य प्रायायक सुवरवाइजर विश्वविद्यालय हारा निर्धारित निर्धार्मों के अंतर्गत ही अपना शोध कार्य संपादन करेंगे। अध्ययन अवकाश लेकर कोई शिक्षक यदि शोध छात्र के रूप में वर्धित है, तो सक्षम अधिकारी हारा प्रेषित जगरियांते प्रमाण—पत्र एवं पति तीन माह की कार्य प्रगति है। प्राप्त हैंने पर ही देतन आहरण अधिकारी हारा शोध शोध शिक्षक का वेतन आहरित विया जावेगा।

महा'वैद्यालय में पदारण प्राध्यापक सुपरवाङ्कर के अन्यन स्थानांतरण हो जाने की रिथाति में शोध छान ऐसी संस्था में अपना शोध कार्य बालू रख सकते हैं जानं से उनका शोध आवेदन पर अमेगित किया कार था शोध कार्य पूर्व हो जाने के अपरान्त शोध का पका उसी महाविद्यालयों के प्रापार्य नमेगित करेगे। ्राम-पत्रीं, गलता जानवागी, जानवूझकर छिपाये गये प्रतिकृत तथ्यों, प्रशासकीय अथ क्षान असावधानीयश यदि किसी आवंदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश र करने का पूर्ण दायित्व प्राधार्य को होगा।

होग लेकर किसी समुधित कारण, पूर्व अनुमित या सूचना के विना लगातार एक गाह : अधिक सम्य तक अनुपरिधत रहने वाले विद्यार्थी को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचा को होगा।

- प्रवेश के बाद सन्न के दोशन कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरणों तिप्त विद्यर्थी का प्रवेश निरन्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य व होगा।
- 16.4 प्रवेश के बाद सन्न के दाँरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड़ देने अथवा उसका प्रवेश निरन्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की रिथित में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक अन्य कोई शुक्क वापिस नहीं किया जायेगा।
 - 16.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धांते के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी प्रकरण में 'मार्गदर्शन के आवश्यकता होने पर प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिनत देते हुं स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, छत्तीसगढ़, रायपुर से प्राप्त करेंगे, प्रवेश संबंध किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेपित लिखकर प्रेपित न किया जाये।
- 16.6 इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में जल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुवत, उच्च शिक्षा विमाग को है। इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में समय—समय पर परिवर्तन/संशोधन/निरसन्/संलग्न का संपूर्ण अधिकार अत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(डॉ.ए.क.पाण्डेय) विशेष कर्तत्यस्थ अधिकारी छ.ग.शासन, उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय नया रायपुर (छ.ग) (डॉ.आर.बी.सुब्रमनियन) अपर संचालक उच्च शिक्षा संचालनालय नया रायपुर (छ.ग.) बालोद (छ.ग.) का नाम – शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – वालोद (छ.ग.)

अनं.	_	09406103599

	न - 09406103															
	स्नातक स्तर		सामान्य		अनु	ुसूचित ज	ाति	अन्	नु.जन जा	ते	अन्य	पिछड़ा व	ार्ग	महाय	गेग (स्नात	क)
		চ্যান্ন	চারা	योग	চ্যান্ত	छাत्रा	योग	छাत्र	छात्रा	योग	छात्र	छাत्रा	योग	छাत्र	छাत्रा	योग
4	बी.ए.भाग - 1	0	1	1	10	15	25	9	15	24	31	69	100	50	100	150
2	बी.ए.भाग — 2	0	0	. 0	9	· 14	23	3	9	.12	46	61	107	58	84	142
3	बी.ए.भाग - 3	0	. 3	3	3	10	13	1	4	5	27	69	96	31	86	117
1	योग	0	4	4	22	39	61	- 13	28	41	104	199	303	139	270	409
1	बी.कॉम भाग — 1	0	0	0	3	8	11	2	5	7	30	40	70	35	53	88
2	बी.कॉम भाग — 2	0	0	0	1	0	1	3	4	7	21	32	53	25	36	61
3	बी.कॉम भाग — 3	0	0	0	1	2	3	2	3	5	25	31	56	28	36	64
	योग	0	0	0	5	10	15	7	12	19	76	103	179	88	125	213
1	बी.एस.सी. भाग — 1	0	1	1	1	12	13	4	13	17	8	51	59	13	77	90
2	बी.एस.सी. भाग — 2	0	0	0	1	5	6	1	2	3	16	54	70			79
3	बी.एस.सी. भाग - 3	0	0	0	2	1	3	1	4	5	11	37	48		-	56
1	योग	0	1	1	4	18	22	- 6	19	25	35	142	177	-		225
1	एल.एल.बी. भाग – 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	0
2	एल.एल.बी. भाग – 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
3	एल.एल.बी. भाग – 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	0 (0
1	बी.बी.ए. भाग - 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	0
2	बी.बी.ए. भाग - 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		-	-	-	0
3	बी.बी.ए. भाग - 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	() (9	-	0
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0							0 0
1	डी.सी.ए.	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	()	0	0	0 0
2	अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0	0	0	0 0
3	योग	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	C	MA A	0	0	0	0 (
¥*	महायोग	0	5	5	31	67	98	26	59	85	215	44	4 65	9 2	72 57	5 84

PRINCIPAL .

सत्र 2020-21

बालोद (छ.ग.)

न नाम – शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

₹**-** 09406103599

महि स्नातकोत्तर	h	सामान्य		अ	नुसूचित जाति	i i	अनु	ु.जनजाति		अन्य	पिछड़ा व	ार्ग -	महायो	ग (स्नातव	गेत्तर)
Cincollection	চার °	<u> </u>	योग	চার	छ।त्रा	योग	চার	চ্যান্না	योग	छात्र	छात्रा	योग	চ্যান্ন	छात्रा	योग
एम.ए.पूर्व Ist Sem. Poltical Science	0	0	0	0	5	5	0	1	1	7	12	19	7	18	25
एम.ए.अंतिम III rd Sem. Pol. Science	0	0	0	3	1	4	0	5	5	2	12	14	5	18	23
एम.ए.अंतिम I rd Sem. Geography	0	0	0	0	2	2	5	1	6	2	15	17	7	18	25
एम.ए.अंतिम III rd Sem. Geography	1	0	1	1	2	3	0	1	1	4	11	15	6	14	20
योग	1	0	1	4	10	14	5	8	13	15	50	65	25	68	93
1 एम.एससी. पूर्व Ist Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 एम.एससी. अंतिम III rd S	Se 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,	. 0	0	0	0	0
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0
1 एम.कॉम पूर्व Ist Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 एम.कॉम अंतिम III rd Se	en 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0
1 एम.सी.ए.पूर्व	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 एम.सी.ए.अंतिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 एल.एल.एम.पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 एल.एल.एम.अंतिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 एम.बी.ए.पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
2 एम.बी.ए.अंतिम	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 0	0	1
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- (
1 पी.जी.डी.सी.ए.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2 अन्य	0	. 0	0	0	0	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	1-
योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
महायोग	1	0	1	4	10	14	5	8	13	15	50	65	25	68	

का नाम – शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.)

प्रपत्र - 1 सत्र 2019 - 20

			and the second	सामान्य	And the Street	Mary day	4					,						
	*	स्नातक स्तर	The Atlanta and Atlanta and Atlanta			अन्	ुसूचित जा	ति	अन	नु.जन जा	ति	T		-	,			
	-	0 - 0	छात्र	<u> ভারা</u>	योग	ভা त्र	छात्रा	योग	চার			अन	य पिछड़ा	वृर्ग	मह	ायोग (स्नात	तक)	7
1	_	गी. <mark>ए.भाग — 1</mark>	2	0	2	12	11	23		छাत्रा	योग	छাत्र	छात्रा	योग	চার	छাत्रा	योग	+
F	_	गे.ए.भाग — 2	0	3	3	3	10		4	7	11	52	60	112	70			1
L	3 6	गे.ए.भाग — 3	0	• 1	1	1	10	13	1	4	5	25	⁹ 64	89	29	81	- , ,	4
		योग	2	4	6	16		11	1	5	6	24	55	79	26		110	4
		गी.कॉम भाग - 1	0	2		0	31	47	6	16	22	101	179	280	125	230	97	
	2 8	शी.कॉम भाग – 2	0	_		0	- 1	1	3	5	8	24	32	56	27	40	355 67	
	3 7	बी.कॉम भाग — 3	0	_	1	5	1	4	1	2	3	25	28	53	29	31	60	
L	- 1	योग	(3	5 8	2	7	2	1	3	16	21	37	23	25	48	
	1	बी.एस.सी. भाग – 1			1	1	4	12	6	8	14	65	81	146	79	96	175	
	2	बी.एस.सी. भाग – 2		0 (0		-	7	1	4	5	16	53	69	18	64	82	ľ
		बी.एस.सी. भाग - 3	_	0 (<u> </u>	-		4	1	4	5	12	38	50	16	43	59	
		योग	A new contraction of the last	100.00	1	7	8	11	1	5	6	11	45	56	15	58	73	
	1	एल.एल.बी. भाग – 1	45.00	Service Service	0 0			22	3	13	16	39	136	175	49	165	214	
	2	एल.एल.बी. भाग – 2	_	_	0 0	-	Probability and Company	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
*	3	एल.एल.बी. भाग - 3		_	0 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100.2	योग			0 0			0	0	0	0	0	- 0	0	0	0	0	
	. 1	बी.बी.ए. भाग - 1			0 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	बी.बी.ए. भाग - 2		0	0 0	-	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1-	3	बी.बी.ए. भाग — 3		0	0 (+		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		योग		0	0 0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	डी.सी.ए.		0	0 0		-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	अन्य		0	0 0	0 0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	योग		0	0 0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		महायोग -	-in-	2	8) 31	50	81		37	52	205	396	601	0	0	0	1
	STATE OF STREET	The state of the s		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		and the state of the state of the state of	The state of the s	differently may be all the said		Total State of the last		203	370	1100	253	491	744	

सत्र 2019-20

म - बालोद (छ.ग.) म नाम - शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला - बालोद (छ.ग.) होन नं. - 09406103599

	स्नातकोत्तर	/u	सामान्य		अन्	ुसूचित ज	ति	3	भनु.जनजाति	1	अन	य पिछड़ा व	वर्ग	महायो	ाग (स्नातव	
P .		চ্যার	छात्रा	योग	চার	চ্চান্সা	योग	চার	চ্যাत्रा	योग	চ্চান্ন	্বভান্স	योग	छাत्र	চ্যাत्रा	योग
1	एम.ए.पूर्व- Ist Sem.	1	0	1	3	. 6	9	0	6	6	9	25	34	13	37	50
	एम.ए.अंतिम III rd Sem.	0	0	0	3	2	. 5	1	2	3	7	9	16	11	13	24
	योग	1	0	1	6	8	14	1	8	9	16	34	50	24	50	74
i	एम.एससी. पूर्व Ist Sem.	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0
2	एम.एससी. अंतिम III rd Sem.	- 0		- 1 O	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- 0	0
Total Control	एम कॉम पूर्व Ist Sem.	(0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0
-	एम.कॉम अंतिम III rd Sem.	(0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	योग		0 0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	एम.सी.ए.पूर्व	. (0 0	0	.0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	एम.सी.ए.अंतिम		0 0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
	योग	172.0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
1	एल.एल.एम.पूर्व	H 1 1	0 0	- 0	0	0	0	. 0	0	0	- 0	0		0	0	0
2	एल.एल.एम.अंतिम		0 0	0	0	0	0	0	0		0	0		0	0	0
-	योग		0 (0	0	0	0	0			0			0	0	0
1	एम.बी.ए.पूर्व		0 (0	0	0	0	0 1	0					0	0	0
2	0 0	. A . T	0 () , 0	0	0	0	0	0					0		0
-	योग	- Parties	0 () (0	0	0	0	0			7	0			
	1 पी.जी.डी.सी.ए.		0 (0	0	0		, , 0							-	
	2 अन्य		0 () (0	0		0				0	A STATE OF THE STA	- 0	<u> </u>	0
	योग		0 () (0	0			0							74
	महायोग		1(6	8	1,4	1	8 Control of the state of the s		16	34				

का नाम - बालोद (छ.ग.)

्राविद्यालय का नाम — शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला — बालोद (छ.ग.)

त्रं/फोन नं. - 09406103599

	₹.7.	फान न 09400103	377														
1	a .	स्नातक स्तर		सामान्य	, gars.	अन्	सूचित जा	ते	ुं अन्	रु.जन जा	ति .	अन	य पिछड़ा	वर्ग	महा	योग (स्ना	तक)
			চ্যান্ত	চারা	योग :	চ্যান্ন	চারা	योग	চ্যাत्र	छात्रा	योग	চ্যান্ত	छাत्रा	योग	ভার	छात्रा	योग
	1	बी.ए.भाग — 1	1	2	3	_: 6	15	21	3	5	8	43	73	116	53	95	148
	2	बी.ए.भाग — 2	0	1	1	1	9	10	1	6	7	20	54	74	22	70	92
	3	बी.ए.भाग — 3	0		0	6	. 8	14	1	7	8	21	44	65	28	59	87
		योग	1		4	13	32	45	5	18	23	84	171	255	103	224	327
	1	बी.कॉम भाग — 1			1	.8	5	13	3	4	7	25	26	51	36	36	72
	2	बी.कॉम भाग 2		0	1 1	1	6	7	2	1	3	10	20	30	13	28	41
	3	बी.कॉम भाग — 3		0	2 2	. 1	4	5	1	2	3	10	12	22	12	20	32
		योग		0	4 4	10	15	25	6	7	13	45	58	103	61	84	145
1	. 1	बी.एस.सी. भाग - 1		0	0 (5	6	. 11	2	3	5	21	54	75	28	63	91
1	2	बी.एस.सी. भाग - 2		0	0) 2	6	8	2	3	5	9	41	50	13	50	63
	3	बी.एस.सी. भाग - 3		0	0) (2	2	-0	4	4	7	25	32	7	31	38
		योग		0	0	0 7	14	21	4	10	14	37	120	157	48	144	192
	1	एल.एल.बी. भाग – 1	- Francisco	0	0	0 .(0	0	0			0		0	0	0	0
	2	एल.एल.बी. भाग — 2	2	0	0	0 0	0		. 0			0		0	0	0	0
	3	एल.एल.बी. भाग -	3	0	0		0 0		0	-				0	0	0	0
		योग		0	0	-	0 0						0	0	0	0	0
		1 बी.बी.ए. भाग – 1		0	0		0 0						0	0	0	0	0
		2 बी.बी.ए. भाग — 2		0	0		0 0		-	-		. 0	0	0	0	0	0
		3 बी.बी.ए. भाग - 3		0	0	-	0 0		-					0		0	0
		योग		0	0		0 0	1) (0		0	0
		1 डी.सी.ए.		0	0		0 () (0		0	0
		2 अन्य		0	0		0 (1) (The second	-	0	0
		3 योग		0	0	-	-		0 (515	0	0	664
		महायोग		1	7	8 3	60 61	9	1 15	35	50	166	349	515	212	452	004

3 heh PRINCIPAL ति का नाम – बालोद (छ.ग.)

महाविद्यालय का नाम — शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला — बालोद (छ.ग.) मो.नं. / फोन नं. — 09406103599

क्र.	स्नातकोत्तर		सामान्य		अनु	सूचित जा	ति	3	ानु.जनजाति	* · ·	अन्य	य पिछड़ा व	प्रर्ग	महायोग	ा (स्नातक	गेत्तर)
		চ্যান্ন	छাत्रा	योग	চার	চ্যাत्रा	योग	চ্যান্ন	ঢারা 💮	योग	<u></u> ভার	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	एम.ए.पूर्व Ist Sem.	0	0	0	3	2	5	1	3	4	9	10	19	13	15	2
2	एम.ए.अंतिम III rd Sem.	0	0	0	1	2	3	2	. 5	7	12	20	32	15	27	4
	योग	0	0	0	4	4	8	3	8	11	21	30	51	28	42	•
1	एम.एससी. पूर्व Ist Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	एम.एससी. अंतिम III rd Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e e	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	एम.कॉम पूर्व Ist Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	produced of	0	0	0		0	
2	एम.कॉम अंतिम III rd Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0		0	
	योग	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	
1	एम.सी.ए.पूर्व	0	0	0	0	0	- 0	0	0	0		0	0		0	
2	एम.सी.ए.अंतिम	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0	
Alexa V	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	A 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	7 10 272	0				
1	एल.एल.एम.पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	2111			-			0	
2	.0		0	0	0	0	0		-							-
· ·	योग	. (. 0	0	0	0	0	The second control of	. 0	-			-	-		-
1	एम.बी.ए.पूर्व			0	0	0	decree of the second					-		+		-
2	एम.बी.ए.अंतिम	(0	0										-
11.07	योग	(+		-					the section of				-
	1 पी.जी.डी.सी.ए.) () (0	0	-		-		18.44	Part of the last	A		-	-
	2 अन्य	() (0			_	-		- 500000	-	Carlot Na	0 0		
1500	योग) (0	C					1	-	-	-		-
	महायोग) (4	4	1	3	. 8	3 11	1 2	1 3	0 3	1 20	A	

PRINCIPAL'

Govt. Shahid Koushal Yaday Callege

वियं का नाम – शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.) 9406103599

सत्र 2017-18

				सामा	य			अनुसूचि	त जाति			अनु.जन	न जाति		3		छडा व	र्ग	ī	हायोग	(स्नातः	<u>क)</u>
क्र .	स्नातक स्तर	स्वीकृत सीट	চার	চারা	तृतीय लिंग	योग	চার	চারা	तृतीय लिंग	योग	চ্যান্ন	घात्रा	तृतीय लिंग	योग	চ্যান্ত		तृतीय लिंग	योग	छাत्र		तृतीय लिंग	
1	बी.ए.भाग — 1	150	. 0	1	0	1	12	14	0	26	2	8	0	10	44	68	0	112	58	91	0	149
2	बी.ए.भाग — 2	120	0	0	0	0	9	8	0	17	3	11	0	14	31	50	0	81	43	69	0	112
3	बी.ए.भाग = 3	120	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	0	1	4	11	0	15	4	15	0	19
	योग		0	1	0	1	21	25	0	46	5	20	0	25	79	129	0	208	105	175	0	280
1	बी.कॉम भाग — 1	90	0	1	0	1	8	5	0	13	3	4	0	. 7	25	26	0	51	36	36	0	72
2	बी.कॉम भाग — 2	80	1	2	. 0	3	2	5	0	7	2	4	0	6	21	20	0	41	26	31	0	57
3	बी.कॉम भाग – 3	80	(0	0	0	- 3	0	- 0	3	- 1	A 0	0	1	11	9	0	20	15	9	0	24
	योग		1	3	0	4	13	10	0	23	6	8	0	14	57	55	0	112	77	76	0	153 83
1	बी.एस.सी. भाग - 1	90	() (0	0	4	6		10	1	5	0	6	18	49	0	67	23	60 45	0	57
2	बी.एस.सी. भाग - 2	80	y torran) (0	0	1	6	-	7	0	6	0	6	11	33	0	39	8	36	-	
3	बी.एस.सी. भाग - 3	80	to the second	0 (0 0	-	_	2	1	3	0	2	_	2 14	36	114	0	150	43	141	0	
	योग			0	0 0	_				20	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	_
1	एल.एल.बी. भाग - 1				0 0					0	_	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2	more than the filters of the	-	_	-	0 0	_	27,000,000	-		0		0	 +	0	0	0	0	0	0	0	0	(
3	- A 2000	-			+	4		_	-	0		0		0	0	0	0	0	0	0	-	-
	योग			-	-			'		0		0	0	0	0	0	0	0		-	+	-
1	बी.बी.ए. भाग - 1	<u> </u>	-	-	+	4	-		-	-		0	0	0	0	9 0			-	-	-	-
	2 बी.बी.ए. भाग - 2			-	-		-		-		_	0	0	0	0		-	-		0	-	-
	3 बी.बी.ए. भाग - 3	 -	_	∸	<u> </u>	-	-) (0	0	0	0	0	0	_		-	-	-	+		-
	योग			-	<u> </u>	-	-) (0	0	0	0	+	0	_			-		-		+
	1 डी.सी.ए.		-	<u> </u>	<u> </u>	-	-		0	0	0		1	0		_	-	-	-	1	-	
	2 अन्य	+-	_	0	~	-	0 () (0		-		-	0	-	<u> </u>	-	-	-	1-	2 (0 61
al v	3 योग		+	1	-	0 :	5 40	0 49	0	89	12	41	0	53	1/2	490	, 0		01	1		100
	महायोग	A STATE OF THE STA			-1			16										(المرك	rel		

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College Gunderdehi, Dist n Pelod (C.G.)

न्न नाम – बालोद (छ.ग.)

बालय का नाम – शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला – बालोद (छ.ग.) व. – 9406103599

		-
सत्र	2017-	18

	The second secon	स्वीकृत		सामान				अनुसूचि	त जाति			अनु.ज	न जाति		3	अन्य पि			मह	ायोग (स	नातकोत्त	तर)
页 .	स्नातकोत्तर	सीट	চ্চান্ন	চ্যাস্না	तृतीय लिंग	योग	চার	চ্যাস্না	तृतीय लिंग	योग	চ্যান্ন	চ্যারা	तृतीय लिंग	योग	চ্চার	छাत्रा	तृतीय लिंग	योग	চ্চার	চ্যারা	तृतीय लिंग	योग
1	एम.ए.पूर्व Ist Sem.	50	0	0	0	0	1	3	0	4	3	5	0	8	14	20	0	34	18	28	0	4
2	एम.ए.अंतिम III rd Sem	25	0	0	0	0	3	1	0	4	0	1	0	1	2	8	0	10	5	10	0	1
	योग		0	0	0	0	4	4	0	8	3	6	0	9	16	28	0	44	23	38	0	-
1	एम.एससी. पूर्व 1st Sem.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	एम.एससी. अंतिम III rd Sem.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	¥	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	0	_
1	एम.कॉम पूर्व Ist Sem.			0	0	0	0	-		0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	_
2	एम.कॉम अंतिम III rd Sem.		(0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	0	 	0	_	0	_
	योग		(0	0	0	0		0	0	0	0	-	0	_	0	0		0	-	0	_
1	एम.सी.ए.पूर्व	L No World	(0	0	0	0	0	0	0	<u> </u>	-	0		0	0	-	0	_	0	-
2	एम.सी.ए.अंतिम			0 (0	0			0	0	0		-	. 0	_	0	0	_	0		0	-
	योग		AL PARKET	0 (0	0			0	0	0		1	0	0	-	0	-	0	<u> </u>	-	-
1	एल.एल.एम.पूर्व	- 6.5	2.	_	0	2000		TOTAL CONTRACTOR		0	0		-	0	0	-	0		-	-	_	-
2	एल.एल.एम.अंतिम			-	0		. 0	The second second	-	0	0	_		0			0	-	-	-		+-
	योग				0 0	_		P 1000	_	0	0				<u>`</u>	<u> </u>		_	_	-	-	╌
1	एम.बी.ए.पूर्व				0 0		_		-	0	0	-	_			-	<u> </u>	-	-	_	0	╌
2				-	0 0	-	_			0	0	*	_	_	-	<u> </u>	-	-	-	-	-	┰
	योग			<u> </u>	0 0	-	_	-		0	0	-	-		-	-	-	1	-		-	┰
J.	1 पी.जी.डी.सी.ए.			<u> </u>	0 0	-	-	-				-			-	 	 	1	-	-	-	+
	2 अन्य			* 	0 0	-	-	. 	1	0	-	0	-		 	-	 	-	-	-	-	+
17	योग			`	0 0	-		0	-	8		6	-	-	-	1	-	0 44	-	-	-	+
	महायोग			0	0 0) 0	1 4	4	0	8	3		<u> </u>	,	10	20		7	1 -		1	1

PRINCIPAL

Govt. Shahid Koushal Yadav College

Gunderdehi, Dist. - Balod (C.G.)

ज़िले का नाम - बालोद (छ.ग.)

सत्र 2016-17

महाविद्यालय का नाम — **शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला — बालोद (छ.ग.)** मो.नं. / फोन नं. — **09406069273**

豖.	स्नातक स्तर		सामान्य		अन्	नुसूचित ज	ाति	अ	नु.जन जा	ति	अन	य पिछड़ा व	वर्ग	महा	योग (स्नात	क)
		চার	চারা	योग	চ্যান্ন	চারা	योग	চার	ঢারা	योग	চ্যান্ত	চ্যাत्रा	योग	চার	छात्रा	योग
1	बी.ए.भाग — 1	1	0	1	12	8	20	5	10	15	37	47	84	55	65	120
2	बी.ए.भाग — 2	0	0	0	0	3	3	0	1	1	4	14	18	4	18	22
3	बी.ए.भाग — 3	0	0	0	0	1	1	4	9	13	9	18	27	13	28	41
	योग	1	0	1	12	12	24	9	20	29	50	79	129	72	111	183
1	बी.कॉम भाग — 1	1	3	4	3	6	9	3	3	6	35	24	59	42	36	78
2	बी.कॉम भाग – 2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	8	8	16	9	8	17
3	बी.कॉम भाग — 3	1	2	3	1	1	2	1	0	1	8	6	14	11	9	20
	योग	2	5	7	5	7	12	4	3	7	51	38	8.9	62	53	115
1	बी.एस.सी. भाग — 1	0	1	1	ξ 3	9	12	0	9	9	22	36	58	25	55	80
2	बी.एस.सी. भाग — 2	0	0	0	2	. 1	3	0	2	2	7	30	37	9	33	42
3	बी.एस.सी. भाग — 3	0	0	0	1	2	3	0	1	_1	3	11	14	4	14	18
	योग	0	1	1	6	12	18	0	12	12	32	77	109	38	102	140
1	एल.एल.बी. भाग – 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	एल.एल.बी. भाग — 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	एल.एल.बी. भाग — 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	बी.बी.ए. भाग - 1	0	0	0	- 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	बी.बी.ए. भाग – 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	बी.बी.ए. भाग - 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	डी.सी.ए.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	अन्य	0	0	0	. 0	0	0	0	0	0	0	0		0		0
3	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	420
	महायोग	3	6	9	23	31	54	13	35	48	133	194	327	172	266	438

Govt. Shahid Koushal Yadav Colle Gunderdehl, Dist. - Balod (C.G.

का नाम - बालोद (छ.ग.)

प्रपत्र - 2 सत्र 2016-17

्रविद्यालय का नाम — शासकीय शहीद कौशल यादव महाविद्यालय गुण्डरदेही, जिला — बालोद (छ.ग.)

酉.	स्नातकोत्तर		सामान्य		अनु	ुसूचित जा	ति	अ	नु.जन जाति	Ť	अन्य	य पिछड़ा र	वर्ग	महायो	ग (स्नातव	गेत्तर)
		চার	চ্যাत्रा	योग	চার	छাत्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	ভা त्र	छात्रा	योग	ভার	छात्रा	योग
1	एम.ए.पूर्व Ist Sem.	0	0	0	3	1	4	0	1	1	3	9	12	6	11	1
2	एम.ए.अंतिम III rd Sem	0	0	0	2	3	5	1	2	3	9	6	15	12	11	23
	योग	0	0	0	5	4	9	1	3	4	12	15	27	18	22	4(
1	एम.एससी. पूर्व Ist Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2	एम.एससी. अंतिम III rd Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
1	एम.कॉम पूर्व Ist Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
2	एम.कॉम अंतिम III rd Sem.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	एम.सी.ए.पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	एम.सी.ए.अंतिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	एल.एल.एम.पूर्व	0	,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	एल.एल.एम.अंतिम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	एम.बी.ए.पूर्व	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	2 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	१ पी.जी.डी.सी.ए.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	योग	0	0	0	0	0	0	0	. 0	0	0	C	0	0	0	
	महायोग	0	-	0	5	4	9	1	3	4	12	15	27	18	22	4